खण्ड-289, अंक-4
गुरूवार, 24 आषाढ़, शक संवत् 1893
(15 जुलाई, 1971 ई0)

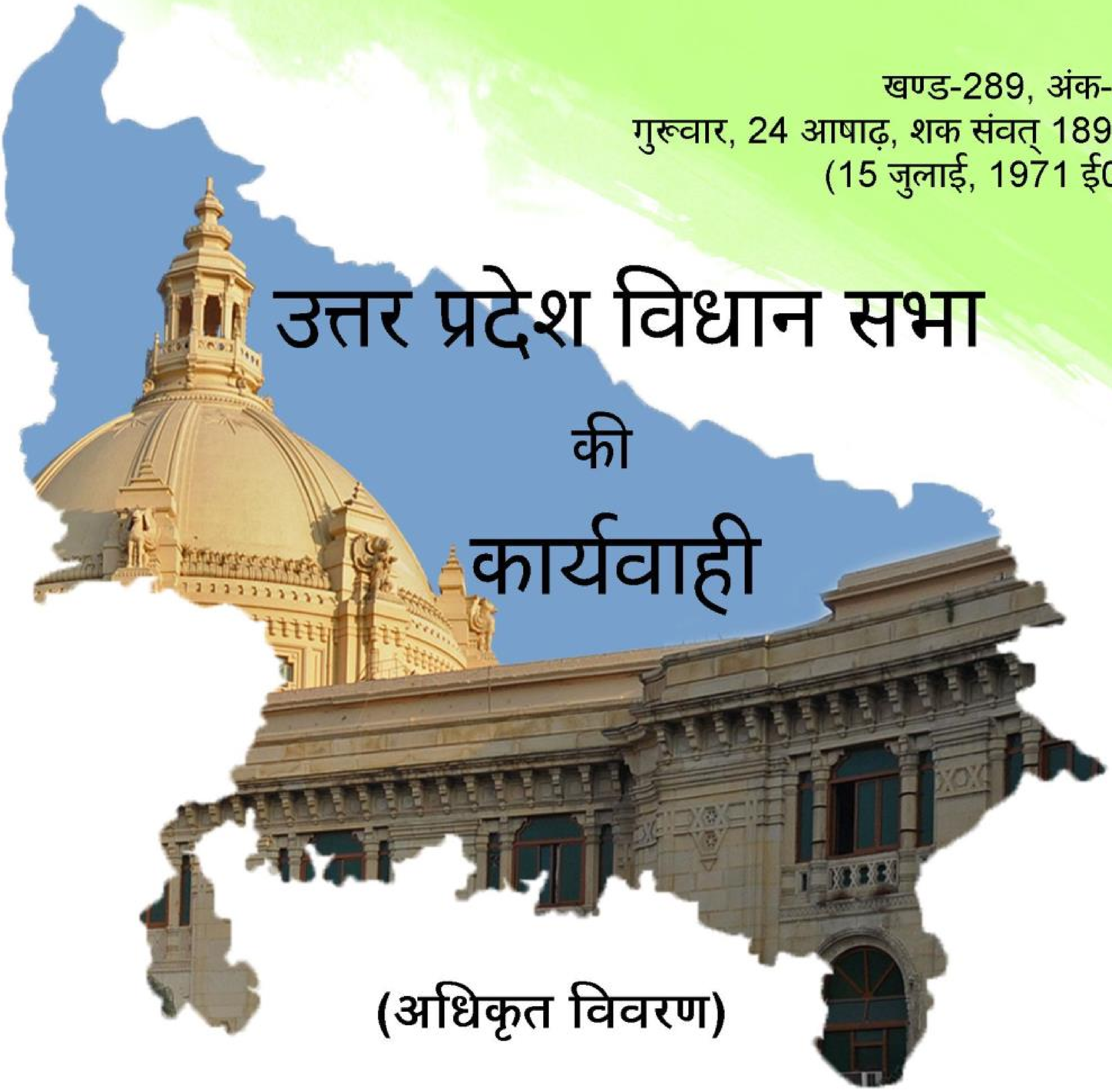

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४११–४१५
प्रश्नोत्तर	४१५–४६३
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	४६३–४६४
श्री राजनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने पर आपत्ति (जारी)	४६४–४६८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना के संबंध में जानकारी	४६८–४६९
श्री राजनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश लोकलेखा समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने पर आपत्ति	४६९–४७३
पंचायत मंत्रियों की मांगों के बारे में मुख्य मंत्री से जानकारी की मांग ..	४७३–४७४
प्रश्न विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गई)	४७४–४७५
श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा श्री जगदीश गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गई) ..	४७५–४७६
सदस्यों को बोलने के लिये समान अवसर देने की प्रार्थना	४७६
लैन्ड सीलिंग उपसमिति के सदस्यों के नामों की सूचना	४७७
१९७१–७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	४७७–५०२
जलपान गृह में सदस्यों को चाय तथा खाना मिलने में असुविधा एवं बरामदों में भीड़ होने के संबंध में शिकायत	५०२–५०४
१९७१–७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	५०४–५०७
नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना	५०७–५०८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	५०८–५१०
स्वायत्त शासन कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित कालीन अनशन के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	५१०–५१६
नत्थियां	५१७–५२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक १५ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७५

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगन, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुरराम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धमवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निभय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नपाल, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाशनारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जैटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बब्बनसिंह श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री, (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातमप्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरवान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीं लाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजविहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर

राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम रतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री

श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदा नन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी टम्टा, श्रीमती
सवसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैय्यद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभायावती, श्रीमती
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिबंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्मसिंह श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल, अग्रवाल, श्री

नोट:—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य तथा श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, राज्य सूचना मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १५ जुलाई, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी दुकानों पर चीनी का भाव

****१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सरकारी सस्ती दुकानों पर १४ अप्रैल, सन् १९७१ के आस पास चीनी का भाव १.६७ नये पैसे प्रति किलो से सहसा १.९० नये पैसे प्रति किलो हो गया है जब कि बाजार में इससे बढ़िया किस्म की चीनी का दाम १.८० नये पैसे प्रति किलो है यदि हां, तो क्यों और इस अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

जी हां, भाव सहसा १.६७ पैसे प्रति किलो से बढ़कर १.९० पैसे तक हो गये थे। और खुले बाजार में भी इसके परिणाम स्वरूप भाव बढ़कर २ रुपये प्रति किलो तक हो गये थे प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर करके दाम बढ़ाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी जिसके फलस्वरूप चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई थी। चीनी के मूल्यों में वृद्धि उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत की गई थी इसलिये इसको रोकने के लिये कार्यवाही संभव नहीं थी।

अब परिस्थिति बदल गई है क्योंकि मई २५, १९७१ से भारत सरकार ने चीनी के वितरण मूल्य तथा अन्तरराज्य आवागमन पर से सभी नियंत्रण समाप्त कर दिये हैं। अतः अब राज्य सरकार द्वारा अन्य कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी ने यह निर्णय देखा है जिसमें हाई कोर्ट द्वारा चीनी के भाव बढ़ाने के आदेश हुये ? यदि हां, तो उस निर्णय में चीनी के दाम बढ़ाने के कौन से कारण दिये गये थे ?

श्री बेनी सिंह---

हाई कोर्ट का जजमेंट तो नहीं देखा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि हाई कोर्ट में सरकार के जो पैरोकार थे वे चीनी मिल मालिकों से मिल गये और उन्होंने अच्छी तरह से पैरवी नहीं की, इसलिये हाई कोट ने चीनी के दाम बढ़ा दिये ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सत्यता की जांच करायेंगे?

श्री बेनीसिंह---

इसका पता माननीय चौधरी साहब को होगा, हमको तो पता नहीं है । यदि माननीय सदस्य कुछ लिखकर देंगे तो हम पता लगा लेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार ने भी हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी की या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों और अगर वे इस मुकदमें में हार गये तो क्या उन्होंने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी?

श्री बेनीसिंह---

इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री रामगोपाल संड---

प्रश्न यह पूछा गया था कि १४ अप्रैल, १९७१ के आस पास सरकारी सस्ती दुकानों पर चीनी का भाव १.६७ पैसे प्रति किलो से सहसा १.९० पैसे प्रति किलो हो गया है जबकि बाजार में इससे बढ़िया किस्म की चीनी का दाम १.८० पैसे प्रति किलो था । यह प्रश्न सरकार को १२ मई को भेजा गया और हाई कोर्ट ने २५ मई को अपना निर्णय दिया, तो माननीय खाद्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन दिनों सरकार की यह नीति थी कि अपनी ही दुकानों से ब्लैकमार्केट से चीनी बेची जाय?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)---

हाई कोर्ट के आर्डर के तहत में दाम बढ़े एक्स फैक्ट्री तो उनका और जगह भी असर पड़ा । हमारी दुकानों पर भी पड़ा, रिटेल में भी पड़ा, इसलिये ही दाम बढ़ गये ।

श्री रामगोपाल संड---

मेरा यह कहना है कि चीनी खुले बाजार १.८० के भाव बिक रही थी और कन्ट्रोल की दुकानों पर इलाहाबाद और आस पास के जिलों में चीनी का ब्लैक मार्केट हुआ और वह १.९० प्रति किलो के भाव मिली ।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब चीनी बाहर सस्ती मिलेगी तो कंट्रोल में १.९० क्यों देंगे ?

श्री गोबिन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कंट्रोल की दूकानों पर चीनी १.९० पैसे प्रति किलो मिली है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

हाई कोर्ट के फैसले के तहत में ये दाम बढ़ाये गये । माननीय सदस्य ने भी सूचना दी कि प्रश्न उनका १२ को आया और हाई कोर्ट का फैसला २५ को हुआ। तो क्या सरकार यह बतायेगी कि किस दिन फैसला हुआ और क्या यह इनको सूचना है कि १.८० और १.९० पैसे के भाव चीनी ब्लैक मार्केट में बिकी है ?

श्री बेनी सिंह—

इसकी सूचना तो हम इस वक्त नहीं दे पायेंगे ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चीनी का भाव जो बढ़ गया है और अभी उत्तर में कहा गया कि सरकार द्वारा कारगुजारी की जा रही है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार तफसील में बतावे कि कौन-कौन सी कारगुजारी की जा रही है, सुधार के लिये ?

श्री बेनीसिंह—

शास्त्री जी साफ बता दें कि वे क्या चाहते हैं, सवाल साफ नहीं हुआ ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमान् जी, सवाल इतना साफ है कि जब कहते हैं मंत्री जी की कारगुजारी की जा रही है। तो मैं अपने संतोष और मेम्बर्स के संतोष के लिये जानना चाहता हूं कि कौन-कौन कदम उठाये गये हैं जिससे इस संबंध में सुधार होगा ?

श्री बेनीसिंह—

जवाब में यह कहा है कि यह हाई कोर्ट के तहत हुआ है इसलिये कोई कार्यवाही संभव नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बाद यह कहा गया कि जो हमारे लाइसेंस हैं थोक के शकर के वह गांव-गांव जहां-जहां मांगे गये वहां खूब अच्छी तरह से दे दिये ताकि हम जितनी शकर बेंच सकेंगे उतना भाव कम हो जायेगा । जो जितने लाइसेंस मांगते हैं उनको हम लाइसेंस देते हैं और शकर देते हैं ताकि वे बेंच सकें ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

प्रश्न से संबंधित प्रश्न है श्रीमन् । पिछले दिनों बाजार में भी और कंट्रोल की दुकानों पर भी रेट १.८० और दो रुपये तक हो गया था । तो मान्यवर, इस बात को सही मानकर मैं यह पूछना चाहूंगा कि पिछले वर्ष गन्ने का रेट सात रुपये क्विंटल था । सन् ५२ में चीनी ६० रु० प्रति क्विंटल रही थी । तो क्या गवर्नमेंट उसी अनुपात से गन्ने का मूल्य भी ७ रुपये के बजाय १५ और १६ रुपये क्विंटल करने की कृपा करेंगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकरा गया ।)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

चीनी मिलों का अधिग्रहण करने के लिये सरकार को हाईकोर्ट जाना पड़ा । इन मामलों को दूर करने के लिये चीनी मिलों का अधिग्रहण न करके क्या सरकार राष्ट्रीयकरण करने की बात करेगी ?

श्री बेनी सिंह—

इसमें जो दाम बढ़े हैं वे अधिग्रहण से नहीं बढ़े हैं । ७१ चीनी मिलों में से ६६ ने हाईकोर्ट में रिट किया और प्राइस बढ़ाने को कहा । उस हिसाब से कीमत बढ़ीं । अधिग्रहण से नहीं बढ़ीं । उससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने यह कहा कि ये झगड़े रोज होंगे, आप राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते ?

श्री गोबिन्द सिंह—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न में स्पष्ट दिनांक १४ अप्रैल, ७१ दिया है । यह दिनांक हाई कोर्ट के फैसले के पहले का दिनांक है । जो उत्तर दिया गया है उससे लगता है कि सदन को जानबूझ कर गुमराह करने की गरज से यह उत्तर दिया गया है और हाई कोर्ट के फैसले को इसमें मिक्सअप किया गया है । जिन अधिकारियों ने इस तरह से सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का क्वैश्चन होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, इसमें १४ अप्रैल, १९७१ लिखा है, और हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है २५ मई को । तो दाम तो निर्णय के पहले ही बढ़े हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जहां तक फैक्टरी के दाम बढाने के निर्णय का प्रश्न है, १० या १२ फैक्टरियों ने अलग-अलग तारीखों पर मुकदमें दाखिल किये और उनके निर्णय अलग-अलग तारीखों पर हुए । इसलिये यह कहना कि कौन सी तारीख को निर्णय हुआ है, संभव नहीं है । २५ मई का जो हवाला दिया जा रहा है, उस दिन तो भारत सरकार ने चीनी को डिकंट्रोल किया है । वह हाई कोर्ट के फैसले की तारीख नहीं है, डिकंट्रोल की तारीख है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि १४ अप्रैल के पहले तो हाईकोर्ट का निर्णय नही हुआ था ?

श्री बेनीसिंह—

ठीक तारीख के लिये तो सूचना चाहिये, लेकिन जो जवाब है हमारा उसमें यह साफ है कि हमारी जो प्राइसेज बढ़ी वह हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही बढ़ी ।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का सरकार का आशय यह होता है कि एक तो बाजार की स्थिति न बिगड़ने पाये और दूसरे लोगों को सुविधापूर्वक सही दाम पर सामान मिल सके । अगर आपको दुकान पर १.९० और बाजार में १.८ का भाव रहे तो इस आधार का तो ब्रीच हुआ । इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बेनीसिंह—

जो हमारी कंट्रोल की दुकाने हैं उनके भाव सरकार से फिक्स होते हैं । कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाहर सस्ता होता है । जो दाम फिक्स किया उस पर उन्होंने बेचा, बाहर सस्ता था । हमको एक्सफैक्टरी और थोक और रिटेल लेकर खर्चा देना पड़ता है । इसलिए १.९० हुआ और उसी पर उन्होंने बेचा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जो १.६७ से बढ़कर भाव १.९० हो गया, क्या मंत्री जी बातने की कृपा करेंगे कि यह १.९० भाव निश्चित करने का परिपत्र आपने जिलाधिकारियों को कब भेजा ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

हर जिलाधिकारी अपने जिले में फैक्ट्री के दाम को देखते हुए, उसके आने-जाने के खर्च को देखते हुए तब दाम अपने-अपने जिले में तय करता है। इसी को आधार बनाकर तब प्राइस फिक्स की जाती है अलग-अलग जिलों में। देहातों में दाम कम हुआ और शहरों में उसके दाम बढ़े उसका सही कारण यह है कि उसको लाने आदि में जो व्यय हुआ वह उसमें जोड़ दिया गया।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह तो पूरे प्रान्त का मामला है। किसी स्थान पर कुछ और किसी स्थान पर कुछ दाम नहीं होना चाहिये। इसका तो एक ही आधार मान कर इसको करना चाहिये। मंत्री महोदय का उत्तर ठीक नहीं मालूम होता। इतनी बहस से सदस्यों में कोई सन्तोष नहीं हो रहा है अतः इस पर एक घन्टे के लिये बहस का अवसर प्रदान कर दिया जाय।

श्री राम गोपाल सन्ड—

मान्यवर, खाद्य मंत्री जी इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में जब कि चीनी के दाम रु० १.६७ थे और उन्होंने उसके दाम को २३ पैसे प्रति किलो बढ़ा दिये। आस-पास के जिलों में भी इसको बढ़ाया गया। इस प्रकार से सस्ते गल्ले की दुकानों पर हजारों लाखों रुपये लिये गये। जिन सरकारी कर्मचारियों ने ऐसा किया है उनको दंडित किया जाना चाहिये।

श्री बेनीसिंह—

अगर आप कोई निश्चित बात को बतलायेंगे तो निश्चय ही उसकी जांच करवाई जायेगी।

श्री रामकरन सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने जवाब दिया और राज्य मंत्री जी ने भी जवाब दिया कि जिले-जिले में अलग-अलग दाम चीनी के फिक्स किये गये और सरकार का कोई निश्चित आदेश उसकी कीमत को बढ़ाने के लिये नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारियों ने इसको बढ़ाया अथवा सरकार का कोई निश्चित आदेश इसके बढ़ाये जाने के लिये था। किसी पालिसी के मातहत यह हुआ है अथवा नहीं। उनके कथन से पूरा सवाल कन्फ्यूज हो गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, चीनी के प्रश्न पर कड़ुवाहट उत्पन्न हो गई है। इसके लिये एक घन्टे का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी खाद्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह सरकारी आदेशों के बिल्कुल ही विपरीत है। अलग-अलग जिलों में कीमतें अलग-अलग कभी भी नहीं की जाती हैं। भारत सरकार ने ही केवल अलग-अलग रीजन्स के लिये अलग-अलग कीमतें मुकर्रर की हैं।

जिला परिषद् पौड़ी-गढ़वाल की अनियमिततायें

**२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल १९७० में जब जिला परिषद् पौड़ी-गढ़वाल सुपरसीड किया गया था उस समय क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जिला परिषद्, पौड़ी-गढ़वाल मार्च, १९७० में भंग की गई थी न कि अप्रैल १९७० में। भंग होने की अवधि से पूर्व जो अनियमिततायें पाई ग तथा उन पर जो कार्यवाही की गई संलग्न सूची में अंकित हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१७ पर।)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अनियमितताओं की सूची यहां दी गई है उसके अतिरिक्त अन्य और भी अनियमिततायें हैं जिनकी जानकारी उनको है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिन अनियमितताओं का पता लगा है उनकी सूची माननीय सदस्य को दे दी गई है। इसके अलावा यदि और कोई अनियमिततायें हैं तो उसको वे बतलायें, उस पर भी कार्य किया जायेगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनियमिततायें वहां पर हुई हैं, स्कूल बनाने के लिये जो धन स्वीकृत हुआ वह भवन निर्माण के कार्य में न लगाकर अधिकारियों द्वारा खा लिया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप सूचना दे रहे हैं, मंत्री जी के पास इसको लिख कर भेज दीजिये।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व जिला अध्यक्ष ने जितनी बातों के लिये आदेश दिये हैं उनका लिखित प्रमाण जिला परिषद् कार्यालय में है या नहीं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जो सूचना है उसके आधार पर मैं यह बता सकता हूं कि उन्होंने लिखित आदेश नहीं दिये थे, मौखिक आदेश दिये थे।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो आरोप लगे हैं उनमें गबन का आरोप मुख्य है, तो जिसके कारण यह हुआ वह सरकारी नौकरी में है या नहीं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, कई तरह के आरोप हैं। उन आरोपों की जिलाधीश जांच कर रहे हैं और जिला कार्याधिकारी से भी पूछताछ की जा रही है कि किसके समय में या उनके द्वारा ही अनियमिततायें हुई हैं, इसका स्पष्टीकरण हो जावे।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो चार्जेज उनके खिलाफ हैं, उन पर कब तक आप कार्यवाही कर लेंगे, यानी कोई निश्चित समय होना चाहिये?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

समय बताना मेरे लिये संभव नहीं है, किन्तु इतना मैं बतलाना चाहता हूं कि जिलाधीश गढ़वाल ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और हमारी ओर से उनको आदेश गये हैं कि जितनी जल्दी हो सके वह अपनी रिपोर्ट शासन के पास भेज दें।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

जो अनियमिततायें बतलाई गई हैं, सूची संलग्न है, तो उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधीश, गढ़वाल को जांच करने के लिये लिखा गया है और वह इस सम्बन्ध में अपनी जांच कर रहे हैं। जांच पूरी हो जाने के बाद ही वह अपनी रिपोर्ट शासन को भेज देंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, प्रारम्भिक जांच के पश्चात् ही जिला परिषद् सुपरसीड की गई है, तो अनियमिततायें जिलाधीश के सामने आ चुकी हैं, तो जांच में इतने बिलम्ब की क्या आवश्यकता है। एक साल हो गया है, मंत्री जी, क्या दो तीन महीने का समय निश्चित करेंगे कि जिलाधीश, पौड़ी-गढ़वाल अपनी रिपोर्ट देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद सुपरसीड नहीं हुई बल्कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अल्पकालिक अध्यादेश, १९७० के मुताबिक जिल परिषद् भंग हुई है। भंग होने के बाद अनियमितताओं का पता चला और उन्हीं पर कार्यवाही हो रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उनके उत्तर में लिखा हुआ है लाइब्रेरी तथा कुछ लोगों के भत्ते में गबन किया गया है। जो लोग इसके दोषी पाये गये हैं उन्हें किस प्रकार का दंड दिया जायेगा या किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, जिस धन का गबन हुआ है वह जमा हो गया है और जिन लोगों ने गबन किया उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से लोग थे और आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिलाधीश गढ़वाल ने जो सूचना दी है उससे यह पता लगता है कि उन्होंने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। यह कहना मेरे लिये सम्भव नहीं है कि उन्होंने किसके खिलाफ क्या कार्यवाही प्रारम्भ की है। इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६८-६९ की आडिट रिपोर्ट में कार्याधिकारी के विरुद्ध गबन के विषय में कुछ लिखा गया है और यदि हां, तो क्यों नहीं उन पर मुकद्दमा कायम किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सन् १९६८-६९ की आडिट रिपोर्ट के अनुसार यह अनियमितता पाई गयी कि जिला परिषद का भवन कोटद्वार में था जिसका किराया का नीलाम किया गया जो तीन हजार दो सौ पचासी

रुपये में नीलाम हुआ। वह रुपया समय से जमा नहीं हुआ। यह नीलाम १६ मार्च, १९७० को हुआ था जब कि रुपया जमा हुआ २२ अगस्त, १९७० को। इस बीच वह रुपया या तो कार्याधिकारी के पास रहा या जिलाधीश के पास जमा कर दिया और यह कहा कि यह नीलाम जो हुआ वह कम पैसे में हुआ। इसलिए जिसने नीलाम की बोली बोली उसको रुपया वापस कर दिया जाय और दुबारा नीलाम किया जाय। जिस आदमी ने ठेका लिया था उसने रुपया लेने से इन्कार कर दिया। इसलिए इस रुपये के लौटाने में या कोष में जमा करने में इतना बिलम्ब हुआ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या ४ के लिये मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

प्रश्न सं० ३ का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

इसको मैंने शुक्रवार के लिये कर दिया है क्योंकि मंत्री जी यहां नहीं हैं। वह अपर चैम्बर में हैं।

**३--श्री रियासत हुसैन--

[स्थगित]

ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये आदेश तथा उसके अनुसार शासन द्वारा विभिन्न जिलों को आवंटित धन

**४--श्री मोहम्मद असरार (जिला बदायूं)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, १९७१ से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को समय-समय पर क्या आदेश भेजे और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या-क्या आदेश जिला अधिकारियों को भेजे और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई और किस आधार पर धन का वितरण किया जा रहा है ? क्या सरकार इन सब आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के संबंध में जनवरी, १९७१ से अब तक जो आदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं उनमें मुख्यतः दो स्कीमें शामिल हैं। (१) ग्रामीण निर्माण-कार्य योजना, जो प्रदेश के ६ जिलों सूखाग्रस्त जिलों में चलाई जाने के लिये भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। प्रदेश के मिर्जापुर जिले में इस स्कीम के अन्तर्गत १९७०-७१ में ही काम शुरू हो गया था और अन्य पांच जिले, इलाहाबाद, वाराणसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा में इस वर्ष लागू हो रही है। इन स्कीमों के अन्तर्गत वे स्कीमें ली जा रही हैं जिनमें रोजगार देने की योजना है। इस प्रोग्राम में सड़कें, नहरें, बांध बन्धी के साथ-साथ जंगल लगाने और उसकी संरक्षता के कार्यों पर भी जोर दिया जा रहा है। मिर्जापुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद में स्कीमों का कार्य शुरू हो गया है तथा बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों में भारत सरकार की स्वीकृति आने पर कार्य प्रारम्भ किया जायगा। अभी २१-२३ जून, १९७१ को केन्द्रीय टीम ने ६ जिलों में ११-५४ करोड़ रु० की स्कीमों के लिये धन आवंटन करने का विचार प्रकट किया है। यह धन तीन वर्ष में व्यय होगा। इसका अन्तरिम विवरण जिलेवार इस प्रकार है :--

मिर्जापुर	२-३५ करोड़
वाराणसी	२-१८ करोड़
इलाहाबाद	१-६२ करोड़
बांदा	२-करोड़
हमीरपुर	१-५७ करोड़
जालौन	१-८३ करोड़

जो प्रगति स्वीकृत स्कीमों पर अभी तक हुई है वही परिशिष्ट 'क' में संलग्न है। दूसरी स्कीम जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त हुई है वह प्रदेश के सभी ५४ जिलों में कार्यान्वित की जायेगी। प्रत्येक जिले के लिये १२·५० लाख रु० प्रतिवर्ष ३ सालों तक खर्च किया जायेगा और प्रत्येक जिले में १ हजार व्यक्तियों को वर्ष में १० महीने रोजगार दिया जायगा। मजदूरों के वेतन का अनुमान १०० रु० प्रति माह है और ऐसे व्यक्तियों को काम दिया जायेगा जिनके यहां रोजगार का कोई साधन नहीं है। यद्यपि इस स्कीम में १,००० व्यक्तियों को रोजगार देने का ध्येय मुख्य है इसके साथ इस बात पर भी बल दिया जा रहा है कि योजनायें ऐसी हों जो काफी समय के लिये अपनी स्थिरता बनायें रखे और जिले की आर्थिक प्रगति में समुचित योगदान दे सकें। सड़कों के अभाव को देखते हुए अधिक धन सड़कों पर ही व्यय करने का विचार है। वैसे सड़कों के अलावा गूल, पानी के निकास की नालियों, तालाबों को गहरा करना, बन्धियां, भूमि संरक्षण इत्यादि की योजनायें भी शामिल हैं। स्कीमें भारत सरकार के परामर्श से बनाई जा रही हैं। पहले यह विचार था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में जिन सड़कों को बनाने का लक्ष्य है उन सड़कों पर इस त्वरित योजना के अन्तर्गत मिट्टी डलवाने का कार्य करा लिया जाये क्योंकि इस कार्य में मजदूर अधिक लगते हैं और सामग्री पर व्यय कम होता है। उसके पश्चात योजना के उपलब्ध धन के सहारे से इन सड़कों को पक्की करा लिया जाय। मिट्टी के कार्य को त्वरित योजना में कराने से जो धन योजना का अवशेष रह जाता है उसे अन्य नये सड़कों पर लगाने का विचार शासन का था परन्तु भारत सरकार ने इस राय पर अपनी सहमति देने में कठिनाई प्रकट की, और चाहा है कि त्वरित योजना के अन्तर्गत जो भी सड़कें बनाई जायें वह चौथी पंचवर्षीय योजना की सड़कों से बिल्कुल भिन्न हों। इस विचार के अनुसार सभी जिलों से पुनः योजनायें बनवाई जा रही हैं। एक कठिनाई जो सामने आ रही है वह यह है कि भारत सरकार पक्की सड़कों के बनाने पर जोर दे रही है अर्थात् बिटुमिनकोट की सड़कें। ऐसी सड़कों पर, सामग्री पर क्योंकि अधिक व्यय होता है, और मजदूरी की दर आजकल काफी ज्यादा है इसलिये कुछ जिलों में ऐसी सड़कों के बनाने के साथ-साथ १,००० व्यक्तियों को रोजगार देने में कठिनाई हो रही है। भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह बिटुमिनकोट की सड़कों पर अधिक बल न दे और दो कोट कंकड़ की सड़कों के बनाने की स्वीकृति दे दें। वैसे भारत सरकार से ६७५ लाख रु० व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसमें से १६८·७५ लाख रु० प्रथम त्रैमास में व्यय करने के लिये भी अनुमति मिल गई है। क्योंकि काम ज्यादातर वर्षा के बाद ही शुरू होगा अभी उक्त स्वीकृति में से कोई धन का व्यय नहीं हुआ है। योजना को प्राथमिकता दी जा रही है और यह अनुमान है कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी हो जायेगी और स्कीमों पर जिलों में भौतिक प्रगति होना शुरू हो जायेगा।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१८–५१९ पर)

श्री अध्यक्ष ––

यह आपका उत्तर बहुत लम्बा है, इसमें तो काफी समय निकल जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) ––

इस उत्तर की प्रतियां हम लोगों को बटवा दीजिये, और कल इसको ले लीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर) ––

यह ठीक है सब को उत्तर बटवा दीजिये, कल हम लोग प्रश्न कर लेंगे।

श्री बलदेवसिंह आर्य ––

मैं जवाब देने को तैयार हूं, आपकी आज्ञा है तो मैं बटवा दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह---

कल इसको प्रश्न संख्या १ पर रख दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

इसी नम्बर पर आयेगा । ३ और ४ कल लिय जायेंगे । उत्तर की प्रतियां माननीय मंत्री जी बटवा दें ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

इस उत्तर से ऐसा लगता है कि इलाहाबाद के लिये बहुत कम रकम रखी है, उसे बढ़ाने की मंत्री जी कृपा करें ।

(तदनन्तर 'ख' के प्रश्न ३--४ पुकार जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

कल एक रूलिंग हो चुकी है श्रीमन् कि मेम्बर न भी रहें, तब भी उसका प्रश्न सदन में लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

कोई इंटरेस्टेड हैं तो आखिर में लिया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

हम तो इसी समय इंटरेस्टेड हैं । वह हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप आये हैं । आखिर में लिया जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय अध्यक्ष जी, यह रोजी-रोटी का सवाल है । राजेश्वर सिंह जी आ गये हैं । इस प्रश्न को ले लीजिये । स्वाभाविक है कि ऐसे प्रश्न में सारे प्रदेश को दिलचस्पी होती है । मंत्री जी तैयार हैं

श्री अध्यक्ष---

मैं दूसरे को बुला चुका ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*१---श्री राम गोपाल सण्ड---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विभिन्न प्रदेशों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन का निर्णय

*२---श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित), श्री राजेश्वर सिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित) तथा श्री शौनाथ सिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या यह सही है कि अभी देहली में २५/२७ जून, सन् १९७० को या इसके लगभग कोई चीफ सेक्रेटरी भिन्न-भिन्न प्रान्तों की कान्फ्रेंस

हुई जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, आई० टी० आई० के ट्रेन्ड दस्तकारों को अपना जातीय काम शुरू करने में रोजगार पाने के लिये कारगर बनाने के ख्याल से अप्रेंटिशिप स्कीम को बढ़ावा देने और ट्रेनिंग प्रोग्राम को कारामद बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया ? यदि हां, तो सरकार यह बतायेगी कि इस कान्फ्रेस में क्या-क्या निर्णय लिये गये और क्या-क्या स्कीमें तैयार हुईं और क्या उत्तर प्रदेश के सेक्रेट्री ने इस सम्मेलन में कोई भाग लिया और कोई स्कीम इस कान्फ्रेस के द्वारा सरकार के पास आई है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गनेशदत्त वाजपेयी)—

जी हां, इस कान्फ्रेस से मुख्यतः भारत सरकार सम्बन्धित थी, अतः उनसे आवश्यक सूचना मंगाई गई जिसके अनुसार देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में २६ तथा २७ जून, १९७० को समस्त राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन बुलाया था। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया था:—

१—मुख्य सचिव
२—आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास
३—उद्योग एवं श्रम सचिव
४—निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
५—कृषि निदेशक

उक्त सम्मेलन में यह तय हुआ कि जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उन पर प्रादेशिक सरकारें कार्यान्वित करने में प्राथमिकता देंगी। कान्फ्रेस में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय सम्मिलित थे:—

(१) छोटे तथा मुख्य रूप से व्यावहारिक किसानों का विकास।

(२) आंशिक रूप से किसान तथा खेतिहर मजदूर का विकास।

(३) लगातार सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण-कार्य तथा श्रम-साध्यकार्य।

(४) परम्परागत सेवा। ट्रेक्टरों तथा अन्य मशीनों का अनुरक्षण और मरम्मत, भूमि-विश्लेषण खाद, बीज आदि के विक्रय की व्यवस्था के लिए कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना।

(५) वाणिज्यिक बैंकों से कृषि ऋण देना।

(६) जल विहीन खेती की योजना, इन केन्द्रों के साथ जुड़े हुए निदर्शन क्षेत्र तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना।

(७) ग्रामीण बाजार, सहायक सड़कों आदि सहित छोटी-मोटी सुविधाओं का विकास, बाजार सर्वेक्षण, नियमित बाजारों का विकास तथा बाजार समितियों के कार्य, बाजार समितियों के लिए सांस्थानिक वित्त-व्यवस्था।

(८) कच्चे माल के वितरण, साख-सहायता तथा मशीनों का किराया खरीद के विशेष सन्दर्भ में लघुउद्योगों तथा सहायक उद्योगों का विकास।

(९) इंजीनियरिंग स्नातकों तथा उपाधि-पत्रधारी व्यक्तियों में रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सुविधायें।

(१०) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार तथा उपस्थापन (स्थितिनिर्धारण), इंजीनियरिंग स्नातकों तथा उपाधि पत्रधारियों को सम्मिलित करने के लिये शिक्षार्थी अधिनियम का संशोधन, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का उपस्थापन तथा इंजीनियरिंग स्नातकों उपाधिपत्रधारियों तथा तृतीय श्रेणी के प्रमाण-पत्रधारी व्यक्तियों तथा प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण जिससे वे स्वयं काम करके अपनी जीविका चला सकें, तार मिस्त्री तथा विद्युत् विशेषज्ञ का प्रशिक्षण, छोटे कारीगरों के कार्यक्रम का गठन।

(११) जीवन-वृत्ति तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार एवं प्रशिक्षण महा-निदेशालय के मुख्यालय में जीवन वृत्ति विषयक अध्ययन केन्द्र की स्थापना, रोजगार सेवा को सुदृढ़ करना, रोजगार बाजार सूचना को सुदृढ़ करना, व्यावसायिक मार्ग-दर्शन सुविधाओं का विस्तार, क्षेत्रीय दक्षता सर्वेक्षण, रोजगार की नवीन संभावनाओं के बारे में जिला सर्वेक्षण।

(१२) राज्यों में जनशक्ति प्रशासन तथा योजना सम्बन्धी कार्य का गठन, केन्द्र के साथ सम्पर्क के लिए व्यवस्था ।

इसके अलावा कान्फ्रेस में और कोई निर्णय नहीं लिये गये, और कोई नई योजना नहीं बनाई गई थी।

राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिधौली, जिला सीतापुर में भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ियां

*३—श्री श्याम लाल रावत (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय कन्या उच्चतर विद्यालय, सिधौली, जिला सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ियों के कारण शासन द्वारा आर० आई० जी० एस०, मन्डल, लखनऊ को अविलम्ब जांच एवं विद्यालय से सम्बन्धित कागजात सील्ड किये जाने के आदेश हुये हैं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

जांच के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे परन्तु रिक र्ड सील करने के आदेश शासन द्वारा नहीं दिये गये। जांच के विषय में अभी अन्तिम रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

*४—श्री श्यामलाल रावत—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि राष्ट्रीय कन्या उच्चतर विद्यालय, सिधौली, जिला सीतापुर की प्रधानाध्यापिका ने १ जनवरी, १९७१ से १५ जनवरी, १९७१ के बीच में अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति के खिलाफ थाना सिधौली, जिला सीतापुर में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां। चूंकि मामला पुलिस के गरदस्तंदाजी का था इसलिये पुलिस द्वारा कोई कार्य वाही नहीं की गई।

श्री श्यामलाल रावत—

क्या मंत्री जी जानकारी प्राप्त करके कि भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ियों क कारण विद्यालय में लगभग ४५० छात्राओं में से ६० छात्राएं ही रह गयी हैं, विद्यालय की मान्यता एवं वित्तीय सहायता बन्द कर देंगे ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, छात्राएं कम हो गयी हैं। पढ़ाई नहीं हो पा र ही है। यह बात सही है। मान्यता के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी कि उसे बन्द कर दें।

रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित कन्या पाठशाला की प्रिंसिपल उमा गुप्ता की नियुक्ति का अप्रूवल शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, द्वारा नहीं है इसलिये प्रबन्धक समिति ने नियमानुसार नोटिस दे कर निकाल दिया है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

यह बात सही है कि उनका अनुमोदन नहीं हुआ है और उनको निकालने की नोटिस दे दी गयी। वह कोर्ट में चली गयीं। वहां से स्टे ले आयीं।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त संयुक्त शिक्षा निर्देशिका (महिला) जब बांदा में आर० आई० जी० एस० थीं उस समय तोमर वैश्य बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल, बांदा में श्रीमती गुप्ता भी प्रधानाचार्या थीं? यह प्रधानाचार्या कितने समय तक सम्बन्धित स्कूल बांदा में रहीं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामलाल राही—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि सम्बन्धित सिधौली के कन्या विद्यालय को मान्यता मिले दो वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक सरकार से एक पैसा भी सहायता नहीं मिली है?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

यह तो मान्यता मिल जाने पर ही नहीं होता है। इसके प्रबन्ध में जब गड़बड़ और अनियमितताएं हैं, झगड़ा भी है तब तो यह सब रहेगा ही।

श्री रामलाल राही—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि झगड़ा किसका है, क्या प्रधानाचार्या को हटा देने का समिति का झगड़ा है या कोई और है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

बहुत सी शिकायतें थीं, उसके हिसाब-किताब के झगड़े की, उसकी जांच करायी गयी, और बाद में जब प्रधानाध्यापिका को पद से अलग किया गया, तो आपस में झगड़ा हुआ, जलस निकला, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखायी गयी मारपीट की। यह सब किस्से हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय—

मान्यवर, इस चीज को देखते हुये कि इस साल इस विद्यालय में इतनी गड़बड़ियां हुई है कि लड़कियों की संख्या घटकर केवल ६० रह गई है और वहां पर कोई पढ़ाई-लिखाई का कार्य नहीं चल रहा है, शिक्षा मंत्री कोई ऐसा प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे जिससे कि विद्यालय भी चलता रहे और उन गड़बड़ियों की भी जांच होती रहे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, विधान के अनुसार हमें नियमानुकूल कार्यवाही करनी पड़ती है। जहां पर गड़बड़ी वगैरह होती है उसकी पहले जांच-पड़ताल की जाती है, उसके ऊपर आलेख्य बनता है और उसके बाद प्रशासकीय नियुक्ति होती है। अभी इस कालेज की जांच चल रही है अतः कोई कार्य हम नहीं कर सकते हैं।

श्री राम लाल राही—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कपा करेंगे कि शासन न वहां पर एक आडिट पार्टी २३ अप्रैल को भेजी थी, उस विद्यालय का आडिट २३ अप्रैल से २ मई, ७१ तक हो चुका है और आडिट रिपोर्ट में कोई अनियमितता नहीं बताई गई है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

वह रिपोर्ट अभी शासन के पास नहीं आई है ।

राजकीय महाविद्यालय नैनीताल में हिन्दी प्रवक्ताओं की नियुक्ति में परिगणित जाति का प्रतिनिधित्व

*५—श्रीमती सरस्वती टम्टा (जिला अल्मोड़ा)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, ननीताल में सन् १९६५ से १९७० तक कितने प्रवक्ता (हिन्दी) अस्थायी रूप में नियुक्त किये गये ? इनमें से कितने स्थान परिगणित जाति को दिये गये ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इस अवधि में ६ प्रवक्ता नियुक्त किये गये जिनमें परिगणित जाति का कोई नहीं है ।

श्री धर्मबीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल में नियुक्ति के समय जो विज्ञप्ति की सूचना दी गई थी कि हरिजनों और परिगणित जाति के अभ्यर्थियों की इतनी सीटें सुरक्षित हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इनकी विज्ञप्ति नहीं होती । शासन के भी यह आदेश हैं कि जैसे-जैसे सीटें खाली होती हैं वैसे-वैसे उनको भरती कर दिया जाता है....

श्री धर्मबीर—

क्या शासन की तरफ से कुछ ऐसे आदेश दिये गये हैं कि हरिजन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाये ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

आदेश तो ऐसे नहीं हैं लेकिन उनका विचार रखा जाता है और यदि अच्छे अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो उनको रख भी लिया जाता है ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं यह जानना चाहता हूं कि जब लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त की जाती है तो परिगणित जाति और हरिजन जाति के अभ्यर्थियों के लिये जो आधार है, तो क्या शासन उस आधार पर विचार नहीं करता है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

शासन के जो आदेश और नीतियां हैं उन्हें पूरा किया जाता है । किन्तु इस विद्यालय में तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं किन्तु उसमें कोई आवेदन किसी परिगणित जाति के अभ्यर्थी का नहीं था ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नियुक्ति की गई है उस अवधि में क्या इन नियुक्तियों के अलावा भी कोई आवेदन-पत्र इन पदों के लिये आए थे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

ऐसा कोई आवेदन-पत्र नहीं था ।

पौड़ी-गढ़वाल में औद्योगिक सहकारी समितियों का पंजीकरण

*६---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौढ़ी-गढ़वाल में सहकारिता के आधार पर कितनी उद्योग समितियां पंजीकृत हैं ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)---

जिला पौढ़ी-गढ़वाल में अब तक ३१ औद्योगिक सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ।

*७---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या उद्योग मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी सहकारी उद्योग समिति का पंजीकरण सरकार समाप्त करने की सोच रही है ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

जी हां । इस जिले की तिब्बती शरणार्थी सहकारी समिति लिमिटेड, बुवाबाल, पौढ़ी-गढ़वाल के परिसमापन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का उत्तर जरा दुबारा पढ़वा दीजिये ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

न पहला समझ में आया और न दूसरा ही समझ में आया ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

चूंकि स्टेट मिनिस्टर साहब किसी वजह से ठीक से उत्तर नहीं पढ़ पाये हैं, आप ही बता दीजिए कि उन्होंने क्या पढ़ा है अथवा किसी और से पढ़वा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होने तो बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ा है । एक-एक लफ्ज अलग-अलग कहा है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

अगर एक-एक लफ्ज अलग-अलग कहा जायगा तो उससे क्या सेन्स निकलेगा ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

यदि किसी माननीय सदस्य को स्पष्ट सुनायी नहीं पड़ा तो मैं दुबारा पढ़े देता हूं ।

(प्रश्नों का उत्तर दुबारा पढ़ा गया)

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि तिब्बत शरणार्थी सहकारी समिति को समाप्त करने की सोचने के लिये सरकार के पास कौन से कारण हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

यह सहकारी समिति तिब्बत से लौट कर आये हुए लोगों के लिये बनायी गयी सन् १९६४ में। लेकिन सन् १९६५ में वे सब लोग यहां से चले गये। इसलिये उसको संचालन करने वाला कोई नहीं रह गया। उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। इसलिये सरकार इसको समाप्त करने पर विचार कर रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसको समाप्त करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया ? और अगर तिब्बती शरणार्थी नहीं हैं तो कौन लोग इसको अभी तक चला रहे हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

गोपनीय विभाग ने कुछ सामान खरीदकर तिब्बती शरणार्थियों के लिये यह समिति बनायी थी इसलिये गोपनीय विभाग की स्वीकृति भी इसमें आवश्यक थी। वह स्वीकृति उनसे प्राप्त की जा रही है और बहुत जल्दी ही इसका समापन कर दिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह--

जिन सहकारी समितियों का पौढ़ी-गढ़वाल में जिक्र किया गया है क्या उनमें एक सहकारी समिति, लीसा उद्योग संघ सहकारी समिति, कोटद्वार भी है और क्या यह बात सरकार की नोटिस में आयी है कि यह संघ जंगलात विभाग से लीसा लेकर ब्लैक मार्केट में बेचता है ?

श्री देवकीनन्द विभव--

ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आयी लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई शिकायत लिख कर देंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि तिब्बती शरणार्थियों के लिये वह सहकारी समिति बनायी गयी थी और अब वह नहीं रह गये इसलिये सरकार उसको बन्द करने पर विचार कर रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तिब्बत के शरणार्थी तो चले गये तो अब बंगला देश के शरणार्थियों को ले जाकर उस सहकारी समिति में काम लेंगे और उसको भंग न करेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

वह सहकारी समिति तो तिब्बत के शरणार्थियों के लिये ही बनायी गयी थी लेकिन अगर बंगला देश के शरणार्थियों की कोई ऐसी आवश्यकता होगी तो ऐसी समिति बनायी जायगी।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि १९६५ में तिब्बती शरणार्थी चले गये। तो १९६५ से १९७१ तक वह सहकारी समिति चलती कैसे रही ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

अभी वह बन्द पड़ी थी और उसके प्रोसेसिंग की कार्यवाही हो रही थी। मैं यह जरूर स्वीकार करता हूं कि उसमें बिलम्ब हुआ लेकिन अब बहुत जल्दी उसको समापन करने का कार्य किया जा रहा है।

श्री इन्द्रमणि--

प्रश्न संख्या ६ के संबंध में बतलाया गया है कि ३१ समितियां पंजीकृत हुई हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इनमें कितनी समितियां ऐसी हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

यह सही बात है कि इनमें से बहुत सी सहकारी समितियां अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं। कुछ सहकारी समितियां अच्छा काम कर रही ह लेकिन कुछ शिथिल हैं। ऐसी समितियों के समापन के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

श्री इन्द्रमणि—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो समितियां ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं उनको खतम करने की बात क्यों नहीं सोची गई जबकि इस तिब्बती सहकारी समिति को खतम किया जा रहा है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जो नई समितियां बनाने का कार्य है वह तो विभाग अपना प्रयत्न करता है लेकिन हमारे माननीय सदस्यों को भी नई समितियां बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तिब्बती शरणार्थी सहकारी समिति बन्द करने जा रहे हैं उसमें सरकार का कोई बकाया है या नहीं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जो समिति बनाई गई थी उस पर गोपन विभाग ने कुछ खर्च किया था और वह सहकारी समिति उनके उपयोग के लिये ही बनाई गई थी। अब जो सामान है वह गोपनीय विभाग का है और उनके आदेश पर ही उसको बेंचा जायगा।

श्री रामलाल भाई—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सोसायटी रजिस्टर्ड की गई उनको कितना लोन दिया गया और उसकी वसूली का प्रबन्ध कर रहे हैं या नहीं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

उनको कोई लोन नहीं दिया गया।

श्री राममूर्ति अंचल—

जो समिति ठीक काम नहीं कर रही हैं तो इसका यह अर्थ हुआ कि वह गलत काम कर रही हैं और धन का दुरुपयोग कर रही हैं तो उन समितियों के विरुद्ध कोई जांच की कार्यवाही की है या नहीं, ऐसी समिति को ही समाप्त किया जा रहा है या जो ठीक काम कर रही हैं, उनको भी समाप्त कर रहे हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जो ठीक काम नहीं कर रही हैं इसका मतलब यह है कि वह कार्यरत नहीं हैं, ऐक्टिव नहीं हैं। माननीय सदस्य को यदि कोई शिकायत मालूम हो तो वह जरा लिखकर भेज दें उसका इन्तजाम किया जायगा।

[दिनांक १५ जुलाई, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री घनश्याम, सहायक अध्यापक राजकीय दीक्षा विद्यालय, उन्नाव के अवशेष वेतन का भुगतान

*१—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) तथा श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आदर्श विद्यालय, उन्नाव संलग्न राजकीय दीक्षा विद्यालय के श्री घनश्याम, सहायक अध्यापक सितम्बर, १९५३ से ३ अक्तूबर, १९६४

तक कार्य सेवा से पृथक रहे तथा उनको सितम्बर, १९५३ से मई, १९५४ तक का वेतन भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो १ जून, १९५४ से ३ अक्तूबर, १९६४ तक का वेतन भुगतान न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी हां ।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में बिल (जून, १९५४ से ३ अक्तूबर, १९६४) अनुसंधान हेतु पड़ा है ।

*२--श्री सजीवनलाल तथा श्री भगवतीसिंह विशारद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त अध्यापक हाई कोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ के १७ जनवरी, १९६४ के फैसले के आधार पर और श्री बी० एस० स्याल, शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के आदेश सं० एच (३४) ३ एक्स ६ (१५)/६४-६५, दिनांक २६ सितम्बर, १९६४ के द्वारा ४ अक्तूबर, १९६४ से राजकीय सेवा में कार्यरत रहे ? क्या सरकार उपरोक्त अवधि का अवशेष वेतन शीघ्र भुगतान करने का आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी हां ।

आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

श्री सजीवन लाल--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि महालेखाकार के कार्यालय में बिल कब भेजा गया और कब तक पास होकर आ जायगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

यहां से लिखकर चला गया है वह जांच कर रहे हैं। जांच में कुछ समय लगेगा। जैसे ही बिल आयेगा उनको भुगतान कर दिया जायगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न सरकार के पास कितने दिन से विचाराधीन पड़ा है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

यह तो सन् १९६५ से चल रहा है ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें

*३--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का कोई शिष्ट-मंडल दिनांक ९ अप्रैल, १९७१ को मुख्य मंत्री जी से मिला था और उन्हें अपनी मांगों से सम्बन्धित

नोटः--तारांकित प्रश्न १-२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस ज्ञापन में उल्लिखित मांगें क्या-क्या हैं ? सरकार ने उनमें से किस-किस मांग को स्वीकार कर लिया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी हां । ज्ञापन की मांगों का ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५२० पर)

सरकारी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के समान वतन-क्रम व महंगाई भत्ते

*४--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के समान वेतन-क्रम व महंगाई भत्ता प्रदान करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सहायता प्राप्त उच्चतर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय हो चुका है । सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के समान वेतन-क्रम देना सम्भव नहीं है ।

जिला पौड़ी-गढ़वाल के पौढ़ी तथा कोटद्वार स्थानों पर डिग्री कालेजों का खोला जाना

*५--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७०-७१ में जिला पौड़ी-गढ़वाल में पौड़ी तथा कोटद्वार में जो दो राजकीय डिग्री कालेज खोलने के लिये धन की व्यवस्था की गई थी, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति कब प्रसारित की गई है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

पौड़ी तथा कोटद्वार में राजकीय डिग्री कालेज खोलने के लिये वर्ष १९७०-७१ में धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । अतएव प्रशासकीय स्वीकृति प्रसारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, पौड़ी जिला गढ़वाल में प्रधानाचार्य की नियुक्ति

*६--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, पौड़ी, जिला गढ़वाल में प्रधानाचार्य का पद कब से रिक्त है ? और कब तक उस पद पर नियुक्ति हो जायगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

पद दिनांक २० जून, १९६९ को रिक्त हुआ था, परन्तु उसी समय पर तदर्थ नियुक्ति कर दी गई । स्थायी नियुक्ति शासन के विचाराधीन है ।

कानपुर जिलान्तर्गत थाना मंगलपुर के थानाध्यक्ष द्वारा भारतीय क्रान्ति दल के कार्यकर्ता, श्री इन्द्रजीत सिंह का अपमान

*७—चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के थाना मंगलपुर के थानाध्यक्ष ने ६ फरवरी, १९७१ को भारतीय क्रान्ति दल के कार्यकर्त्ता श्री इन्द्रजीत सिंह जी को जो लोक सभा के उम्मीदवार, श्री केशरी लाल के प्रचार में गये थे, को जबरदस्ती पकड़ कर मारा अपमानित किया और थाने में कई घंटों बैठाले रखा तथा चुनाव प्रचार करने से मना किया जिसकी लिखित शिकायत श्री इन्द्रजीत ने उच्च अधिकारियों और शासन को की है ? यदि हां, तो घटना क्या है तथा इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

थाना मंगलपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। उस पर जांच कराई गई। आरोप असत्य पाये गये। अतः थानेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

इलाहाबाद जिले में डकैतियां

*८—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ जुलाई, १९७० से ३१ दिसम्बर, १९७० तक इलाहाबाद जिले में कितनी डकैतियां पड़ीं ? इनमें कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुये तथा कितने का सामान लूटा गया ? पुलिस अधिकारियों ने इन डकैतियों से सम्बन्धित कितने डाकुओं को पकड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१ जुलाई, १९७० से ३१ दिसम्बर, १९७० तक इलाहाबाद जिले में ९१ डकैतियां पड़ने की सूचनाएं विभिन्न स्थानों में दर्ज कराई गई जिनमें से जांच के बाद दस रिपोर्ट झूठी पाई गईं। डकैती की शेष ८१ वास्तविक घटनाओं में ५ व्यक्ति मारे गये तथा १०१ घायल हुये और १,७७,९६३ रुपया ३० पैसे का माल लूटा गया। इन डकैतियों के सिलसिले में पुलिस ने ३६४ डाकू गिरफ्तार किये और १२८ डाकुओं ने आत्म समर्पण किया।

लखीमपुर तथा पीलीभीत जिलों में नक्सलपंथियों द्वारा हत्यायें तथा डाके

*९—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर तथा पीलीभीत जिलों में नक्सलपंथियों द्वारा जुलाई, १९७० से अक्तूबर, १९७० तक कितनी हत्यायें की गईं तथा डाके डाले गये ? सरकार उन्हें रोकने के लिये कौन से पग उठा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नगत अवधि में लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत में नक्सलपंथियों द्वारा हत्या की गई अथवा डाके डाले जाने की कोई घटना नहीं हुई। सामान्य रूप से नक्सलपंथियों की गतिविधियों के प्रति सरकार जागरूक है और आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है।

सरकारी सचिवालय में निजी सचिवों एवं वैयक्तिक सहायकों के पद

*१०—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी सचिवालय में निजी सचिवों और राजपत्रित वैयक्तिक सहायकों के कितने पद प्रमोशन पोस्ट हैं तथा कितने सेलेक्शन ग्रेड के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश सचिवालय में निजी सचिवों, वैयक्तिक सहायक (ग्रेड--१) के निम्न पद हैं:--

	रु०	पद
१--निजी सचिव (ग्रेड--१)	९००-१,१५०	२
२--निजी सचिव (ग्रेड--२)	८००-९५०	४
३--निजी सचिव (ग्रेड--३)	५१५-७१५	१६
४--वैयक्तिक सहायक (ग्रेड--१)	३५०-५५०	३०

निजी सचिव (ग्रेड--३) के पद मंत्रियों, राज्य मंत्रियों की संख्या के अनुसार, यदि आवश्यक होता है, तो बढ़ा दिये जाते हैं। इस समय निजी सचिव (ग्रेड--३) के २९ पद चल रहे हैं। हाल ही में एक पद मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव का (रु० १,१५०-१,२५०) के वेतनमान में सृजित किया गया है। सेलेक्शन ग्रेड के कोई पद नहीं हैं।

वाराणसी के संस्कृत विद्यालय के शिक्षा शास्त्री डिग्री को बी० एड० के बराबर मान्यता

*११--श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री की शिक्षा को बी० एड० के बराबर ही मान्यता प्रदान की गई है? यदि हां, तो यू० पी० बोर्ड के कैलेंडर में इसे शामिल क्यों नहीं किया जा सका?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

शाहजहांपुर कोतवाली के दरोगा, शेरसिंह, द्वारा एक खोंचे वाले को पीटे जाने के फलस्वरूप मृत्यु

*१२--श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)--

क्या गृह मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर शहर में दिनांक २८ अथवा २९ मार्च, १९७१ को कोतवाली के दरोगा, शेरसिंह ने एक खोंचे वाले को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई जिससे शहर में भयानक असन्तोष व्याप्त है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

झन्डाकलां शाहजहांपुर निवासी श्री रामपाल सिंह ने दिनांक २८ मार्च, १९७१ की रात थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि थाना कोतवाली के सब-इन्सपेक्टर, श्री शेरसिंह और कुछ कांनिस्टेबुलों ने उनके भाई, चन्द्रपाल सिंह को इतना मारा कि वह मर गया। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज करके जांच की गई तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध धारा ३०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चार्जशीट प्रेषित की गई। घटना के समय जनता में कुछ असन्तोष व्याप्त हुआ था पर अब ऐसी कोई बात नहीं है।

जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत थाना जैतीपुर के ग्राम खुरमानपुर में दिन दहाड़े लूट

*१३--श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री उमाशंकर शुक्ला--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में ग्राम, खुरमानपुर में १ अगस्त, १९७० से १५ मार्च, १९७१ तक जो दिन दहाड़े चरनसिंह नाम के बदमाश

और उनके साथियों ने अनेक बार लूट की और चरन सिंह पर ३९२ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत नामजद रिपोर्ट भी लिखाई गई तथा प्रश्नकर्त्ता ने भी उपरोक्त अवधि में लिखितरूप से मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव, आई० जी० तथा पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर का भी ध्यान आकर्षित किया ? यदि हां, तो क्या आज तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १ अगस्त, १९७० से १५ मार्च, १९७१ तक की अवधि में चरन सिंह अथवा उसके साथियों के विरुद्ध ग्राम खुरमानपुर में किये गये अपराध के सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर केवल दो रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं तथा प्रश्नकर्त्ता का भी पत्र प्राप्त हुआ था । चरन सिंह और उसके साथियों के विरुद्ध थाने पर एक रिपोर्ट धारा ३९२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी और एक अन्य रिपोर्ट केवल चरन सिंह के साथियों ही के विरुद्ध धारा ३९५, ३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी । विवेचनोपरान्त दोनों मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई ।

राजकीय हाई स्कूल, नारायण बगड़ तथा गैरसेड, जिला चमोली का उच्चीकरण

*१४—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल, नारायण बगड़ तथा गरसेड जनपद चमोली का उच्चीकरण कब तक हो जायगा ? क्या उक्त विषय में जनता द्वारा शासन को कोई ज्ञापन हाल में प्राप्त हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कथित विद्यालयों के उच्चीकरण के लिये शासन को स्थानीय जनता से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं । इन विद्यालयों का उच्चीकरण किया जावेगा या नहीं, यदि किया जावेगा तो कब तक, यह अभी बतलाना संभव नहीं है ।

हरनारायण इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा, जिला एटा में प्रशासक की नियुक्ति तथा कालेज के प्रधानाचार्य के वेतन का भुगतान

*१५—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि हरनारायण इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा, जिला एटा में गबन तथा अनियमिताओं की जांच के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक एटा ने इस कालेज में इन्टर मीडियेट एजूकेशन ऐक्ट की धारा १६ डी० के अनुसार प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव जुलाई, १९७० में उच्चाधिकारियों को भेजा था ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां ।

इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट की धारा १६-डी (२) के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित की जा रही है ।

*१६—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि प्रबन्धक, हरनारायण इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा, जिला एटा अपने प्रधानाचार्य को करीब दो वर्षों से वेतन नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां, वेतन भुगतान सम्बन्धी तथ्यों की जांच करने के उपरान्त कानूनी स्थिति को देखा जा रहा है। कानूनी स्थिति स्पष्ट होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जिला टेहरी-गढ़वाल के रियासत कालीन शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतन मान

*१७—श्री गोविन्द सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जिला टिहरी गढ़वाल के रियासत कालीन शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतनमान देने का कब निश्चय किया था और यह वेतनमान कौन सी तारीख से दिया जाना था तथा ३१ मार्च, सन् १९७१ तक कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनको पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर पिछले एरियर्स नहीं दिये गये हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहारनपुर की शुगर मिल के मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

*१८—श्री गोविन्द सिंह तथा श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ५ अप्रैल, १९७१ को क्या देवबन्द, जिला सहारनपुर के शुगर मिल के मजदूरों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया ? यदि हां, तो उसमें कितने मजदूर मरे, कितनों की हड्डियां टूटीं, कितनो को अन्य चोटें आईं और कितने गिरफ्तार कर लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। किसी मजदूर की हड्डी टूटने की रिपोर्ट नहीं है। एक मजदूर को जिसे इस घटना में चोटें आई थीं, अस्पताल पहुंचाने के बाद मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग १२० मजदूरों को चोटें आईं तथा १२० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर द्वारा लिये गये सरकारी ऋण की अदायगी

*१९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर को सरकार ने संचालन हेतु ५० लाख रुपये दिये थे ? यदि हां, तो कब और उस ऋण की अदायगी की शर्तें क्या थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

यह ऋण मार्च, १९५६ में ५ प्रतिशत की ब्याज की दर पर दिया गया था। समय से किश्तों का भुगतान न किये जाने की दशा में साधारण ब्याज अतिरिक्त १ प्रतिशत दंडित ब्याज रखा गया था। ऋण ब्याज सहित दस वार्षिक समीकृत किस्तों में ऋण दिये जाने की तिथि से दो वर्ष के बाद से अदा किया जाना था।

पूर्णकालिक प्रशासनाधिकरण के विचाराधीन मामले

*२०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय दो पूर्णकालिक प्रशासनाधिकरण (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक इनको जांच के लिये वर्ष १९७० के दौरान कितने मामले सौंपे गये और ऐसे मामलों में ट्रिब्यूनल ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। वर्ष १९७० के दौरान दोनों प्रशासनाधिकरणों को कुल २१ मामले जांच के लिये दिये गये। इनमें से किसी मामले में ३१ दिसम्बर, १९७० तक रिपोर्ट नहीं आई। परन्तु अब वर्ष १९७० में भेजे गये मामलों में से ७ मामलों में रिपोर्ट आ गयी हैं। इनमें से दो मामलों में कठोर दंड तथा ५ मामलों में हल्का दण्ड दिये जाने की सिफारिशें की गयी हैं।

आजमगढ़ जिले के ग्राम सादी पट्टी निवासी कैलास सिंह द्वारा मुबारकपुर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट

*२१—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर के अन्तर्गत सादी पट्टी में २४ दिसम्बर, १९६९ को कैलाश सिंह, पुत्र रामसिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसकी अपराध संख्या १५५/६९ दन्ड विधि संहिता की धारा १२३/१४७/१४८ के अन्तर्गत रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री सर्किल इन्सपेक्टर की रिपोर्ट की प्रति सदन के मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २४ दिसम्बर, १९६९ को नहीं वरन् दिनांक २५ दिसम्बर १९६९ को श्री कैलाश सिंह, पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम सादी पट्टी की रिपोर्ट पर थाना मुबारकपुर में एक मुकदमा धारा ३२३/१४७/१४८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम हुआ। इसकी जांच के संबंध में सर्किल इन्सपेक्टर की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५२१–५२२ पर)

*२२—श्री दल सिंगार यादव—

क्या यह बात सत्य है कि सर्किल इन्सपेक्टर ने उक्त मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी ? यदि हां, तो किस तारीख में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उक्त मामले में थानाध्यक्ष, मुबारकपुर ने अपनी तथा सर्किल इन्सपेक्टर की जांच के फलस्वरूप दिनांक ७ अप्रैल, १९७० को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की थी। उसे रद्द करके आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा गया है।

राव राम बख्श सिंह, नेशनल इन्टर कालेज, जिला उन्नाव में अधीकृत नियंत्रक (अथराइज्ड कन्ट्रोलर) की नियुक्ति

*२३—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री विधान सभा द्वितीय सत्र १९७० के ३रे बुधवार के प्रश्न संख्या २४ के सन्दर्भ में बतायेंगे कि राव राम बख्स सिंह नेशनल इन्टर कालेज, जिला उन्नाव में अधिकृत नियंत्रक (अथराइज्ड कन्ट्रोलर) की नियुक्ति के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग ने अब क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट की धारा १६–डी के अन्तर्गत प्रबन्धक को कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसका स्पष्टीकरण प्रबन्धक से विभाग को प्राप्त हो गया है। नियंत्रक की नियुक्ति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

*२४—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अधिकृत नियंत्रक के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है और उसने कब से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

उपर्युक्तानुसार साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण न होने पर अभी नियुक्ति नहीं हुई है।

*२५–२६—श्री सोहनलाल धुसिया—

[माननीय सदस्य के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त।]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा लाभत्रयी योजना लागू करने की मांग

*२७—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जो त्रिसूत्रीय लाभ योजना को लागू करने की मांग की गई थी उसे मानने के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? और शासन कब से उक्त योजना को लागू करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

राज्य की सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के स्थायी कर्मचारियों के लिये लाभयत्री योजना १ अक्तूबर, १९६४ से लागू की जा चुकी है।

जिला देवरिया के खड़ेसा ग्राम में श्री विश्वनाथ के घर डकैती

*२८—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, थाना खाम्पार के अन्तर्गत खड़ेसा नामक ग्राम में गत २३, २४ मार्च, १९७१ को श्री भगवानदास सिंह के घर डकैती पड़ी ? यदि हां, तो उसमें कब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जांच से ज्ञात हुआ है श्री भगवान दत्त कुशवाहा का मुलाजिम घटनास्थल पर डाकुओं द्वारा चलाये गये बम से आई चोटों के कारण मर गया। जिला से प्राप्त सूचनानुसार मृतक के परिवार के असाधारण पेंशन दिलाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

*२९—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त डकैती में बम चलाने से गांव का एक व्यक्ति घटनास्थल पर मार डाला गया ? यदि हां, तो मृतक के परिवार को सरकार द्वारा कौन सी सहायता दी गई ? यदि नहीं की गई तो उसका कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २४ मार्च, १९७१ को थाना खाम्पार देवरिया पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई कि दिनांक २३, २४-३-७१ की रात में श्री विश्वनाथ, पुत्र श्री भगवान दत्त कुशवाहा, निवासी के ग्राम, खड़ेसर के घर पर पन्द्रह-सोलह डाकुओं ने एक डकैती डाली और कुछ व्यक्तियों को आहत किया जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाने पर एक मुकदमा धारा ३९६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया जिसमें जांच हो रही है। ६ अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। शेष की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।

राजकीय महिला विद्यालय (ट्रेनिंग) पौढ़ी-गढ़वाल में अध्यापिकाओं से सरकारी आवास के किराये की वसूली

*३०—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बातायेंगे कि राजकीय महिला विद्यालय (ट्रेनिंग) पौड़ी-गढ़वल में ऐसी कितनी अध्यापिकायें हैं जिनसे सरकारी आवास के किराये की वसूली इनके वेतनों से कराये जाने के आदेश हुए हैं और यह आदेश किस आधार पर तथा किस विभागीय अधिकारी द्वारा प्रसारित किये गये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नैनीताल जिले में हल्द्वानी से कुसुमखेड़ा टेलीफोन लाइन पर पेट्रोलिंग

*३१—श्री इन्द्रलाल—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक ११ जनवरी, १९७१ को पुलिस कप्तान, नैनीताल ने थाना हल्द्वानी को यह आदेश प्रसारित किया था कि हल्द्वानी से कुसुमखेड़ा टेलीफोन लाइन पर दिन व रात पेट्रोलिंग की जाय, फिर भी दिनांक २६ जनवरी, १९७१ को उल्लिखित टेलीफोन का तार काट दिया गया। यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ११ जनवरी, १९७१ को पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा थाना हल्द्वानी को ऐसा कोई विशेष आदेश प्रसारित नहीं किया गया था और न ही दिनांक २६जनवरी, १९७१ को थाना हल्द्वानी कुसुमखेड़ा के अंतर्गत कुसुमखेड़ा क्षेत्र में कोई तार काटने की घटना हुई। अतः इस संबंध में किसी कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले कमांडेन्टों व सहायक कमान्डेन्टों की नियुक्ति हेतु योग्यतायें एवं वेतन-क्रम

*३२—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी की शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले सहायक कमान्डेंट ३४ जिलों में तथा कमान्डेंड १७ जिलों में नियुक्त ह और दोनों के कार्य व नियुक्ति के लिये योग्यतायें समान हैं, परन्तु वेतनमान में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या इस वेतन-मान के अन्तर को सरकार समाप्त करने का विचार कर रही है, तो कब तक ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

कमान्डेन्ट और सहायक कमान्डेन्टों के कार्यों व नियुक्ति के लिये योग्यताओं में भिन्नता है। इसलिये इनके वेतन-मान में भी अन्तर है। ऐसी स्थिति में दोनों के वेतन-मानों के अन्तर को समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*३३—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि कमान्डेंट व सहायक कमान्डेंटों के कार्य समान हैं परन्तु सहायक कमान्डेंट को कोई वित्तीय अधिकार नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन्हें वित्तीय अधिकारों से वंचित रखने के क्या कारण ह तथा क्या इन्हें वित्तीय अधिकार न मिलने से कार्यों में कठिनाई रहती है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

कमान्डेंटों और सहायक कमान्डेंटों के कार्य भिन्न भिन्न हैं और कमाडेन्टों को ही वित्तीय अधिकार दिये गये हैं तथा इसके लिये उनको स्टाफ भी दिया गया है। सहायक कमान्डेन्ट्स जो कि कमान्डेन्ट : के अधीन कार्य करते हैं, को कोई वित्तीय अधिकार नहीं दिये गये हैं क्योंकि उनको इसके लिये अतिरिक्त स्टाफ देना पड़ेगा जिससे व्यय बढ़ जायगा और स्टाफ के लिये कार्य भी काफी न होगा।

श्री पारसनाथ द्विवेदी, सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय, प्रतापगढ़ की वेतन-वृद्धि

*३४—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पारसनाथ द्विवेदी, सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय, प्रतापगढ़ के वेतन-वृद्धि सन् १९५१ से १९५८ तक की अभी तक (१९-४-७१) भुगतान नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रतापगढ़ जनपद के थानों में जीप, टेलीफोन तथा वायरलेस की व्यवस्था

*३५—श्री जयराम यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के किन-किन थानों में जीप, टेलीफोन तथा वायरलेस की व्यवस्था की गई है तथा भविष्य में किन पुलिस स्टेशन को यह सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

(क) जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस थाना लालगंज तथा कुन्डा में जीप और पुलिस थाना कोतवाली, लालगंज, पट्टी, रानीगंज, अन्तू व कुन्डा में टेलीफोन की व्यवस्था की गई है ।

(ख) भविष्य में थाना कोतवाली में जीप तथा थाना बाघराय जैथवारा में टेलीफोन दिए जाने का विचार है ।

(ग) प्रतापगढ़ के किसी भी थानें पर वायरलेस की सुविधा इस समय उपलब्ध नहीं है । भविष्य में किन थानों पर वायरलेस की सुविधा प्रदान की जायेगी निश्चित नहीं है ।

कानपुर जिले के ग्राम सतौरा के मजरा उड़नवापुर में श्री भजनलाल के घर डकैती

*३६--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के थाना मंगलपुर के अन्तर्गत ग्राम सतौरा के मजरा उड़नवापुर में २०/२१ फरवरी, १९७१ को रात में श्री भजनलाल के यहां करीब १२/१३ डकैतों ने डकैती डाली और गोलियां चलाई तथा हजारों रुपये का माल व नकदी लूटा परन्तु थानाइंचार्ज, मंगलपुर ने डकैती की रिपोर्ट नहीं दर्ज की ? इसकी लिखित सूचना श्री भजनलाल ने जिलाधिकारियों को भी दी है ? यदि हां, तो थाना अध्यक्ष के विरुद्ध उक्त डकैती के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक २०/२१-२-७१ की रात में ३-४ बदमाशों द्वारा घर में घुस कर लूट पाट किये जाने तथा फायरिंग किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक २१-२-७१ को श्री भजन लाल निवासी, उड़नवापुरवा, मजरा सतौरा, थाना मंगलपुर, जिला कानपुर ने थाना मंगलपुर पर लिखित सूचना दी थी । थाना मंगलपुर पर धारा ३९२ भा० द० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया था । श्री भजनलाल ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ८-३-७१ जिलाधिकारियों को भेजा जिसमें दिनांक २०/२१-२-७१ की रात १२-१३ डकैतों द्वारा डकैती डालने के मामले में थानाध्यक्ष, मंगलपुर द्वारा डकैती की रिपोर्ट दर्ज न करने तथा अपराध को छिपाने का उल्लेख किया गया था । प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच से अपराध डकैती का पाया गया । अतः थानाध्यक्ष, मंगलपुर की त्रुटियों के लिये उनकी चरित्र पंजिका में एक दुश्चरित्र लेख अंकित किया गया है । डकैती के मामले की जांच की जा रही है ।

राज्य सचिवालय में सेलेक्शन ग्रेड के पद तथा उन पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति

*३७--श्री राम प्यारे--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन राज्य सचिवालय में सेलेक्शन ग्रेड के कौन-कौन और कितने पद हैं तथा उन पदों पर अनुसुचित जाति के कितने और कौन-कौन कर्मचारी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश सचिवालय अधिष्ठान के अन्तर्गत इस समय 'सेलेक्शन ग्रेड' के कोई पद विद्यमान नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठते ।

*३८--श्री सियाराम--

[२ रे सोमवार के तारांकित प्रश्न ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश में सी० आई० डी० व विजिलेन्स में हरिजन इंसपेक्टर व सब-इंसपेक्टरों का प्रतिशत

*३९—श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बतलायेगी कि इस समय प्रदेशीय स्तर पर सी० आई० डी० व विजिलेंस में कितने प्रतिशत हरिजन इन्सपेक्टर व सब इंस्पेक्टर हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सी० आई० डी० में १.८८ परसेंट इन्सपेक्टर तथा ६.५९ परसेंट सब-इंसपेक्टर हरिजन हैं। सतर्कता अधिष्ठान में कोई हरिजन इन्सपेक्टर अथवा सब-इंसपेक्टर नहीं है।

फतेहपुर जिले में रिवाल्वरों व बन्दूकों के लाइसेन्स

*४०—श्री पन्नालाल (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६८ से ८ मई, १९६८ तक फतेहपुर जनपद में कितने रिवालवरों व बन्दूकों के लाइसेंस किन-किन लोगों को दिये गये तथा उनकी हसियत क्या थी एवं क्या उनकी हैसियत की जांच की गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१-१-६८ से ८-५-६८ तक फतेहपुर जनपद में रिवालवरों व बन्दूकों के कुल १८० लाइसेंस दिए गए। जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए उनके नाम व उनकी हैसियत संलग्न †सूची में दी गयी है। इन लोगों की हैसियत की जांच की गई थी।

थाना कोतवाली, जिला बहराइच के मुअत्तल सब इंस्पेक्टर, राजेन्द्र दत्त सिंह की बहाली एवं बकाया धनराशि का भुगतान

*४१—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली, जिला बहराइच से सन् १९६४ में श्री राजेन्द्र दत्त सिंह, सब इंसपेक्टर मुअत्तल थे ? यदि हां, तो कब वे बहाल हुए और इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। सन् १९६४ में जब सब इंस्पेक्टर श्री राजेन्द्र दत्त सिंह थाना कोतवाली, जिला बहराइच में नियुक्त थे। इन्हें ग्राम जमुनहा निवासी, श्री केशव राम से ८० रु० उत्कोच लेते हुए पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था एवं इनके विरूद्ध सत्र न्यायालय में धारा १६१ भा० द० वि० एवं (५) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था जिसमें इन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा हो गई थी परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें छोड़ दिया गया ये १६ नवम्बर, १९६७ को अपने पद पर बहाल कर दिये गये।

*४२—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र दत्त सिंह सब-इंस्पेक्टर, थाना कोतवाली, जिला बहराइच के वेतन एरियर २४ अगस्त, सन् १९६४ से १५ नवम्बर, सन् १९६७ तक बकाया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अभी तक यह पुराना बकाया उक्त सब इंस्पेक्टर को नहीं दिया गया ? क्या सरकार पुराना बकाया दिलाने के लिये सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। श्री सिंह के बकाया वेतन से संबंधित बिल प्री आडिट के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था परन्तु इस पर उन्होंने कुछ आपत्तियां की जिसके कारण श्री सिंह को बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका। प्रश्नगत आपत्तियों को दूर किये जाने के उपरान्त बिल पुनः प्री आडिट के लिये महालेखाकार को संबंधित कागजात सहित १८ जून, १९७१ को भेज दिया गया है और उनकी स्वीकृति प्राप्त होते ही बकाया धनराशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जायगी।

जिला उद्योग अधिकारी, पिथौरागढ़ का निवास एवं कार्यालय एक साथ रहना

*४३—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला उद्योग अधिकारी, पिथौरागढ़ का निवास कार्यालय के अन्दर है? और उनकी उपस्थिति वहां महीने में कितनी रहती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला उद्योग अधिकारी, पिथौरागढ़ का निवास कार्यालय के अन्दर नहीं है। तथापि वर्तमान जिला उद्योग अधिकारी को कोई सरकारी अथवा गैरसरकारी आवास उपलब्ध न होने के कारण २७-१२-७० को जिले में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३१-५-७१ तक अपने कार्यालय के एक कक्ष में रहना पड़ा, जिसका उन्होंने निर्धारित दर पर किराया तथा विद्युत् कर दिया।

शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार टूरिंग अधिकारियों को प्रति माह औसतन १० दिन दौरे पर तथा २० दिन मुख्यालय पर उपस्थित रहना पड़ता है। जिला उद्योग अधिकारी, १ जनवरी से ३१ मई तक ८० दिन मुख्यालय पर रहे।

जनपद गोंडा के टाउन एरिया कटरा बाजार में मुहर्रम के अवसर पर झगड़ा

*४४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में टाउन एरिया कटरा बाजार में मार्च, १९७१ में मुहर्रम के अवसर पर कोई झगड़ा हुआ था? यदि हां, तो मौके पर कौन-कौन पुलिस अधिकारी गये थे? और झगड़ों के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को भारतीय दण्ड विधि संहिता के अनुसार गिरफ्तार किया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद गोंडा में टाउन एरिया कटरा बाजार में मार्च, १९७१ में मुहर्रम के अवसर पर कुछ उपद्रव हुआ था। उस अवसर पर निम्नलिखित पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर गये थे :—

१—पुलिस अधीक्षक, गोंडा।
२—उप पुलिस अधीक्षक, गोंडा श्री वासदेव लाल।
३—सर्किल इन्स०, श्री रामनगीना सिंह।
४—बद्री नारायण राय-थानाध्यक्ष कौड़िया।
५—मुहमद शाबिर-सब इन्स०, थाना कौड़िया।
६—शेष दत्त मिश्रा-सब इन्स०, पुलिस लाईन से।
७—भगत सिंह सोडी-सब इन्स०, पुलिस लाइन से।
८—राम जी सिंह-थानाध्यक्ष, करनैल गंज।

इस घटना के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमों के सिलसिले में भा० दं० वि० की धाराओं के अन्तर्गत ३९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और ७ व्यक्तियों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

थाना मछलीशहर (जिला जौनपुर) के अन्तर्गत डकैती, राहजनी तथा नकबजनी

*४५—श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ अप्रैल, १९७० से ३१ मार्च, १९७१ तक थाना मछली शहर (जिला जौनपुर) के अन्तर्गत कितनी घटनायें, डकैती, राहजनी तथा नकबजनी की हुयीं और उनमें पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५२३ पर)

*४६—श्री राम मूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि थाना कोतवाली, देहरादून में २९ अप्रैल, १९७१ को एक रिपोर्ट श्री दून केसरी पुत्र, श्री बाबू राम गुप्त, ९१ धोसी गली, देहरादून ने लिखाई है ? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री दूनकेसरी गुप्त पुत्र, श्री बाबूराम गुप्त, निवासी ९१ धोसी गली, देहरादून ने दिनांक ३० अप्रैल, १९७१ को प्रातः ५ बजे थाना कोतवाली पर एक रिपोर्ट लिखाई थी जो साधारण मारपीट के सम्बन्ध में थी।

*४७-४८—श्री दलसिंगार यादव—

[२रे गुरुवार के प्रश्न सं० ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ के आमापुर बेरी ग्राम में भीषण डकैती

*४९—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद में रानीगंज थाने के अन्तर्गत आमापुर बेरी ग्राम से २० अप्रैल, १९७१ तथा २८ अप्रैल, १९७१ की रात में क्रमशः नान्डू गड़रिया के तथा बीपत गड़रिया के यहां भीषण डकैती पड़ी और डकैतों ने गृह स्वामी तथा उसके परिवार वालों को बहुत मारा-पीटा तथा पर्याप्त आभूषण, वस्त्र, बर्तन तथा नकद रुपया लूट लिया ? क्या थाने में रिपोर्ट लिखी गई और अनेक अभियुक्त नामजद किये गये हैं। यदि हां, तो कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुये हैं और कितने फरार हुये हैं ? फरार अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? नामजद अभियुक्तों के नाम क्या हैं और उनका पता क्या है ? शान्ति व्यवस्था के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत ग्राम आमापुर बेरी में नान्डू गड़रिया के यहां दिनांक २०-४-७१ को डकैती की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई गई।

जहां तक २८ अप्रैल, १९७१ की रात में बीपत गड़रिया के घर में डकैती पड़ने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उसके पुत्र, भगवानदीन गड़रिया ने २९-४-७१ को एक रिपोर्ट थाने में लिखाई। इस रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में उस (भगवान दीन) के सर में लाठी की चोट लगी थी और ५ चांदी के जेवर तथा ५ जनानी धोतियां लूटी गईं। इसमें तीन अभियुक्त नामांकित किये गये।

जिनके नाम (१) छोटकू सुत नाथू, (२) मुनीर पुत्र नोमर, (३) खुरभुर सुत सुल्तान, निवासी, ग्राम भैंसोना, थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़ है। विवेचना से डकैती की घटना सत्य नहीं पाई गई। इस अभियोग में कोई अभियुक्त न तो गिरफ्तार किया गया और न कोई फरार ही है। शान्ति व्यवस्था के लिए सशस्त्र पुलिस टुकड़ी गस्त करती रही है।

प्रदेश के जिलों में जिलाधिकारियों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति

*५०—श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो जिलाधिकारी हैं उनमें अनुसूचित जाति के कितने जिलाधिकारी हैं तथा वे किन-किन जिलों में नियुक्त हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश के ५४ जिलों में से १० जिलों के जिलाधिकारी अनुसूचित जाति के हैं। यह अधिकारी आगरा, बिजनौर, बुलन्दशहर, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर उत्तरकाशी, शाहजहांपुर, चमोली तथा जालौन जिलों में तैनात हैं। एक और अधिकारी देवरिया में १-७-७१ को चार्ज लेंगे।

प्रदेश पुलिस अधीक्षकों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति

*५१—श्री मुन्शीलाल चमार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ५४ जिलों में जो पुलिस अधीक्षक नियुक्त है उसमें अनुसूचित जातियों के कितने और किन-किन जिलों में नियुक्त है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश के ५४ जिलों में से केवल ४८ जिलों में पुलिस अधीक्षक नियुक्त हैं तथा उनमें से तीन जिलों में पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जाति के हैं। यह अधिकारी मुरादाबाद, देवरिया तथा सुल्तानपुर में तैनात हैं।

प्रदेश में पुलिस इन्सपेक्टरों को डी० एस० पी० के पदों के लिये स्वीकृति करने हेतु समिति

*५२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७० के अन्त में प्रदेश में जो पुलिस इंसपेक्टरों को अप्रूव करने की कमेटी बैठी थी उसमें किस-किस इंस्पेक्टर को रिजेक्ट किया गया ? क्या यह सही है कि कमेटी द्वारा रिजेक्ट किसी ऐसे इंस्पेक्टर को जिसके विरुद्ध पुलिस विभाग की जमीन को एक लखपती के कब्जे में कराने की जांच हो रही थी, सीधा अप्रूव करके डी० एस० पी० के पद पर पदोन्नति कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सन् १९७० के अन्त में पुलिस इन्सपेक्टरों को पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए अप्रूव करने के लिए कोई नियमित कमेटी नहीं बैठी थी अतः कथित कमेटी द्वारा किसी इन्सपेक्टर के रिजेक्ट किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जिले के पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों का स्थानान्तरण

*५३—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कष्ट करेंगे कि इटावा जिले में ऐसे कितने सब इंस्पेक्टर हैं जो ६ साल से अधिक समय से इटावा जिले में ही कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसे सब इन्सपेक्टर तीन हैं। नियमानुसार सब-इन्सपेक्टर एक जिले में नौ वर्ष तक रह सकते हैं। अतः इनका स्थानान्तरण विचाराधीन नहीं है।

*५४-५५—श्री श्याम लाल—

[बिस्तीर्णता के कारण निरस्त।]

*५६—श्री हिम्मत सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]।

अमरोहा, जिला मुरादाबाद में एक प्रिंसिपल द्वारा छात्रों पर गोली चलाना

*५७—श्री रियासत हुसैन—

क्य गृह मंत्री को यह मालूम है कि दिनांक १९ अप्रैल, १९७१ को दिन के १० बजे अमरोहा, जिला मुरादाबाद में एक प्रिंसिपल द्वारा छात्रों पर गोली चलाई गयी, जिससे दो छात्र जख्मी हुये परन्तु उस घटना की रिपोर्ट थाना अमरोहा में दण्ड संहिता धारा ३२४ में लिखी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १९-४-७१ को सुबह १० बजे श्री राम रतन कौशिक, चीफ एकाउटेंट, कुंदन शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड अमरोहा मुरादाबाद ने थाना अमरोहा में इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि उसी दिन जब उनका लड़का दूसरे लड़के के साथ रास्ते से जा रहा था तब कुंदन माडल कालेज अमरोहा के प्रिंसिपल ने गोली चलाई जिससे वादी के पुत्र तथा उसके साथी को चोटें आई। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३२४ भ० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया और जांच आरम्भ की गई। प्रारम्भिक जांच के बाद मुकदमें को धारा ३०७ भा० दं० वि० तथा आर्म्स ऐक्ट की धारा २७ के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया इसमें जांच हो रही है।

*५८—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी इस घटना की जूडिशियल इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस घटना की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कराये जाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षा विभाग के पर्वतीय मंडल, नैनीताल के अधीन अध्यापकों के विचाराधीन मामले

*५९—श्री शेर सिंह दानू—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय मन्डल, नैनीताल के अधीन कितने अध्यापकों के ऐसे मामले अभी शिक्षा विभाग के विचारधीन हैं, जिन्होंने वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में अपनी वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टियों के निराकरण के लिये अपील की है अभी तक विलम्ब का क्या कारण है और ये मामले कब तक निबटा दिये जायेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

शिक्षा विभाग के पर्वतीय मन्डल में अध्यापकों के विभिन्न वेतन-मान

*६०—श्री शेरसिंह बातूं—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के पर्वतीय मंडल में विभिन्न वेतन मानों में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो आयोग द्वारा अथवा विभागीय आयोग द्वारा १९६२ के पश्चात् अनुमोदित होने पर भी अभी तक अस्थायी हैं ? इसका क्या कारण है और ये अध्यापक कब तक स्थायी हो जायेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों के प्राथमिक अनुदान के लिये मैनेजर्स रिटर्न

*६१—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७०-७१ में १५ मार्च, १९७१ तक कितने हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों के प्राथमिक अनुदान के लिये मैनेजर्स रिटर्न शिक्षा निदेशक के कार्यालय, इलाहाबाद में पहुंचे ? क्या सरकार उपरोक्त संस्थाओं की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

हाई स्कूलों के ३१६ आवेदन तथा जूनियर हाई स्कूलों के ४९८ आवेदन प्राप्त हुआ ।† सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

*६२—श्री भानुप्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उपरोक्त मैनेजर रिटर्न के आधार पर कितने विद्यालयों को शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के कार्यालय से सरकार को सिफारिस प्राप्त हुई और उनमें से कितनी को अनुदान मिला ? शेष संस्थाओं को अनुदान देने की सिफारिश शिक्षा निदेशक के कार्यालय द्वारा किस आधार पर रोक ली गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

उपरोक्त में से ३११ हाई स्कूल, ४९१ जूनियर हाई स्कूलों के आवेदन-पत्र निदेशालय से शासन को आवश्यक संस्तुति सहित भेजे गये ।

३९ हाई स्कूल एवं १५० जूनियर हाई स्कूलों का शासन ने अनुदान स्वीकृत किया ।

शेष ५ हाई स्कूल तथा ७ जूनियर हाई स्कूलों के आवेदन पत्र अति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण शासन को नहीं भेजे गये ।

*६३—श्री उमाशंकर—

[अस्वीकृत]

शाहजहांपुर राजकीय इंटर कालेज के विद्यार्थियों से बिजली शुल्क

*६४—श्री उमाशंकर शुक्ला—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर राजकीय इन्टर कालेज में वर्षों से विद्यार्थियों से बिजली शुल्क लिया जा रहा है किन्तु पंखे नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अगली जुलाई से उपरोक्त कालेज में पंखे लगाने तथा पिछला वसूल किया हुआ बिजली शुल्क विद्यार्थियों को वापस दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

---

†छापी नहीं गयी ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

ऐसा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुचित साधन प्रयोग में लाने वाले हाई स्कूल एवं इंटर परीक्षा के छात्र

*६५--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडिएट बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में दिनांक ६ अप्रैल, १९७१ ई० से दिनांक ३० अप्रैल, १९७१ तक अलग-अगल परीक्षा केन्द्रों पर हाई स्कूल एवं इन्टर के कुल कितने छात्र अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये और इन छात्रों में महाजन इन्टर कालेज केन्द्र से कितने छात्र पकड़े गये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

१९७१ की परीक्षाओं में ३० अप्रैल, १९७१ तक अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये छात्रों की संख्या निम्नवत् है :--

	हाई स्कूल	इन्टरमीडिएट
गोरखपुर जनपद के कुल छात्र	१४९	८१
केवल महाजन इन्टर कालेज केन्द्र के छात्र ..	४	४

बोर्ड की परीक्षा में इनविजिलेशन ड्यूटी देने वाले अध्यापकों की मृत्यु

*६६--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड द्वारा संचालित इस वर्ष ।(१९७१) की परीक्षा में प्रदेश में कितने इनविजिलेशन ड्यूटी वाले अध्यापकों को जान से हाथ धोना पड़ा है ? इनके सम्बन्धित परिवारों के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

केवल इन्टर कालेज, कुरमाली मुजफ्फरनगर के एक अध्यापक श्री महेक सिंह की मृत्यु हुई । इनके परिवार की सहायता का प्रश्न विचाराधीन है ।

*६७-६८--श्री महरम सिंह--

[२रे सोमवार के तारांकित प्रश्न सं० ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६९--श्री उमाकान्त बाजपेई--

[१ले शुक्रवार के तारांकित प्रश्न ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खुददाग व देवकली के अध्यापक व छात्र

*७०--श्री शिव कुमार (जिला शाहजहांपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् शाहजहांपुर द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खुददाग व देवकली में क्रमशः कितने-कितने अध्यापक हैं और क्या छात्रों की संख्या एवं विषयों को देखते हुये यह संख्या पर्याप्त है ?

*७१—क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९-७० एवं वर्ष १९७०-७१ में उपोरोक्त दोनों विद्यालयों को कितना-कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया गया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर के बेलघाट विकास खंड के ग्राम प्रधानों को प्राइमरी पाठशाला भवन बनाने के लिये अनुदान

*७२—श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला के विकास खंड बेलघाट में १९६३ से १९७० तक ग्राम प्रधानों को प्राइमरी पाठशाला भवन बनाने को अनुदान के रुपये दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन ग्राम प्रधानों को कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

[देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५२४ पर ।]

*७३—श्री रामपति—

क्या उपरोक्त प्रश्न से सम्बन्धित सभी भवन मुकम्मल बनकर कनफर्म हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कहां-कहां अपूर्ण हैं और उनको पूरा कराने में क्या कार्यवाही चल रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

केवल १२ का निर्माण पूरा हो गया । निम्न ५ का निर्माण कार्य चालू है :—

१—मुरारपुर
२—इमलीडीह
३—बसही
४—नौकदा
५—मरचा ।

*७४—श्री सन्तराम (जिला गोंडा)—

क्या पंचायत राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में जिला परिषद् के अधीन अध्यापकों का प्राविडेंट फंड का हिसाब १९५४ से नहीं बताया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा क्या सरकार जिला परिषद् के अध्यापकों को उनके प्राविडेंट फंड का हिसाब वर्षवार हिसाब बनवाकर मुस्तिमारूप से बटवाने का आदेश देगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उर्दू भाषा को प्रदेश की दूसरी भाषा का स्थान देने का केन्द्रीय सरकार का सुझाव

*७५—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देने के लिये केंद्रीय सरकार ने कोई सुझाव दिया है ? और यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वतः इस पर विचार करने को तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

तुलसी इन्टर कालेज, राजापुर, जिला बांदा केन्द्र के हाई स्कूल परीक्षाओं के निरीक्षक श्री रामस्वरूप पर प्राणघातक हमला

*७६—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के तुलसी इंटर कालेज, राजापुर केन्द्र में हाई स्कूल की परीक्षाओं के निरीक्षक, श्री राम स्वरूप के ऊपर परीक्षार्थी ने ८ अप्रैल, १९७१ को प्राणघातक हमला किया था जिसकी रिपोर्ट थाना राजापुर में की गई है ? यदि हां, तो अभियुक्त के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ८–४–७१ को अध्यापक, श्री रामस्वरूप ने थाना राजापुर पर यह रिपोर्ट लिखाई कि लल्लू प्रसाद नामक व्यक्ति ने अपने सहयोगी के साथ उनके ऊपर प्राण घातक हमला किया । लल्लू प्रसाद का चालान दिनांक १७–५–७१ को किया जा चुका है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । उनके सहयोगी का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है ।

नान-फेरस मेटल स्कीम, मुरादाबाद की वित्तीय स्थिति

*७७—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नान-फेरस मेटल स्कीम मुरादाबाद को गतचार वित्तीय वर्षों से कितना-कितना लाभ या हानि रही ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*७८—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६९ को विशेष आडिट रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कौन-सा निरर्थक व्यय हुआ तथा कौन-कौन सी मशीनें बेकार पड़ीं रहीं और इस समय उन मशीनों का क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष १९६९ में योजना का कोई विशेष आडिट नहीं हुआ ।

*७९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*८०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[५वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रशासन तथा नियुक्तियों सम्बन्धी गड़बड़ी

*८१—श्री यादवेंद्र दत्त दुबे—

क्या यह सही है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के आर्थिक प्रशासन तथा नियुक्तियों में घोर गड़बड़ी है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी नहीं ।

नगरपालिका, पीलीभीत के सदस्य श्री के० एम० खान के घर डकैती

*८२--श्री हरनरायण (जिला पीलीभीत)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २१/२२ अप्रैल, १९७१ की रात को श्री के० एम० खान, सदस्य, नगरपालिका, पीलीभीत के घर में डकैती पड़ी ? यदि हां, तो उसके मुजरिम पकड़े गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक २२ अप्रैल, १९७१ को श्री के० एम०खान, सदस्य, नगरपालिका, मुहल्ला शेर मुहम्मद, पीलीभीत, ने थाना कोतवाली में इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट दी कि उनके घर पर दिनांक २१/२२ अप्रैल, १९७१ की रात में डकैती पड़ी । इस सूचना के आधार पर धारा ३९५/३९७ भा०दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा अंकित किया गया और विवेचना आरम्भ की गई । इस डकैती से संबंधित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

इलाहाबाद रीजन के प्रसार अध्यापकों की वेतन-वृद्धि

*८३--श्री गजेंद्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ऐसे कितने प्रसार अध्यापक इलाहाबाद रीजन में हैं जिन्हें पिछले १० सालों से वार्षिक वेतन-वृद्धि (इंक्रीमेंट) नहीं मिली ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

कोई नहीं ।

*८४--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[११वें गुरुवार के प्र० सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विभिन्न मेकों के डीजल व बिजली चालित पम्प सेट मोटर आदि के मूल्यों का रेट कन्ट्रैक्ट

*८५--श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर द्वारा विभिन्न मेकों के डीजल व बिजली चालित पंप सेट, मोटर आदि के मूल्य का जो रेट कंट्रैक्ट वर्ष १९७०-७१ के लिये मंजूर किया गया था, उसको अंतिम रूप किस तिथि को दिया गया ? क्या यह सच है कि उक्त मशीनरी के रेट कन्ट्रैक्ट की सूची संबंधित संस्थाओं को १३ किस्तों में भेजी गई जब कि रेट कन्ट्रैक्ट एक बार में ही स्वीकार कर लिया गया था ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

चूंकि रेट-कन्ट्रैक्ट को मंजूर करने से पहले फर्मों की मशीनों के मूल्य तथा विभिन्न शर्तों को तय करने में काफी समय लगता है, इसलिये उस रेट कन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने के लिये कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई ।

२——यह सही है कि फर्म को जो लेटर आफ इन्टेंट उनके रेट-कंट्रैक्ट को मंजूर करने के संबंध में भेजा गया था यह १३ से अधिक किश्तों में था। उसका कारण यह था कि पहले जब फर्मों से आफर आये थे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंपिंग सेट की आवश्यकता प्रदेश में बहुत है और इसलिये अधिक से अधिक फर्मों को रेट-कन्ट्रैक्ट पर लाया जाना चाहिये, शासन ने यह निर्णय शुरू में लिया था कि चूंकि फर्मों ने १५ प्रतिशत विभिन्नताओं के अन्दर अपने आफर दिये हैं अतः उनकी विभिन्न शर्तों को तय करने के पश्चात् उनको रेट-कन्ट्रैक्ट पर ले लिया जाये। तदनुसार ३५ फर्मों को जिन्होंने निविदा सूचना की अन्य शर्तों के अनुकूल निविदा दी थी, लेटर आफ इन्टेंट्स भेजे गये। इसके बाद बहुत सी और फर्में ऐसी थी जिनकी कीमतें १५ प्रतिशत विभिन्नताओं से अधिक थीं इस लिये उनको भी रेट-कन्ट्रैक्ट पर लाने के लिये शासन ने यह निर्णय लिया कि उनके साथ भी बातचीत की जाये और यदि वे १५ प्रतिशत रेंज में अपनी कीमतें लावें तो उन्हें भी स्वीकृत कर लिया जाये इसके लिये कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी इसलिये जिन फर्मों ने १५ प्रतिशत रेंज में अपने रेट घटाये और निविदा की अन्य शर्तों को पूरा किया, वे स्वीकार कर लिये गये। चूंकि बहुत सारी फर्मों ने अपने रेट घटा दिये, इसलिये उनको भी रेट-कन्ट्रैक्ट पर ले लिया गया और लेटर आफ इन्टेंट्स १३ से भी अधिक किस्तों में संबंधित संस्थाओं को भेजे गये।

किर्लोस्कर कम्पनी, पूना के पम्पिंग सेटों की कीमत में वृद्धि

*८६——श्री रघुनाथ सिंह——

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किर्लोस्कर, कम्पनी, पूना ने जनवरी, १९७१ से अपने पंप सेट आदि की कीमत में जो वृद्धि कर दी है उसकी जानकारी उसे है? अगर हां, तब क्या शासन ने ऐसी कीमत में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी——

इस संबंध में संस्था ने शासन को कोई सूचना नहीं दी है। जहां तक दर अनुबन्ध से संबंध है किसी भी कम्पनी ने अपने रेट नहीं बढ़ाये हैं। और सभी फर्मों के रेट डीजल पंपिंग सेट में मार्च १९७१ तक वही हैं एवं रहेंगे जो स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार बिजली से चालित सेटों का अनुबन्ध जो ३०—९—७१ तक है उसमें भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इस अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि न स्वीकृति की गई है और न की जा सकती है।

*८७——श्री यादवेंद्र दत्त दुबे——

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित।]

थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊ के अन्तर्गत डकैती, चोरी, राहजनी तथा कत्ल की घटनायें

*८८——श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)——

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मास अप्रैल, १९७१ में थाना कृष्णा नगर, जिला लखनऊ में डकैती, चोरी, राहजनी तथा कत्ल की कितनी घटनायें दर्ज हुयीं तथा इनमें से कितनों की नामजद रपट की गई? कितने में चार्जशीट तथा फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तथा कितने ऐसे केसेज थे जिनमें नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी फाइनल रिपोर्ट लगाई गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी——

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५२५ पर)

सरकार द्वारा बी० टी० सी० की ट्रेनिंग हेतु नामांकन

*८९—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालयों में १९७१–७२ के लिये बी०टी० सी० ट्रेनिंग हेतु सरकार द्वारा विद्यार्थी नामांकित किये जायेंगे? यदि हां, तो नामांकन का आधार क्या होगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*९०—श्री राम करन सिंह—

[५वें सोमवार में ता० प्र० १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*९१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[अल्पसूचित रूप में स्वीकृत होने के कारण हटाया गया ।]

पिथौरागढ़ ग्रामों की पेय जल योजना

*९२—श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९७०–७१ के लिये जो धनराशि जनपद पिथौरागढ़ को ग्रामों की पेयजल योजना हेतु स्वीकृत की गई थी उसकी अवधि के अन्दर उपयोग न होने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष १९७०–७१ के लिये जो धनराशि जनपद पिथौरागढ़ को ग्रामों की पेयजल योजना हेतु स्वीकृत की गई थी, उसकी उसी वर्ष के अन्दर पूर्ण उपभोग न होने का कारण यह है कि भरसक प्रयत्न करने पर भी आवश्यकतानुसार जी० आई० पाइप उपलब्ध नहीं हुये ।

*९३—श्री रामदेव—

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*९४–९५—श्री रामधारी शास्त्री—

[३ रे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

हरदोई में नक्सलियों की गतिविधियां

*९६–श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई में नक्सलियों की गतिवधियां बहुत तेज हो गयी हैं जिसके फलस्वरूप मई, १९७१ में हरदोई नगर में एक व्यक्ति के यहां से बम भी बरामद हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इसे रोकने के संबंध में क्या कदम उठाया है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यद्यपि दिनांक ८ मई, १९७१ को हरदोई जिले के ग्राम, सर्रा के निवासी श्री केशव सिंह के मकान में एक हथगोले के विस्फोट की घटना हुई है तथापि हरदोई जिले में सामान्यतः नक्सलवादी गतिविधियां तेज होने के कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुए ह और न बम बरामद होने की अन्य कोई घटना हुई है ।

केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित मृत्यु दण्ड को समाप्त करने संबंधी विधेयक पर प्रदेशीय सरकार की राय

*९७—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मांगी गयी राय के संबंध में अपनी रिपोर्ट भेज दी है, वह क्या है ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

जी हां । प्रदेश सरकार ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर देने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया है ।

फूलपुर तथा प्रतापपुर ब्लाक के व्यक्तियों को उद्योग के लिये ऋण

*९८—श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६९–७० के प्रोजेक्ट में फूलपुर, प्रतापपुर ब्लाक में कितने लोगों को उद्योग के लिये ऋण दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

फूलपुर प्रोजेक्ट में द्वितीय वर्ष १९६९-७० में फूलपुर तथा प्रतापपुर ब्लाक में कुल १९ (उन्नीस) लोगों को २४,००० रु० ऋण दिया गया है ।

*९९—श्री राजित राम पांडेय—

जिन लोगों को उद्योग के लिये ऋण दिया गया है उन्होंने कार्य शुरू किया या नहीं ? यदि नहीं किया, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिन उन्नीस लोगों को ऋण दिया गया है उनमें से ग्यारह ने कार्य शुरू कर दिया है तथा आठ ने कार्य शुरू नहीं किया है । जिन लोगों ने कार्य शुरू नहीं किया है उनमें से दो के विरुद्ध जिलाधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से पूरी धनराशि की वसूली के लिये नोटिस जारी हो गई है और शेष ६ व्यक्तियों में से दो ने कार्य प्रारम्भ किया था लेकिन कुछ समय के उपरान्त बन्द कर दिया । अतः सभी ६ व्यक्तियों को १५ दिन के भीतर धनराशि जमा करने की नोटिस दी गई है । यदि वे निर्धारित अवधि के अन्दर धनराशि नहीं जमा करते तो उनसे एकमुश्त वसूली की कार्यवाही के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी को भेज दिये जायेंगे ।

*१००—श्री इन्द्रमणि—

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित]

*१०१—श्री वासुदेव सिंह—

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*१०२—श्री मंजूर अहमद—

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

जिला गोंडा के गन्ना कार्यालय, तुलसीपुर के समक्ष प्रदर्शन तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं पर मुकदमें

*१०३—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक २७ मार्च, १९७१ को गन्ना कार्यालय, तुलसीपुर, जिला गोंडा पर क्षेत्रीय गन्ना के काश्तकारों द्वारा गन्ना सोसाइटी तथा मिल के भ्रष्ट रवैयों के विरोध में प्रदर्शन किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २७ मार्च, १९७१ को रवींद्र कुमार आर्य और प्रताप सिंह नामक दो व्यक्तियों ने अपने १०० अन्य साथियों के साथ गन्ना विकास कार्यालय, तुलसीपुर के सामने अपनी कुछ मांगें की पूर्ति हेतु प्रदर्शन किया था ।

*१०४—श्री डी०पी० बोरा—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित प्रदर्शन के कुछ सक्रिय कार्य-कर्ताओं पर स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमें कायम किये जा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार बतायेगी कि उक्त मुकदमें किस भारतीय दंड विधान की धारा के अन्तर्गत तथा किन-किन लोगों पर कायम हो रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री राम सूरत सिंह, गन्ना विकास निरीक्षण एवं सचिव, गन्ना विकास समिति, तुलसीपुर जिला गोंडा से प्राप्त इस आशय की लिखित सूचना पर कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों और उनके साथियों ने दो घंटे से अधिक उनका घेराव किया, उनकी बेइज्जती की और सरकारी कार्य में बाधा डाली, थाना तुलसीपुर पर दिनांक २७–३–७१ को धारा ३४२ भा० द० वि० और धारा ७ क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत एक मुकदमा, श्री रवींद्र कुमार आर्य तथा प्रताप सिंह के विरुद्ध कायम हुआ और जांच जारी है ।

*१०५—श्री जगदीश गांधी—

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

जिला परिषद्, प्रतापगढ़ में अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति

*१०६—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक २९ दिसम्बर, १९७० को तात्कालिक शिक्षा राज्य मंत्री, जब प्रतापगढ़ दौरे पर गये थे तो उन्हें इस आशय का शिकायती-पत्र मिला था कि जिला परिषद्, प्रतापगढ़ में नियम विरुद्ध अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है । यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को आदेश दिया गया कि पहले वाले चुनाव को निरस्त कर के चुनाव समिति द्वारा पुनः चुनाव करायें ।

*१०७–१०८—श्री हरी सिंह बिष्ट—

[३रे गुरुसार के लिये स्थगित ।]

खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने आयोग की नियुक्ति पर विचार

*१०९—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या श्रम मंत्री प्रदेश के खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करने एवं उनकी हीन आर्थिक दशा सुधारने के कार्यों पर विचार करने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति करने का विचार कर रही है ?

श्री गनेशदत्त बाजपेयी—

जी हां ।

पिथौरागढ़ में मैगनेसाइट की खोज एवं खुदाई

*११०—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ जिले में मैगनेसाइट की खोज अभी हाल में की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा वर्ष १९६९-७० से प्रारांम्भक सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

*१११—श्री शिवराज सिंह—

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रार्थना-पत्र उपरोक्त मैगनेसाइट की खुदायी के लिये सरकार को प्राप्त हुये और प्रत्येक प्रार्थी ने प्रति वर्ष कितनी-कितनी मैगनेसाइट खुदाई के लिये मांगी है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उपरोक्त मैगनेसाइट का खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु केवल एक आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक पहले वर्ष ५,००० टन खनिज निकालना चाहते हैं और उसके बाद आवश्यकतानुसार खनिज निकालेंगे ।

गोंडा के तुलसीपुर शकर मिल के श्रमिकों की गिरफ्तारी

*११२—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर शकर मिल के कुछ श्रमिकों को स्थानीय पुलिस ने मई, सन् १९७१ के प्रथम सप्ताह में गिरफ्तार करके हवालात में बन्द रखा ? यदि हां, तो कौन-सी अपराध धारा के अन्तर्अत गिरफ्तार किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना तुलसीपुर, जिला गोंडा की पुलिस ने, थाने पर दर्ज ४५७ भा० दं० वि० के एक मुकदमें के संबंध में ५-५-१९७१ को तुलसीपुर शकर मिल के दो श्रमिकों को गिरफ्तार करके हवालात में बन्द किया था और अगले दिन जेल भेज दिया था।

*११३—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

[२रे बुधवार के तारांकित प्रश्न ३८ के अन्तर्गत स्थानन्तरित ।]

प्रिंसिपल राजकीय महिला बहुधन्धी संस्थान, लखनऊ के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

*११४—श्री धर्मवीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रीमती उर्मिला चन्द्रा, प्रिंसपल राजकीय महिला बहुधंधी संस्थान, लखनऊ के विरुद्ध अनियमितताओं के विषय में हाल में जांच कराई गई है ? यदि हां, तो इसकी जांच का क्या फल निकला और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां । जांच की रिपोर्ट हाल में ही प्राप्त हुई है जो सरकार के विचाराधीन है । इस पर निर्णय लेने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

राजकीय महिला बहुधन्धी संस्थान, लखनऊ के प्रिंसिपल के पद के लिये अर्हतायें

*११५—श्री धर्मबीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला बहुंधंधी संस्थान, लखनऊ में प्रिंसिपल के पद के लिये क्या न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित हैं ? तथा अन्य बहुधंधी संस्थानों में प्रिंसिपल के पद के लिये क्या अर्हतायें निर्धारित हैं और उनके क्या वेतन क्रम हैं ? और यदि इनमें अन्तर है, तो क्यों ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

राजकीय महिला बहुधंधी संस्था, लखनऊ में प्रिंसिपल के पद के लिये जो रु० ६००-१२५० के वेतन-क्रम में है, निम्न न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित हैं :—

"(१) इंजीनियरिंग में डिग्री या एम०एस० सी० या एम० ए० अच्छा हो यदि गृह विज्ञान के साथ हो तथा (२) लगभग सात वर्ष का प्रशासकीय अनुभव, जिसमें कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव भी सम्मिलित है ।

एम०ए० या एम० एस० सी० डिग्री तथा जिनके पास गृह विज्ञान उनके अध्ययन में एक विषय के रूप में था, उन्हें प्राथमिकता दी जायगी । यदि गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो जिनके पास गृह विज्ञान में बेचलर डिग्री तथा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री थी उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ।"

अन्य बहुधंधी संस्थानों में प्रिंसिपल के पद के लिये, जो रु० ७५०-१४०० के वेतन-क्रम में है, निम्न अर्हतायें निर्धारित हैं:—

"(१) सिविल/इलेक्ट्रिल/मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री (या समकक्ष अर्हता) या केमिकल टेक्नालाजी (या समकक्ष अर्हता) में डिग्री या ए०एम०आई० ई० या ए० एम० आई केम० ई० परीक्षा पास या टी०टी०टी० डिप्लोमा । बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की १९५८ तक की परीक्षा के आधार पर प्रदत्त इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री में बी०एस०सी० डिग्री रखने वाले सेवारत अभ्यर्थी, जो पर्याप्त अनुभव रखते हैं । को टेक्नालोंजी के स्नातकों के समकक्ष माना जायगा ।

(२) सिविल आठ वर्ष का व्यासायिक एवं/या अध्याप अनुभव (३) औद्योगिक अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी (४) हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है ।"

राजकीय महिला बहुधंधी संस्थान, लखनऊ में प्रिंसिपल तथा अन्य राजकीय बहुधंधी संस्थानों में प्रिंसिपल के पदों की अर्हताओं में अन्तर संबंधित पदों की आवश्यकता के अनुसार है । अर्हताओं में अन्तर के आधार पर उनके वेतन-क्रमों में भी अन्तर है ।

*११६-११७—श्री इन्द्रमणि —

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ७वें गुरुवार के प्रश्न सं० ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गंगा शुगर कार्पोरेशन, देवबन्द के श्रमिकों की मांगें तथा हड़ताल

*११८—श्री राम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ५ अप्रैल सन् १९७१ से गंगा शुगर कारपोरेशन, देवबन्द के श्रमिकों ने हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांग क्या थीं ? और उनमें से कौन-कौन ऐसी थीं जिन्हें मालिकान फैक्ट्री मानने को तैयार थे ?

श्री गनशदत्त बाजपेयी—

जी नहीं । प्रतिष्ठान के श्रमिकों ने दिनांक २९-३-७१ की रात को ११-१५ बजे से हड़ताल कर दी थी । हड़ताल से चार दिन पहले तारीख २५ मार्च, १९७१ को मजदूर सभा, गंगा शुगर मिल्स, देवबन्द और मालिकों के बीच पंच निर्णय के लिये एक समझौता हुआ था । उसके अनुसार मजदूरों की मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं :—

१—आठ निकाले गये श्रमिकों को नौकरी पर वापस ले लिया जाय ।

२—५ अप्रैल, १९६८ के बाद जो श्रमिक सीजनल हैं, उन्हें घर से ड्यूटी पर पर आने और वापस जाने का रेल भाड़ा दिया जाय ।

३—सभी श्रमिकों को यूनिफार्म दी जाय ।

४—प्राविधिक और अप्राविधिक जगहों को भरने के लिए क्या मानदंड रखा जाय । उक्त मांगों में से किसी मांग को भी फैक्टरी के मालिकान मानने को तैयार नहीं थे, अपितु सभी मामलों को श्री एन०एस० वर्मा पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कानपुर को पंचनिर्णय के लिये सुपुर्द कर दिया गया था ।

*११९—श्री राम सिंह—

[पुनरावृत्तिके कारण निरस्त]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट व सहायक गवर्नमेंट एडवोकेट के पदों पर नियुक्ति

*१२०—श्री गोविन्द सिंह—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९७१ के तीसरे सप्ताह में संविद सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट व सहायक गवर्नमेंट एडवोकेट के पदों पर किन-किन व्यक्तियों की और किस-किस आधार पर नियुक्तियां की हैं ? क्या इन नियुक्तियों पर वित्त विभाग की ओर से कोई आपत्तियां की गई थीं ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मार्च, १९७१ के तीसरे सप्ताह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डिप्टी गवनमेंट एडवोकेट व सहायक गवर्नमेंट एडवोकेट के पदों पर निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति के आदेश दिये गये :—

डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट—श्री प्रेमशंकर गुप्त

सहायक गवर्नमेंट एडवोकेट—

(१) श्री गिरधर मालवीय
(२) श्री वी० पी० गोयल
(३) श्री टी० एन० सिन्हा
(४) श्री सुकुमारी बल्लभ गोस्वामी
(५) श्री श्री निवास मणि त्रिपाठी—

उक्त व्यक्तियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की गई थी। इस प्रकार की नियुक्तियों के संबंध में वित्त विभाग का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित संविद के कार्यों का विवरण

*१२१—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सूचना निदेशक या सचिव, सूचना विभाग ने ऐसे पम्फलेट छपवाये थे जिसमें संविद सरकार के कार्यों का विवरण था और वह जिलों को भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्रमशः उनकी कितनी हिन्दी और उर्दू की संख्या है और किन-किन तारीख को विभिन्न जिलों को भेजे गये थे ? क्या जिला स्तर पर इनका वितरण हुआ है ? यदि हां, तो किस प्रकार से ? क्या इसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खी जायगी ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

संविद सरकार के कार्यों से संबंधित जो प्रकाशन सूचना विभाग द्वारा छपवाये गये उनकी मुद्रण संख्या तथा उनको जिलों में भेजने की तिथियां संलग्न सूची में अंकित है। जिलास्तर पर इनका वितरण जिलाधीश, स्थानीय प्रशासकीय सुविधानुसार कराते हैं और तदनुसार इन पैम्फलेटों का वितरण भी किया गया।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५२६–५२७ पर।)

शाहजहांपुर की पाठशालाओं को जिला परिषद् द्वारा मासिक सहायता

*१२२—श्री शिव कुमार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में कितनी पाठशालायें हैं जिन्हें गत १० वर्षों से जिला परिषद् द्वारा मासिक सहायता मिल रही थी और अब बन्द कर दी गई है ? किस कारण से और कब से यह सहायता बन्द कर दी गई है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

मुरादाबाद में कत्ल, डकैती और राहजनी की घटनाएं

१—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह श्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में नवम्बर, सन् ७० से ३१ मार्च, सन् ७१ तक कितने कत्ल, डकैती और राहजनी की घटनायें हुई जिनमें से कितनों की इनक्वायरी हो रही है ? और कितने अदालत के सुपुर्द कर दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिय नत्थ 'झ' आगे ५८ पृष्ठ पर)

आई० जी० पुलिस के आदेशों के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हाई कोर्ट में रिट

२—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, सन् १९७० से १० अप्रैल, ७१ तक कितने पुलिस कर्मचारियों, दरोगाओं, डिप्टी सुपरिंटेंडेंटों और इन्सपेक्टरों व सिपाहियों ने प्रदेश के आई०जी० पुलिस के आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट दायर की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उल्लिखित अवधि में स्वयं पुलिस महानिरीक्षक के आदेशों के विरुद्ध तो किसी पुलिस कर्मचारी ने हाईकोर्ट में रिट दायर नहीं की परन्तु शासन, डी०आई०जी० पुलिस, पुलिस कप्तानों व पी०ए०सी० के सेनानायकों के आदेशों के विरुद्ध ५ डिप्टी एस०पी, १ इन्स्पेक्टर, ४४ सब-इन्स्पेक्टर (ए०पी०पी०सम्मिलित), ६ हेड कान्स्टेबुलों व ६५ कान्स्टेबुलों ने रिटें दायर की ।

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद के अस्थायी कर्मचारी

३—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में कितने कर्मचारी गत ५ वर्षों से अस्थायी हैं ? क्या सरकार तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग बताने की कृपा करेगी ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में ४९ कर्मचारी गत ५ वर्षों से अस्थायी हैं । इन ४९ कर्मचारियों में से १ कर्मचारी तृतीय श्रेणी तथा ४८ कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं ।

शिक्षा निदेशालय, प्रयाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण

४— श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा निदेशालय, प्रयाग में कितने कर्मचारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के गत ५ वर्षों से अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं ? इन्हें कब तक स्थायी करने का सरकार का इरादा है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

१०१ तृतीय श्रेणी के तथा १३ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर ज्येष्ठतानुसार उनके कार्य एवं आचरण के आधार पर उन्हें स्थायी किया जावेगा ।

प्रतापगढ़ जिले के प्राइमरी पाठशालाओं में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति

५—श्री जयराम यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, प्रतापगढ़ में बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के लिये वर्ष १९७०-७१ में कितने प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गई ? तथा उनमें कितने पिछड़ी जातियों के हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रतापगढ़ जिले की बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं की इमारतें

६—श्री जयराम यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, प्रतापगढ़ में कितने ऐसे बेसिक प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनके पास इमारतें नहीं हैं और उनका विकास खंडवार क्या विवरण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

७—८—श्री सुरेंद्र विक्रम—

[२रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न ७—८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फतेहपुर जिले में डकैतियां राहजनी, कत्ल तथा बल्वे

९—श्री पन्ना लाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६९-७० तथा १९७०—७१ में फतेहपुर जिले में कितनी डकैतियां, राहजनी, कत्ल तथा बल्वे हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार फतेहपुर जिले में वर्ष १९६९ में ५५ डकैती, ४३ राहजनी, ८४ कत्ल व १८१ बल्वे की घटनायें हुईं, वर्ष १९७० में १२० डकैती, १३३ राहजनी, ८८ कत्ल व २०६ बल्वे की घटनायें हुईं । वर्ष १९७१ में १/१/७१ से १४/६/७१ के बीच डकैती की ६३, राहजनी की ७०, कत्ल की ४२ तथा बल्वे की ६५ घटनायें हुईं ।

मथुरा जिले के थाना फरह (चौकी ओल) में कत्ल व डकैती की घटनाएं

१०—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि जिला मथुरा के अन्तर्गत थाना फरह (चौकी ओल समेत) में पिछले दो महीनों में कुल कितनी घटनायें कत्ल व डकैती की हुई ? इनकी जांच किस-किस पुलिस अधिकारी ने की तथा उसका फल क्या निकला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मथुरा जिले के थाना फरह (चौकी ओल समेत) में पिछले दो महीने अर्थात् अप्रैल व मई, १९७१ में डकैती की कोई रिपोर्ट थाने पर प्राप्त नहीं हुई । केवल कत्ल की एक घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई थी । इसकी जांच सब-इन्स्पेक्टर चौकी ओल थाना, फरह द्वारा की जा रही है ।

गन्ना सहकारी संघ जुग्गौर के गन्ने के मूल्य और ब्याज का बाराबंकी चीनी मिल पर बकाया

११—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

गन्ना सहकारी संघ जुग्गौर के किसानों के गन्ने के मूल्य और ब्याज का सन् १९६९-७० में सीजन का कितना रुपया सम्बद्ध चीनी मिलों से मिलना चाहिये था, और कितना ३१ मार्च, १९७१ तक मिला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सहकारी गन्ना विकास समिति, जुग्गौर को सीजन १९६९-७० में पूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य के रूप में बाराबंकी चीनी मिल से कुल रु० १५.८६ लाख पाना था, जिसमें से ३१-३-७१ तक रु० १४.०४ लाख का भुगतान मिल से प्राप्त हो चुका था और रु० १.८२ लाख उक्त समय तक अवशेष था । उपरोक्त गन्ना मूल्य पर ब्याज की देय धनराशि रु०११,८८०.३८ पैसे ३१-३-७१ तक अवशेष थी ।

१२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पूरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रयाग उच्च न्यायालय के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थायीकरण

१३—श्री राम गोपाल संड—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९७१ तक प्रयाग उच्च न्यायालय के कार्यालय में ५ वर्ष से अधिक कार्य करने वाले कितने तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं ? सरकार उन्हें कब तक स्थायी करने का इरादा रखती है?

श्री यादवेंद्र सिंह—

पूरी सूचना उच्च न्यायालय से प्राप्त नहीं हुई है ।

सूचना प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंत्रिगण उत्तरों को यहां पढ़कर नहीं आते हैं और इसी कारण से वे ठीक से उत्तर नहीं दे पाते हैं और टालमटोल करते हैं । इसलिये आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था मंत्रियों के लिये दे दें कि वे उत्तरों को पढ़कर आया करें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, व्यवस्था दे देंगे ।

श्री मैनजर सिंह (जिला बलिया)—

लेकिन श्रीमन्, बिना दांत और आंख वाले मंत्रियों को तो छूट मिलनी चाहिये ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैंने कहा कि आंख हो चाहे न हो अक्ल तो होनी ही चाहिये, उधर के मंत्रियों को अक्ल है, आंख दांत न हो तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा था कि नत्थी (ख) का प्रश्न संख्या २ जिसमें श्री राजेश्वर सिंह का भी नाम छपा था उसके लिये आपने कहा था कि बाद में ले लिया जायगा, वह मौजूद थे और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था वह नहीं लिया . . .

श्री अध्यक्ष—

यदि समय रहता तो वह लिया जाता . . . .

श्री बंशीधर पांडेय—

इस को कल के लिये रख दिया जाय . . . .

श्री अध्यक्ष—

तब तो जितने सवाल रह गये हैं सबको लेना पड़ेगा . . . .

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं तो केवल एक इसी को कह रहा हूं, नं० २ वाले को, उन से पूछ लिया जाय, वह चाहते हैं, यह बहुत जरूरी प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

जरूरी है तो आप फिर से इस को दे दें । हमेशा यह कायदा रहा है कि अगर कोई किसी प्र न में दिलचस्पी रखता है और प्रश्नकर्त्ता उपस्थित न हो तो समय मिलने पर उस को आखिर में ले लिया जाता है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने ही कहा था कि इसको बाद में ले लेंगे लेकिन समय तो सारा अन्य प्रश्नों में बीत गया । यह सोशियों एकानामिक कंडीशन्स से संबंधित है और यह बहुत ही जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि अगर जरूरी है तो आप इसको फिर से दे दें । दूसरे इस का उत्तर किसी को मिला होगा वह आप देख लें और उसके संदर्भ में फिर से नया सवाल दे दें ।

श्री राजनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—

अब सभापति, लोक लेखा समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इस पर मेरी आपत्ति है और वह यह है कि श्री राजनाथ सिंह, सभापति लोक लेखा समिति सरकारी पक्ष के सदस्य हैं, लेकिन परम्परा यह रही है कि लोकलेखा समिति का सभापति हमेशा विरोधी दल का सदस्य होता है । इसलिये उनके द्वारा इस रिपोर्ट का रखा जाना अच्छी परम्परा न होगी । इसकी आप व्यवस्था करें और जब नया सभापति हो जाय तब उन्हीं के द्वारा आप इसको प्रस्तुत कराने की अनुमति दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो ठीक है कि वैसा होता तो अच्छा था, लेकिन जो हो गया वह तो हुआ लेकिन अब उन्होंने शायद कहा है कि वह आज स्तीफा भी अनाउन्स करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तो ठीक है आप उसके बाद रिपोर्ट पेश करा दें।

श्री अध्यक्ष—

यह तो पुरानी रिपोर्ट है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय यह रिपोर्ट नई हो या पुरानी लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अव्वल तो श्री राज नाथ सिंह ने परम्परा को तोड़ा और इस्तीफा नहीं दिया और अगर उनके द्वारा सदन में रिपोर्ट पेश करने दी गई तो एक स्वस्थ परम्परा टूटेगी कि सरकारी बेंचेंज के आदमी के द्वारा लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। इसलिये उनको आप रोक दें और जब कोई विरोधी पक्ष का सदस्य ऐसे स्थान पर हो जाय तब आप उसके द्वारा इसको पेश कराने की अनुमति दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, एक दिन का अन्तर कोई अन्तर नहीं होता उसको आप बाद में जब इस्तीफा उनका हो जाय, तब पेश करा दें। आप जैसे अध्यक्ष पीठासीन हों तो सदन में ऐसी परम्परा कायम रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि इसमें कोई पार्टी के सदस्य तो थे नहीं, सब पार्टीज ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। उसके सभापति मौजूद हैं और जब वे मौजूद हैं, उनके सभापतित्व में समिति ने काम किया और उस प्रकार अगर वे उसको पेश कर देते हैं और उसक बाद इस्तीफा दे देते हैं तो क्या बुराई है? और इसमें आपको क्या आपत्ति है?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं है।

एक सदस्य—

रिपोर्ट की प्रतियां अभी वितरित नहीं की गयी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक-एक आदमी बोले तो कुछ सुनाई भी दे। तीन-तीन आदमी एक साथ बोल रहे हैं।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्योंकि आप नाम पुकारते नहीं हैं किसी का, जो बोलना शुरू कर देता है उसको मान लेते हैं। इसीलिये यह दिक्कत होती है। आप नाम पुकारा करें तो यह दिक्कत न हो। मैंने कल भी आपसे यह शिकायत की थी।

श्री अध्यक्ष—

बार-बार पर्सनल परसुएशन किया गया इसलिये आज वे स्तीफा देंगे।

श्री बलबीर सिंह---

लोक लेखा समिति की रिपोर्ट तो सबकी तैयार की हुई है। रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो यह है कि श्री राजनाथ सिंह से पहले आचार्य जी उस समिति के सभापति थे। जिस समय वे गवर्नमेन्ट में चले गये उसी समय तुरन्त उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। तो एक बात तो यह कि श्री राजनाथ सिंह ने उस पद से इस्तीफा न देकर एक परम्परा को तोड़ा लेकिन आज रिपोर्ट पेश करने वाली परम्परा अगर टूटी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आप इस परम्परा की रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि जो काम वह कर चुके हैं और पहले ही कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि सब की राय से समिति की यह रिपोर्ट तैयार की गयी है, तो इसको कोई भी सदस्य पेश कर सकता है और वे सभापति हैं इसलिये उनको पेश करने के लिये कहा जा रहा है।

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

विरोधी पक्ष के सदस्य जो इस समिति में हैं उनमें से किसी को इजाजत दे दें कि वे पढ़ दें।

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)---

मान्यवर, यह स्वस्थ परम्परा जरूर रही है कि लोक लेखा समिति तथा एस्टीमेट कमेटी-इन दोनों समितियों के चेयरमैन पक्ष और विपक्ष के हुआ करते थे लेकिन मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में ही पार साल यह नियम टूट गया। आपको याद होगा कि श्री राम सिंह एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन थे लेकिन जब वे विरोध में चले गये तो भी एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन बने रहे और इस सदन में रिपोर्ट भी उन्होंने ही पढ़ी। आज यदि लोक लेखा समिति के चेयरमैन सरकारी पक्ष के हैं और एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन विरोधी पक्ष के हैं, चंकि दोनों एक दूसरे में बने हुये हैं, मैं समझता हूं कि दोनों अध्यक्षों को यह रिपोर्ट पढ़ने दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि वह परम्परा कायम रहनी चाहिये कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन विरोधी दल के सदस्य हों और जिस वक्त वे विरोधी दल में न रहें---गवर्नमेंट की तरफ आ जायं, उनको फौरन ही इस्तीफा देना चाहिये। सवाल यह है कि एकदफा एक गलती हो गयी और दूसरी दफा एस्टीमेट कमेटी के जरिये वह चीज बनी रहे, यह कोई जवाब नहीं है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, आप कोई उचित व्यवस्था दे दें, यह मेरी आप से प्रार्थना है। माननीय सभापति का पद विरोध पक्ष को मिलता है और जब यह पद विरोध पक्ष के पास आ जाय तभी आप यह रिपोर्ट पेश कर वायें।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

श्रीमन्, मैं भी एक व्यवस्था चाहता हूं। कार्य सूची में लिखा हुआ है कि मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी, तो इसको स्थगित करने में, समझता हूं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जब हमें साहित्य उपलब्ध हो जाय, तभी इसे पेश कर दिया जाय।

श्री धर्मवीर---

आप पहले इनसे त्याग पत्र तो ले लें ?

श्री अध्यक्ष—

वे सदस्य तो रहेंगे ।

श्री धर्मवीर—

सदस्य तो रह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

त्याग-पत्र वे बाद में देना चाहते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसमें आपको क्या आपत्ति है कि इस रिपोर्ट को किसी विरोधी दल के माननीय सदस्य से पढ़वा लें ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप पहले अपना त्याग-पत्र दे दीजिये?

श्री राजनाथ (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मैं एक महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करता हूं । लोक लेखा समिति की यह परम्परा रही है कि उसके सभापति पद पर विरोधी दल से सम्बन्धित सदस्य कार्य करता है । अप्रैल, १९७१ में वर्तमान सरकार स्थापित हुयी । इस सरकार में सत्तारूढ़ दल अर्थात् कांग्रेस का मैं सदस्य हूं। उसके बाद अप्रैल तथा मई में १९७१–७२ की लोक लेखा समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम भी घोषित एवं प्रसारित किया गया । इसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति का कार्य भी अवशेष था जिसे अपने सभापतित्व काल में ही निपटाना मेरा पुनीत कर्त्तव्य था। मुझे प्रसन्नता है कि अपने कर्त्तव्यों का वहन करते हुए मैंने समिति के उपर्युक्त प्रतिवेदनों को आज प्रस्तुत कर दिया है ।

विधान सभा और उसकी समितियों की पवित्र परम्पराओं का अनुसरण करते हुए उनका निष्ठापूर्वक पालन करना मैं अपना नैतिक कर्त्तव्य समझता रहा हूं और अब भी ऐसा भी समझता हूं। किन्तु उक्त परिस्थितियों में मैंने समिति के सभापतित्व से त्याग-पत्र नहीं दिया । अब जबकि १९७०–७१ की समिति द्वारा किया गया कार्य सम्पन्न हो गया है, मैं समिति के सभापतित्व से त्याग-पत्र देता हूं ।

मेरे सभापतित्व में मेरे सहयोगी सदस्यों ने और विधान सभा के सचिव, श्री देवकीनन्दन मित्थल तथा समिति के कर्मचारियों ने हर प्रकार से सहयोग देकर समिति के कार्य-संचालन में पर्याप्त सहायता की । मैं इन सब का आभार मानता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह आपकी ओर से आदेश दिये गये कि इस्तीफा दे दें । मैं इसका स्पष्टीकरण सदन में चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मंथन नहीं करना चाहिये । जो चीज पूरी हो गयी, उसका बार-बार मंथन नहीं करना चाहिये ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

जो रिपोर्ट सदन में पेश की जा रही है, वह १९६५ की है और आज १९७१ में पेश की जा रही है जबकि लोक लेखा समिति के जो सदस्य उस समय थे, उनमें से अधिकांश यहां पर नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह तो कार्यान्वयन रिपोर्ट है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि १९६३–६४ के विनियोग लेखे तथा १९६५ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्यवाही सम्बन्धी लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन माननीय राजनाथ जी आप प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दीजिये।

श्री राजनाथ—

अध्यक्ष महोदय, मैं १९६३–६४ के विनियोग लेखे तथा १९६५ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों. . . .

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। दफा ५१ के अन्तर्गत मेरा प्रश्न १२ तारीख के अन्तगत आपने स्वीकार किया था जिसमें यह कहा था आपने कि वह १५ तारीख को सदनमें आयेगा। वह न आज एजेन्डे में आया है और न आपने मुझे उसकी सूचना दी है। कृपया व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

वह १९ तारीख को आ गया।

श्री सुखपाल पांडेय—

आपने मेरे पास सूचना भेजी थी कि वह १५ तारीख के लिये रक्खा है।

श्री अध्यक्ष—

उस पर गवर्नमेन्ट की तरफ से जबाव आया है कि उसका मसाला तैयार नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय—

पुलिस वालों ने दस हजार रुपया लेकर जो हत्या की थी वे आतंक फैला रहे हैं। क्योंकि आपका एक निश्चित समय था उस पर चर्चा करनी थी माननीय मंत्री जी को. . . .

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि मंत्री जी ने कहा है कि उनके पास अभी इसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं हुई है इसलिये १९ तारीख इसके लिये कर दीजिये। इसकी १९ तारीख कर दी है। इसलिये आज यह नहीं हुआ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जब सूचना दी गई कि इस सम्बन्ध में मंत्री जी १५-७-७१ को वक्तव्य देंगे और इसकी इत्तला हमको चार दिन पहले मिली। तो मान्यवर, जैसा कि माननीय सुखपाल जी ने बताया पुलिस अधिकारियों ने यह मौका चाहा है कि हमको इस बीच में मौका मिल जाय। मान्यवर, फिर आपकी तरफ से इस बात की सूचना मिल जानी चाहिये थी कि इस १५ तारीख के बजाय यह २०-२२ को लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

आपको सूचना कैसे मिलती, कल शाम को ही बताया गया है। जिस वक्त इसका समय होता शाम का तो देखने पर मैं सूचना दे देता। इस लिये सूचना नहीं हुई।

श्री रामकरन सिंह—

आप अब बता दें कि इसको १५ तारीख के बजाय अब किस दिन रखेंगे?

श्री अध्यक्ष—

१५ तारीख के बजाय १९ तारीख कर दी है।

श्री राजनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य को इस बात की आज्ञा दी है कि वे समिति की सिफारिशों को सदन के अन्दर प्रस्तुत करें। मैं समझता हूं कि परम्परा ऐसी है कि जब तक लोक लेखा समिति अपने किसी सदस्य को इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वह उसके प्रतिवेदन को सदन के अन्दर पेश करे तो कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता। मान्यवर, यह एक परम्परा है, एक कन्वेंशन है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेगी साहब ने जो कहा उस सम्बन्ध में नियम २१६ को देख लें। इसमें यह है—

"समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों, या सभापति की अनुपस्थिति में, या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हो तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा और सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।"

तो इस नियम के अनुसार, जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने सभापति पद से इस्तीफा दे दिया तो सदस्य के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

हस्ताक्षर तो इन्होंने किये हैं। तो यह प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, सभापति तो वह स्वयं थे। उन्होंने कैसे अपने आप को अधिकृत किया?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, जिन परम्पराओं की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया वह बिल्कुल उचित हैं और मर्यादा के अनुसार विरोधी दल के प्रतिनिधि को ही लेखा समिति का चेयरमैन होना चाहिये, और इसी मान्यता के अन्तर्गत सदन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सम्मानित सदस्य, गाजीपुर ने लोक लेखा समिति के सभापतित्व से त्याग-पत्र दिया है। श्रीमन्, सभापति का चुनाव लोक लेखा समिति की बैठक में ही होता है। और उनके त्याग-पत्र को स्वीकार करना आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति का ही कर्त्तव्य है। तो जब तक त्याग-पत्र स्वीकार नहीं होता तब तक सम्मानित सदस्य, गाजीपुर लोक लेखा समिति के सभापति है और उनको यह अधिकार है कि नियम २१६ के अन्तर्गत, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य, बलिया ने किया, वह इस प्रतिवेदन का उपस्थापन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह बात गलत है कि समिति को इस्तीफा देंगे। इस्तीफा तो दिया जाता है अध्यक्ष को, और इस्तीफा उन्होंने मेरे पास भेज दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, चुनाव तो समिति करती है····।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय सदस्य ने जो हस्ताक्षर किये वह सभापति की हैसियत से किये थे, इसलिये वह लागू नहीं होते। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इतनी उलझन में न पड़ें और इसको किसी दूसरे दिन के लिए रख दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, सभापति के नाते उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये हैं और यह प्रकाशन उन्हीं के नाम से प्रकाशित होगा। यह तो एक औपचारिक मामला है। इस तरह से सदन के काम में बाधा पड़ती है। इसके मुद्रण में विलम्ब होगा। जरा सी टैक्नीकल बात है। इसमें माननीय सदस्य को इतना नाराज नहीं होना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह नियम के अनुकूल है या नहीं। आज तक यह देखा नहीं गया कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये और बदल गये फिर वह प्रतिवेदन दे सकता हो। मान्यवर, अच्छा होगा कि इस पर आप विचार कर लें और आज के बजाय इसको कल के लिये रख दें। यह प्रश्न नहीं है कि औपचारिक दृष्टि से मान लेना चाहिये। जो गलती की है उसको मान कर नियम के विरुद्ध काम नहीं कर देंगे। इसको कल के लिये कर दें।

*श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक कि नियमों का प्रश्न है वह तो बहुत स्पष्ट है। इस नियम के अनुकूल माननीय सदस्य, गाजीपुर को इसको रखने का अधिकार है। ऐसी परिस्थितियां जैसी की आज है, कई बार सदन के सामने आ सकती हैं। माननीय सदस्य ने चेयरमैन के पद से त्याग-पत्र दे दिया और कदाचित आपने उसको स्वीकार कर लिया है। जो हस्ताक्षर उन्होंने किये हैं वे तो उस पर मौजूद रहें। ऐसी स्थिति में वह इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें लिखा है, समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों"। पहले या में यह आ जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किया हो। उनके हस्ताक्षर प्रतिवेदन पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। यह अधिकृत हो जाते हैं। दूसरे में यह है कि समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों। यह तो दूसरी चीज है। मान्यवर, मैं इसको इसलिये कहना चाहता था कि ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं और उन्हीं परिस्थितियों के लिये यह अलग-अलग आल्टरनेटिव्ज हैं। यह जो दूसरा यह है वह सभापति द्वारा उस व्यक्ति के लिये है जिसने हस्ताक्षर किया हो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जो सभापति रहा हो और जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो।

श्री गोविन्दसिंह—

माननीय आचार्य जी कह रहे हैं कि इस पर हस्ताक्षर है....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, कोई भी सदस्य बिना आप की अनुमति के बोलना आरम्भ कर देता है। यह ठीक नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह—

जैसा कि आचार्य जी ने कहा उसमें एक उलझन हो गई है। समिति की रिपोर्ट को देखें। उस पर माननीय सदस्य के जो हस्ताक्षर हैं वह बहैसियत चेयरमैन के हैं और आज वह चेयरमन नहीं हैं। इसलिये यह रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं है। यह स्थिति पैदा हो गई है। अगर उनके हस्ताक्षर बहैसियत सदस्य के हों तब तो बात सही थी लेकिन उस पर हस्ताक्षर है बहैसियत चेयरमैन के जो आज वह नहीं हैं। इसलिये निवेदन है कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि यह रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मैंने प्रार्थना की थी कि कितने प्रकार के लोग इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं कह रहा था कि दो प्रकार के आदमी उपस्थित कर सकते हैं। एक तो सभापति जी या कोई सदस्य जो सभापति द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। सभापति अब वह नहीं है लेकिन ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति हो सकता है जो उस पर हस्ताक्षर करेगा। वह वही होगा जिसने किसी हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं। इसमें हस्ताक्षर करने वाले सदस्यगण और सभापति ही है। सदस्यगण और सभापति दो ही ऐसे व्यक्ति हैं। तो सदस्य कोई उपस्थित नहीं कर सकता जब तक कि सभापति अधिकार न दे दें। सभापति दुर्भाग्य से है नहीं। दूसरा व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर किये हैं लेकिन वह आज उपस्थित नहीं कर सकता है। तो वही कर सकता है केवल हस्ताक्षर, यद्यपि उसने अपना इस्तीफा दे दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय सदस्य ने दल बदल किया है, नहीं तो यह मौका नहीं आता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह नहीं कहना चाहता कि मित्रों ने दल बदल किया है या मैंने किया है। यह कहने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। यदि मित्र सुनना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि वह कौन हैं जो नीतियों में विश्वास करते हैं या केवल बातों में।

श्री मैनेजर सिंह—

दल बदल पर चर्चा नहीं होना चाहिये। दल बदल तो वैधानिक हो गया है। यह तो परम्परागत हो गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि समय बढ़ा दें। इसको दो व्यक्ति उपस्थित कर सकते हैं। एक तो सभापति या सभापति किसी कारण न रह जाय तो कोई दूसरा व्यक्ति। एक ही व्यक्ति की दो कैपेसिटीज नहीं हो सकती हैं। जिस व्यक्ति का नाम है वह अदर दन अध्यक्ष है लेकिन इस केस में अध्यक्ष ने ही दस्तखत किये। वह आदमी अदर दैन अध्यक्ष नहीं है। इसलिये कैपेसिटी का ख्याल किया जाय। किसी दिन कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष हो सकता है और कभी सदस्य रह सकता है। उसके दस्तखत, मिस्टर सो एण्ड सो ने नहीं किये। व्यक्ति नहीं रहा, पद रह गया। तो दोनों को मिला कर लायेंगे तो काम नहीं बनेगा। जो व्यक्ति रह गया है वह ठीक नहीं रह गया है, इसलिये नियम का विचार करने के लिये कल के लिये कर दें।

श्री अध्यक्ष—

एक सदस्य मौजूद है और वह सदस्य सभापति के पद से हट जाता है। यह शंका मेरे दिल में आई कि किसी ने इस्तीफा दे दिया और जिस रिपोर्ट को पेश करना है उसमें वह सदस्य की हैसियत से मौजूद है और उसके दस्तखत रिपोर्ट के ऊपर हुये हैं, वह सभापति की हैसियत से हुये हैं। तो मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने दस्तखत किये हैं वह अध्यक्ष अब नहीं रहा लेकिन क्या वह एज़ सदस्य कुछ नहीं कर सकता ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने जो कहा उसको रिपीट करते हुए कहता हूं कि इसमें यह लिखा हुआ है कि "समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे"। जिस वक्त उन्होंने दस्तखत किये वह सभापति थे। उस वक्त उनकी हैसियत सभापति की थी किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं थी। अगर ऐसा न होता तो स्पष्ट लिख दिया गया होता कि जिसने दस्तखत किये हों। कहने का मतलब है कि दोनों कैपेसिटीज भिन्न-भिन्न हैं। दूसरे व्यक्ति ने जिसने हस्ताक्षर किये वह अध्यक्ष नहीं था। उसको अध्यक्ष का काम संभालने का अधिकार दिया गया था। अगर आप यह कह दें कि यही व्यक्ति प्रस्तुत कर दे तो हमें कुछ नहीं कहना और अगर आप कहते हैं कि उनके दस्तखत अध्यक्ष की हैसियत से है तो फिर अब वह इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—

इसके कौन-कौन सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जिन माननीय सदस्य ने विरोधी पक्ष के हस्ताक्षर किये थे अब वह बैठे हैं सरकारी पक्ष में इसलिये अगर ऐतराज न हो तो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य मैनेजर सिंह जी और जवीर सिंह जी हैं। इनसे ही पढ़वा लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, नियम २१४ की तरफ आप ध्यान दें। इसमें यह है कि कौन-कौन लोग प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसमें है कि समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। यह पहला भाग है। दूसरा भाग है परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हों या सुगमतया न मिल सकते हों तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति कोई अन्य सदस्य चुनेगी। इसमें यह है कि साधारणतः प्रतिवेदन पर समिति की तरफ से उसके सभापति ही हस्ताक्षर कर सकेंगे। यह साधारण नियम है २१४ में। इसमें आगे परन्तुक जोड़ा गया है . . .

श्री अध्यक्ष—

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हों या सुगमतया न मिल सकते हों तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति कोई अन्य सदस्य चुनेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

दो ही सूरतें हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । मेरा खयाल है कि वह पेश नहीं कर सकते । इसमें स्पष्ट है । अन्य आदमी जो उस समय सभापति नहीं थे उसको दस्तखत करने के लिये कहा जाय । उनमें यह नहीं आते हैं । आप जब सभापति चुनेंगे तब यह चीज आयेगी ।

पंचायत मंत्रियों की मांगों के बारे में मुख्य मंत्री से जानकारी की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक प्रश्न पंचायत मंत्रियों के विषय में बड़े महत्व का है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बातचीत करना चाहते हैं । श्रीमन्, मुझे ऐसा पता चला है । एक शिष्ट मंडल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनकी मांगों के औचित्य को स्वीकार भी किया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको क्या आश्वासन दिया, यह बता दें ताकि स्थिति गम्भीर न हो ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

आज उनका शिष्ट मंडल मुझसे मिला था, उसके साथ बहुत मंत्री से भी मिले थे और उन्होंने मुझे यह सूचना दी कि कल रात को उनकी जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने यह निश्चय किया है कि सारा प्रश्न मुख्य मंत्री पर छोड़ दिया जाय । उन्होंने यह बताया कि सारा प्रश्न मेरे ऊपर छोड़ दिया है । आज शाम को ५ बजे वे बैठक कर रहे हैं । शाम को उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि मैं बैठक में जाऊं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मैंने दफा ५२ के अन्तर्गत नोटिस भी दिया है । जो पंचायत मंत्री गिरफ्तार हुये हैं उनके साथ बड़ा खराब बर्ताव हुआ है, उन्हें खाना नहीं दिया गया है, दवा वगैरह नहीं दी गयी, एक दिन की कोर्ट की सजा देकर छोड़ दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

जो सूचना आप देना चाहें मेरे पास लिख कर भेज दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, संविद ने अंतरिम सहायता के लिये जो निर्णय लिया था, उसी की घोषणा कर दें ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, पंचायत मंत्रियों का मामला सदन में प्रस्तुत हो चुका है, कामरोको प्रस्ताव आदि भी यहां आ चुका है, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वे इस मामले में इस सदन का और विरोधी दलों का भी कांफीडेंस लेने की कृपा करें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और सदन के सामने आ चुका है ।

श्री अध्यक्ष—

सदन के माननीय सदस्यों का भी सहयोग क्या आप लेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री सदन में एक वक्तव्य दे सकें तो हम लोग उनको कुछ सलाह दे सकेंगे । यह बिल्कुल निपटारा हो जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी मुख्य मंत्री—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों को धैर्य रखने की आवश्यकता है जब उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है । हम लोगों ने आज बातचीत की, कल रात को बातचीत की, आज शाम को बातचीत करने जा रहे हैं, सब मेरे ऊपर छोड़ दें । यह हमारे और पंचायत मंत्रियों के बीच की बात है । इसमें और प्रश्न न उठाये तो इस मामले को हल करने में अधिक सुविधा पड़ेगी ।

प्रश्न विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव है उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है । कामरोको प्रस्ताव इस सूरत में आते नहीं हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक कामरोको प्रस्ताव हमारा था, जो लाखों करोड़ों रुपया किसानों का इस प्रदेश में बकाया है ।

श्री अध्यक्ष—

दो विशेषाधिकार के प्रश्न हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने कामरोको प्रस्ताव कह दिया तो संदेह हुआ ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

मैंने आपके पास विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस भेजा है । बड़ा जरूरी है, हमारे हित में भी है, आपके हित में भी है, सबके हित में है । उसको निकाल कर पढ़ लीजिये और मुझे एक मिनट कहने की इजाजत दे दीजिये ।

मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न के पूरे मेम्बर्स का अधिकार है कि वह सदन के अन्दर, क्वैश्चन दे सकें, आपका प्रश्न विभाग प्रायोरिटी के साथ, सबके साथ इंसाफ करके, उनको नम्बर पर लगाये, लेकिन मैं चार दिन के अजेंडा में देख रहा हूं कि केवल पांच-सात व्यक्ति ऐसे हैं, मैं नहीं समझता किसी लालचवश, मैं नहीं समझता किसी आकर्षणवश, किसी असर के कारण पांच-सात व्यक्ति ऐसे हैं. . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

हमारा कभी नम्बर नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष—

१२ जुलाई १९७१ से मैं प्रश्नों की सूची देखकर अनुभव कर रहा हूं कि प्रश्न विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व कार्यकर्ता विधान सभा के केवल ५ या ७ सदस्यों से किसी स्वार्थ, लालचवश, या किन्हीं खास, यह जो आक्षेप कर रहे हैं, यह विशेषाधिकार का प्रश्न आपके ऊपर आ सकता है। मैंने इसके ऊपर डिप्टी साहब की, एक वन मैंन कमेटी बैठायी थी। सब जांच करके उन्होंने कहा कि सब कायदे से काम हो रहा है। आप कहते हैं कि लालचवश, किसी हमारे कार्यकर्ता को जो सदन का सेवक है, नौकर है उसके बारे में कहना कि लालचवश. . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक निवदन मेरा यह है कि जो यह प्रश्न है, जिसके ऊपर फरमा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिसमें आप मजबूर हैं उन बातों को कहने के लिये, जिनका कहा जाना यहां उचित नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको आप स्वयं पढ़कर इसके ऊपर जो भी निर्णय करना हो माननीय सदस्य को बुला लें कक्ष में और बात कर लें। सदन में न कहें।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन वह इस तरह की बात करना शुरू करते हैं। मेरे ऊपर आक्षेप करना शुरू कर दें तो मैंने आपके सामने बता दिया, यह प्रश्न विशषाधिकार का नहीं है, जो उन्होंने दिया है इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया।

नित्यानन्द स्वामी द्वारा श्री जगदीश गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा नित्यानन्द स्वामी का है। श्री जगदीश गांधी ने अखबार में जो शब्द इस्तेमाल किये, सदन में आये दिन शोरगुल होता है, हुल्लड़बाजी होती है, यह अनुचित है। जहां तक अनौचित्य की बात है, इस सदन में हुल्लड़बाजी होती है, अखबारों में यह छपना नहीं चाहिये।

अब यह है कि किसी माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिये सदन के सदस्य होते हुए उन्हें इस सदन की प्रतिष्ठा कायम रखनी चाहिये। यह बात सत्य भी है। मैंने इसलिये कहा कि इसमें कहा गया है कि सदन में हुल्लड़बाजी हो रही है, और विशेषाधिकार की अवहेलना है . . . . (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि वे माननीय सदस्य भी इसी सदन के सदस्य हैं। व कुछ भी बात कह लें किन्तु एक अखबार के वे तो स्वयं सम्पादक हैं उनका यह कहना कि यहां पर हुल्लड़बाजी होती है और जैसे वे सदस्य एक बड़े ऊंचे स्तर के हों। मान्यवर, इसमें तो आपके ऊपर भी आक्षेप आता है कि चूंकि हुल्लड़बाजी इसलिये होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो आक्षेप मानता हूं। सवाल यह है कि ऐसा नहीं करना चाहिये। वे तो अपने ही सदन के सदस्य हैं। अगर ऐसा ही कहा जायेगा तो इस सदन की प्रतिष्ठा ही क्या रह जायेगी?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, उन्हें अच्छी तरह से ताड़ना दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है ।

सदस्यों को बोलने के लिये समान अवसर देने की प्रार्थना

श्री भगवती सिंह बिशारद (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज तीन-चार दिन से यह देख रहा हूं कि इस सदन में जिन माननीय सदस्यों के सामने लाउडस्पीकर लगे हुए हैं वे बार-बार अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी कह कर अपनी बात यहां पर कह लेते हैं और आप उनको बोलने की इजाजत भी दे देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और हम लोग जो हैं जिनके पास लाउड स्पीकर का प्रबन्ध नहीं है उनको आप बोलने का अवसर नहीं देते हैं । अतः इस संबंध में मैं आपको दो सुझाव देता हूं । पहला तो यह है कि या तो आप ऐसी व्यवस्था यहां पर कर दें कि सभी माननीय सदस्यों के पास लाउड स्पीकर लगवा दें ताकि हम लोग भी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी कहकर अपनी बात कह सकें और या तो आप हम लोगों की तरफ भी अपना ध्यान दें....

श्री अध्यक्ष—

यहां पर यह होता है कि ५–६ आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं और उसके बाद नजर पड़ने का सवाल है जिसके ऊपर नजर पड़ जाती है उसको बुला लिया जाता है । एक-एक करके ही तो मैं लोगों को बुलवा सकता हूं । कायदा यह है कि अध्यक्ष की जिस पर प्रथम नजर पड़ जाय उसी को बुला लिया जाय । अब आप देख लीजिये एक साथ ५–६ आदमी खड़े हो गये तो मैं अब किसको अवसर दूं ? एक ही आदमी को तो समय दे सकता हूं एक बार में.... (व्यवधान)

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि अभी जो चर्चा चल रही थी तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि उधर से लक्ष्मी रमण आचार्य खड़े हो उठे तो आपने उनको बोलने का अवसर दिया, इधर से माधव बाबू उठे तो आपने उनको बोलने का मौका दिया और उसके बाद अनन्तराम जायसवाल जी उठे तो आपने उनको भी मौका दिया । तो आपकी दृष्टि में वकील लोगों को ही बोलने का अवसर दिया है । ऐसी पक्षपातपूर्ण दृष्टि मुनासिब नहीं है । अध्यक्ष जी, वकील लोग दो तरह के होते हैं । एक तो सफल वकील होते हैं और दूसरे असफल वकील होते हैं जो कि मुकदमा हार जाते हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी-कभी हारा हुआ वकील भी मुकदमा जीत जाता है । अतः आप ऐसी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था न करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, अक्लमन्द की कदर अक्लमन्द ही जानता है । यदि उसमें आपने ऐसा कर दिया तो उसमें आपको ऐतराज नहीं होना चाहिये ।

लैंड सीलिंग उप समिति के सदस्यों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मैं सदन को दे दूं । कल माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने कहा था कि जो कमेटी बनाई गई है सीलिंग के बारे में, उनके वे नाम सदन को बाद में बता देंगे । उन्होंने वे नाम मेरे पास भेज दिये हैं । वह मैं आपके सामने पढ़े देता हूं वे इस प्रकार हैं । राजस्व मंत्री—श्री उदित नारायण शर्मा, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री—श्री नारायण दत्त तिवारी, वन, समाज कल्याण मंत्री—श्री अजित प्रताप सिंह, खाद्य एवं रसद मंत्री—श्री बेनी सिंह तथा सिंचाई मंत्री श्री रामलखन एवं राजस्व सचिव । इनमें राजस्व सचिव समिति के संयोजक होंगे । यह उन्होंने जो लैंड सीलिंग के बारे में उपसमिति बनाई है उनके नाम हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन सुन लीजिये । कल माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि जहां भी अतिवृष्टि हुई है वहां का लगान स्थगित कर दिया गया है । लेकिन में देखता हूं कि माननीय गुप्त जी की सरकार ने जो सवा छै एकड़ का लगान माफ किया था, उसका भी इस सरकार ने ४ करोड़ रुपया वसूल कर लिया है । मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

समिति के जिन नामों की घोषणा हुई है उनको आप अपने सचिव के द्वारा दुबारा सुनवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें तो सब मंत्रिगण हैं । एक सरकारी कमेटी है । एक राजस्व सहायता एवं पुनर्वासन तथा विधायका मंत्री—श्री उदित नारायण शर्मा वित्त एव संसदीय कार्य मंत्री—श्री नारायण दत्त तिवारी, वन तथा समाजकल्याण मंत्री— श्री अजीत प्रताद सिंह, सिंचाई मंत्री—श्री राम लखन तथा राजस्व सचिव इस समिति के संयोजक होंगे ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मंत्रियों की समिति में एक अधिकारी किस प्रकार से संयोजक हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

कैबिनेट का काम इसी प्रकार से चलता है ।

१९७१—७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब बजट के ऊपर आम बहस होगी । माननीय नेता विरोधीदल भाषण प्रारम्भ करेंगे ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

मान्यवर, अगर आप इजाजत दें तो मैं बैठकर बोल लूं ।

(बैठकर बोलने की अनुमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बजट और लेखानुदान का संबंध है उसके विषय में पहली बात तो यह है कि आज जिस वातावरण में इस सरकार का गठन हुआ है और इस प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में उस वातावरण से जिस प्रकार की चीजों की आशा इस बजट में इस सरकार के द्वारा की गयी थी, वह कुछ भी दिखायी नहीं पड़ा । जिन साथियों ने इस बजट को बनाया है,

[चौधरी गिरधारीलाल]

उनको मैं जानता हूं। उनके हृदय में भावनायें हैं लेकिन वास्तविक रूप में उन भावनाओं की छाप इस बजट पर पड़नी चाहिये थी। जब मैंने उसको शुरू से आखीर तक देखा तो पाया कि वही पुराना बजट है, वही पुराना ढंग है और वही पुराना ब्यूरोक्रेटिक तरीका है। ९२६ करोड़ की योजना के अंग का बजट पहले भी था और आज भी है। मैं जानता हूं पंडित कमलापति जी त्रिपाठी और माननीय नारायण दत्त जी तिवारी के हृदयों में जज्बात हैं लेकिन जब वे ब्यूरोक्रेसी के सामने बैठते हैं तो मजबूर हो जाते हैं। इसलिये भले ही इस बजट में बहुत से साधारण लोगों के नाम हों—अपाहिजों का नाम हो, विधवाओं का नाम हो, राजनैतिक पीड़ितों का नाम हो, भले ही वे लोग अपना नाम सुन कर खुश हो जायं। विद्यार्थी, हरिजन और पिछड़े लोग भले अपना नाम सुन कर खुश हो जायं लेकिन मुझे इस बात का अनुभव है कि इस ब्यूरोक्रेटिक तरीके में आकर जो भी चीज रखी जाती है वह इसमें फंस कर रह जाती है। और इसके जरिये से देश के नागरिकों का पतन ही हुआ करता है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। दो सौ या तीन सौ रुपये आप किसी को मंजूर करें तो अव्वल तो उस मंजूरी के लिये उसको न्योते दिये जायेंगे कि चले आयें हमारे पास, हम आपको इतना रुपया दिला देंगे फलानी मद से। वह जाता है। अपनी दस दिन की मजदूरी बरबाद करता है और फिर जब उसको मिलता भी है तो मुझे एक रिपोर्ट मिली है, मैं आपको बतलाऊं कि दो सौ रुपये में से सिर्फ १० या १५ रुपये उसको मिले, बाकी तमाम नीचे से ऊपर तक लेने देने में खत्म हो गया। आखिर में उसको मायूसी होती है।

(इस समय १ बजे उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

इस वक्त जो सीधा आदमी है, जो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं वह देखता है कि केवल सिफारिशों से, जाति बिरादरी से और जो पावर में हो उसी के जरिये से कुछ होता है और न्याय का गला घोट दिया जाता है। तो उनके दिमाग में एक चोट लगती है और इसका नतीजा आप सोच लीजिये कि आखिर में क्या नतीजा होता है। इसमें कहीं १० लाख रुपया हरिजन वर्ग के लिये कहीं २० लाख रुपया बेकारी को दूर करने के लिये, कहीं कुछ रुपया उर्दू के लिये और कहीं कुछ रुपया विधवाओं के लिये रखा गया है। अगर आज से दस वर्ष बाद इस बजट को कोई देखेगा तो यह समझेगा कि पंडित कमलापति त्रिपाठी, जो बनारस के निवासी हैं और एक बहुत ऊंचे परिवार से आये हुए हैं, सचमुच उनका राज एक राम राज्य था, उसमें हर एक आदमी को जान व माल और इज्जत पूरी तरह से सुरक्षित थी क्योंकि पुलिस का इसमें कहीं जिक्र तक नहीं है। वह समझेगा कि हमारी बहू, बेटी अगर घर से बाहर होते हैं तो दूसरे समय में तो रेप कर लिया जाता था लेकिन पंडितकमलापति त्रिपाठी के राज्य में, जो कि केंद्र से प्रेरित हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है और वास्तव में अगर राम राज्य मिला है तो इनके राज्य में। बाकी प्री-इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में तो चोरी, बरगलरी, जरायम, रेंसम सभी चीजें थीं।

लेकिन आज वस्तुस्थिति क्या है यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे सदन के दो-दो सदस्य चलते हुए जब गोली के शिकार हो जायं तो साधारण व्यक्तियों की औकात क्या है यह सोचने की बात है। इतना ही नहीं, आज तो विश्वास नाम की जैसी चीज, जिसे किसी सरकार का कायम करना मौलिक फंक्शन होता है, नागरिकों के हृदय से गायब हो चुकी है। आज कौन सा कर्मचारी इत्मिनान से बैठा है। उसको पता नहीं कि किस की सिफारिश पर वह कहां का कहां पहुंच जाय देहात के एक नागरिक को यह पता नहीं कि कौन व्यक्ति रात को आ कर उसको गोली मार दे। और कोई भी व्यक्ति लोगों की बहू बेटियों को उठा ले जाय और १० हजार उनसे मांग कि पैसा देकर ले जाइये। तो यह चीज है जो इस तरह से परदे के पीछे डाल दी गई है और उसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। मैं जानता हूं कि उनकी भावना थी, उनकी इच्छा थी और वह लड़ते हैं लेकिन वह ब्यूरोक्रेसी हर तरह से आपको रोकती है और अपनी मजबूरी दिखाती है कि हम क्या करें। कुछ बातें वह सामने लाकर खड़ी कर देती है कि प्लानिंग कमीशन की कठिनाई है और

दूसरी कानूनी कठिनाई है लेकिन क्योंकि कुछ बातों का वायदा किया है तो उसके अनुसार लोगों को कहने के लिए, प्रचार के लिये दल के लोगों को कहने के लिये थोड़ा-थोड़ा रुपया कुछ मदों में रख देते हैं ताकि कुछ जनता को कहने को हो जाय। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाय तो इस मशीनरी के द्वारा यह सब पैसा नीचे नहीं पहुंचेगा। सब से बड़ी समस्या जिस समस्या के लिये केंद्र से लेकर सूबे तक हर एक आदमी गला फाड़ फाड़कर, चिल्लाता रहता है वह हरिजनों की है। जो आज ब्यूरोक्रेसी मछली बनी हुई है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कुछ बातें हैं जिनके बारे में राजनैतिक ख्याल से नहीं, विरोधी दल के नेता के दृष्टिकोण से भी नहीं एक कार्यकर्ता के नाते से जो मेरे विचार हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

आप इस बात को नोट कर लीजिये कि सन् १९३० से आज तक जितने भी जमीन के सुधार के काम हुये हैं उन सब में हरिजन का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि जितनी भी जमीन निकलेगी वह सब हरिजनों को दी जायगी। हरिजनों को खेती में बसाया जायगा और उनको मकान बनाकर दिया जायगा। हरिजनों की बेकारी दूर की जायगी लेकिन आप इस बात को समझ लें कि इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। यह बात सभी जानते हैं कि हमारे देश के अन्दर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है और वे अपने खेतों को अपने काबू में नहीं रख सकते हैं। हरिजनों के पास कुछ उनकी जमीन थी और उनको मौरूसी करने की बात कही गई थी। इस बात को सन् १९३७-३८ में माना गया था कि जिसका हल होगा उसी की जमीन होनी चाहिये। जब उनसे जमीनें छुड़ाई गई तो मैंने इसपर सन् ४० में बहुत शोर मचाया और गांधी जी ने भी मेरे से पूछतांछ की तथा कोशिश भी की किन्तु वे विवश हो गये। बहुत काफी जमीनें उनसे छुड़ाई गयीं क्योंकि मौरूसी हक मिलने पर जमींदार उन पर हावी नहीं हो सकता था। इसके बाद सन् ४६ और ५१ के बीच जमींदारी खत्म करने की बात सोची गई। जो हल नहीं चलाते थे उनसे जमीन लेकर जो हल चलाते थे उनको देने की बात कही गई। हरिजनों को यह एहसास था कि जमीन उनको दी जायगी। जमीन जमींदारों से ली गई। हरिजनों को उम्मीद थी कि उनको वह जमीन मिलेगी। इसके बारे में बहुत से आदेश दिये गये। आदेशों की भरमार होती है। मैं भी बहुत से मुख्य मंत्रियों के साथ रह चुका हूं और जानता हूं कि बहुत से आदेश हुये लेकिन जहां तक इस प्रकार से आदेश हुये उन सब को दी की टोकरी में उठाकर सरकारी अफसरों द्वारा डाल दिया गया। मैं जिलों के अन्दर घूमकर आता हूं और मथुरा, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के लोगों से पूछा कि ४५ फीसदी की जो रियायत है वह कहां तक पूरी हुई है। सब लोगों ने यही बताया कि किसी को इस बात का पता भी नहीं है।

मैं आपको यह बतला रहा था कि जमींदारी खत्म होती है और जितनी भी जमीन उनसे निकली वह या तो जंगलात में चली गयी है या फिर पंचायत के हाथ में चली गयी है। हरिजनों के पास वह जमीन नहीं पहुंच सकी। जो सीधे सादे और सरल किस्म के हरिजन थे उनकी जमीन को मुकदमें के जरिये परेशान करके उनसे छीन ली गयी। और जमींदारी समाप्त होने के बाद उन जमींदारों व तालुकेदारों ने, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, जमीन की जब जरूरत महसूस हुई तो सीधे सादे सरल किसान हरिजनों से जो जमीनें उनके पास बच गयी थी उनको मुकदमें में परेशान करके उनसे छीन ली गयी। काफी कोशिशें की गयी, सरकार की तरफ से भी की गयी लेकिन हम लोग नाकामयाब रहे। पहले तो उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी भी लेकिन आज वह बेजमीन वाले हैं। यह सही है आप उस को कुछ जमीन देते भी हैं लेकिन आपने तो बाहर वालों तक को रिहेबिलेटेट किया है, उसके ऊपर आप का कोई बड़ा एहसान नहीं है।

[चौधरी गिरधारीलाल]

यही नहीं वाजिबुलअर्ज के हिसाब से देहात के हरिजनों को वहां जितना भी चमड़ा पैदा होता था उस पर पूरा अधिकार होता था, उस को बेंचने के लिये वे पूरे मालिक होते थे, आज आप ने यह पैसा जो कम से कम २.५ करोड़ रु० होता है भी उनसे ले लिया और वह पैसा सरकार के खजाने में है । आप कहते हैं कि २ करोड़ रुपया हरिजन उत्थान में हम खर्च करेंगे । आप आचार्य जुगल किशोर की रिपोर्ट पढ़िये यह २ करोड़ रुपया जो खर्च किया बताया जाता है यह प्लानिंग बोर्ड में, सरकारी खजाने में या मैनेजरों के पर्सनल लेजर्स में पड़ा हुआ है ।

बड़ा शोर और हल्ला मचाया जाता है कि हम हरिजनों को शिक्षा देंगे । आप क्या शिक्षा देंगे । आप के जो शिक्षक लोग और जो मैनेजर लोग हैं जो उनकी शिक्षा के नाम पर ग्रांट लेते हैं वह हरिजनों के बच्चों से बलदिये का काम लेते हैं और उनसे डंगर चरवाते हैं और जो ग्रांट मिलती है उसे अपनी जेब में रखते हैं । हरिजन भी आखिर दुनिया में इनसान हैं । मरता क्या नहीं करता । मैं भी इस बात को माननेवाला हूं, पेट के सवाल के सामने धर्म, देश और संस्कृति की बात सब बेकार है । वह उधर हमारे साथी और हमारे भाई बैठे हैं । वह जानते हैं बुजुर्आ लोगों की क्या करामातें हैं और किस तरह से एकनामिक तरीके से बहाने बनाकर उन का तरह तरह से शोषण होता है । कहा जाता है कि हम उन्हें शिक्षित बना रहे हैं और उन को हम नौकरियां देंगे । लेकिन जो आप की ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक मेशीनरी है उसने उनको कभी कोई नौकरी दी ? उन्हें नौकरी देने से, कहा जाता है जो उनकी सरकारी एफीशियेंसी गिर जाती है, उनके आने से सरकारी कार्य की एफीशियेंसी गिर जाती है । वैसे तो पूरी एफीशियेंसी रहती है लेकिन हरिजन लड़के की भरती से एफीशियेंसी गिर जाती है । आप ने इस दिशा में क्या कदम उठाया ? हम तो दोषी थे, हम गतिहीन थे, स्टेटिक थे लेकिन आप तो डायनिमिक हैं । आप ने तो उन को और डिमारेलाइज किया है आप ने उन को भिखारी बना दिया । जो मेहनत करके खाता था वह आज जरा जरा सी ग्रांट के लिये आप के दरवाजों पर मारा-मारा फिरता है ।

आप कहते हैं कि हम उनको उद्योग में लगायेंगे । आप इसको छटवा लीजिये एक दो जिले को छोड़कर वह बेकार पड़े रहते हैं और इस पूरे सूबे में उनको कोई नहीं पूछता । पिछले साल भी मैंने सुझाव दिया था, बड़े बड़े कारखाने यहां खुलें । हरिजन आप के पास आता है वह पैर छूता है । पैर छूने की परम्परा बढ़ती जा रही है और उस को माननीय कमलापति जी जानते हैं । वही पैर छूने वाले सब से ज्यादा छुरा उन की कोख में भोंकते हैं । मेरी इसके विषय में दस ग्यारह साल पहले उनसे बात हो चुकी है । किसी काम को कारीगरी से करने और इस ढंग से करने की उन लोगों में खूबी होती है वह अपना काम किसी भी तरह से करा ले जाते हैं । वह हमेशा पूरी कांग्रेस मिनिस्ट्री से जिसका मुझे उन की पूरी साइकालाजी का अध्ययन है । वह जानते हैं कि इस वक्त फलां ब्रेन वेव है उस पर कैसे हमला किया जाय और किसी मामले को कैसे टैकिल किया जाय । चपरासी से, रिश्तेदारों से, बीबी से, घर की औरतों से सब से जिस तरह से भी हो काम निकाल लिया जाता है । बड़े-बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स निकाल ले आते हैं । और हावी हो जाते हैं ।

हरिजनों को जमीन देने की बात बहुत करते हैं । लेकिन हरिजनों की बात आने पर ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी कितनी खराब हो जाती है यही मैं कहना चाहता हूं । कुछ दिन तक मेरे पास हाउसिंग बोर्ड का मुहकमा रहा । लखनऊ कारपोरेशन के अन्दर महानगर में कुछ प्लाट्स थे जिसमें काफी गोलमाल किया गया था सरकारी छान बीन भी की गयी । फिर मेरे पास बड़ी दौड़-भाग हुई और पाया गया इधर-उधर लीपापोती करने की कोशिश की गयी है और इसलिये कहा गया कि केवल ८-९ प्लाट्स बाकी हैं । पहले ८ आने फीट कीमत थी लेकिन अब डेढ़ रुपये फीट कीमत हो गयी है इन सब को माफ कर दिया जाय और

इनको रेगुलराइज कर दिया जाय और शेष प्लाट्स की १·५ रु० फिट की कीमत पर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाय । मैं बड़ा सीधा हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं । सारी बातें मैं समझता था कि अपने मतलब की बात ये लोग करना चाहते हैं । हरिजनों की मांग भी थी इसलिये मैंने फाइल मंगायी । मैं जानता हूं और मेरे दोस्त भी जानते हैं कि हमारे यहां इनके बसने के विषय में यहां एक पुरानी परम्परा चली आ रही है । मैंने उन से कहा कि ९ प्लाट्स में से अगर ४–५ प्लाट्स हरिजन कर्मचारियों को भी मिल जाय तो अच्छा होगा क्योंकि वैसे तो उनको ज्यादा कीमत पर लेना मुश्किल हो जायेगा । ५ प्लाट्स हरिजनों को देने के लिए आदेश हो गया और जी०ओ० भी निकल गया । लेकिन एक महीने के बाद ही सरकार बदल गयी । माननीय कमलापति जी ने कोई इस तरह का आदेश निकाला कि पिछले सरकार द्वारा १५ दिन के अन्दर किये हुए कामों की रिव्यू किया जाय । ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको रिवियू सरकार को करना ही चाहिये ताकि सरकार किसी उलझन में न फंस जाय । रिवियू हुआ और इस सरकार ने भी उस आदेश को एप्रूव कर दिया लेकिन वह फाइनल नहीं हुआ क्योंकि उसके फिर एक हायर पावर कमेटी बैठी जिसने कहा कि अब कीमत इतना पैसा ज्यादा है जिसके कारण अब नये सिरे से इन प्लांट्स को दिया जायेगा फिर क्या मेरी मिनिस्टरी और क्या आपकी मिनिस्टरी रह गयी जब कि सब कुछ होने पर भी उस आर्डर को सरकारी कर्मचारी मानते ही नहीं हैं । फिर भी आप कहते हैं कि हरिजनों के ऊपर आपने बड़ा अहसान किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देखना यह है कि साइकोलाजी किस तरह से काम कर रही है । वास्तव में आजादी के पहले इस तबके के साथ हमदर्दी बहुत से कारणों से रही हो, कोई भी कारण थे किन्तु काफी हमदर्दी थी और जितना भी उनसे हो सकता था लोग कहते थे और सहायता करते थे लेकिन इसके बाद मुल्क आजाद हुआ । गांधी इरविन पैक्ट के मुताबिक और कुछ गांधी जी भी इस बात को समझते थे कि मुल्क का एक चौथाई तबका जो सड़ गया है, इस सड़े हुए तबके को शरीर के अन्दर लेकर चलना, लगड़े लूले की तरह से होगा जो राष्ट्र गिरा कर रहेगा । इस ख्याल से एक अच्छी मंशा से उन्होंने हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सरकार में रिजर्वेशन एक तरीका निकाला । लेकिन सरकारी मशीनरी के अन्दर जो रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन की बात है, मैं इसमें किसी को दोष नहीं देता, दोष तो गुलामी का है । ३०० वर्ष तक जिस देश ने गुलामी भुगती हो, यह स्वाभाविक है कि वहां के हर आदमी में ईर्ष्या और द्वेष की भावना भरी होगी । तो हरिजनों के प्रति ऐंटीपैथी हो गयी । इसके फलस्वरूप ईर्ष्या ऐंटी पैथी समाज में उत्पन्न हो गयी और वे बेचारे सीधे सादे आदमी समझते हैं उनका तो रिजर्वेशन है, उनको तो मिलेगा ही । वे सोचते हैं कि वहां तो डा० सीताराम जी व गिरधारी लाल जी बैठे हैं, वे सब कुछ दिलवा देंगे । नौकरी के लिये दरख्वास्तें देते हैं । एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में उनका ५०० रुपया लगता है और अगर कहीं और जाते हैं तो या तो साला बहनोई ही या फिर बात जात बिरादरी वाला हो तब काम चल सकता है नहीं तो नहीं । मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पास कहां पर पैसा है । फिर उसे इस आशा के बाद मायूसी होती है । आज पढ़ लिख कर लाखों आदमी निकलते हैं तो वे सबके सब बड़े मायूस होते हैं । आज एक साइकालोजी हो गयी है क्योंकि इस ब्यूरोक्रेटिक मशीन के अन्दर हम काम कर रहे हैं और हमें मालूम है उसके अन्दर यह कह दिया जाता है कि एफिशियेंस गिर जाती है, छाती चौड़ी नहीं है, लम्बाई पूरी नहीं है और तालीम नहीं मिलती है इत्यादि-इत्यादि । सरकारी कर्मचारी वह बन भी जायं तो भी उनमें इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स रहता है । मैं जानना चाहता हूं कि यह इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स किसने पैदा किया है । यह तुमने ही पैदा किया है । जिस प्रकार अंग्रेजों के जमाने में तुम लोगों में इंफीरियोरिटी कम्पलैक्स था उसी प्रकार से आज हरिजनों में है । तो यह कम्पलैक्स एलाउन्स देना होगा सर्विसेज के मातहत । मैंने तो यह कमिटमेंट नहीं किया था जिनके मातहत प्रतिक्रियावाद

[चौधरी गिरधारी लाल]

खत्म किया गया है । अब तो वह लीडरशिप खत्म हो गयी है, आज एक डायनैमिक और रैवोल्यूशनरी लीडरशिप है । मैं उनसे यह उम्मीद करता था कि वे क्रांतिकारी काय करेंगे । मैंने कहा कि जवाब देने की बातें नहीं है, अगर आप यहां के ढांचे को ठीक करना चाहते हैं तो कुछ करके दिखायें वरना आपके जवाब में दूंगा और मेरे जवाब आप दे देंगे ।

श्री कृष्ण कांत अवस्थी (जिला सीतापुर)---

आप भी तो सरकार में २२ वर्ष रहे हैं आपने क्या किया ?

चौधरी गिरधारी लाल---

मैं उस बात पर भी आ रहा हूं ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

यह अनुचित बात है कि जब नेता विरोधी दल बोल रहे हों, उनको टोक न जाय । मैं सभी माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि यदि वे इस तरह से न करें तो उचित बात होगी ।

चौधरी गिरधारी लाल---

जब यह सरकार सत्तारूढ़ हुयी, मैंने अखबारों में पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुयी । जहां तक माननीय पंडित कमला पति जी का संबंध है मैं जानता हूं कि उनके हृदय को, उनकी कैपैबिलिटी और एकोमोडेटिंग स्वभाव को । मैं उनकी तमाम बातों को जानता हूं लेकिन बहुत सी मजबूरिया हैं और वे बहुत हिम्मत न करते तो टिक भी नहीं सकते थे । तो मैं आपसे यह कह रहा था कि ये बातें खास तौर से हैं । जिनकी वजह से इस विषय में समाज के अन्दर सिम्पैथी के स्थान पर एन्टीपैथी हो गयी है । यह स्वाभाविक है लेकिन जब तक सरकार इलाज नहीं निकालेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है ।

एक स्टेनोग्राफर की एक पर्सनल असिस्टेंट (आरक पेशकार) की क्या शिक्षा दीक्षा है । आज लार्ड मकाले फैक्टरियों के अन्दर से बाबू और अफसर निकाल रहे हैं। चरित्र, आत्मा और जजबातों का कोई गठन होता है ? कोई वास्तविक एजूकेशन दी गई है ? हमारी पुरानी परिपाटी चल रही है । वे तो यह समझते हैं कि यह जूते गांठते हैं, ये झाड़ू देते हैं और इनके लड़क पढ़ने के लिए साथ ही रिजर्वेशन के कारण सौ रुपये वजीफा मिलता है। इनका भविष्य उजला है दूसरी तरफ उनके बच्चे दस किस्म के धक्के खाते हैं । फीस नहीं जुटती । जुटती है तो भविष्य अन्धकार भय प्रतीत होता, वह इसलिये हमदर्दी की पुरानी जसी बातें नहीं रहती, लेकिन इसका इलाज निकालना होगा । वरना इन चीजों को खत्म किया जाय ।

दस लाख या बीस लाख रुपये से यह सवाल नहीं होगा । मैंने चाहा था कि देहातों में सामाजिक आजादी के लिये आवास का प्रबन्ध किया जाय । आप फाइल निकाल कर देखिये जिसमें मैंने लिखा था कि यह अरबों रुपये का सवाल है । जब जाकर हम उनको जमीनें दिलायेंगे और दिला कर देहातों के अन्दर बसायेंगे। मैं कम से कम आपकी भावनाओं की दाद देता हूं । यह समस्या साधारण समस्या नहीं है । एक लाख दस हजार या पन्द्रह हजार गांव हमारे सूबे के अन्दर हैं और कोई गांव मुसलमानों या हरिजनों से खाली नहीं है और उनकी अवस्था तो यह है कि आज वह अपने जिस मकान या झोपड़े में रहता है वह आजाद है पर जमीन फिर भी पंचायतों के नाम लिखी है । प्रधान उसका जमींदार है । उसकी बेगार उसको देनी पड़ती है । आपने इन चीजों को खत्म नहीं किया ।

आपने अध्यादेश निकाला कि कोई सरकारी कर्मचारी एक जगह पर लाकर उनको बसा देगा । कितना समय लगेगा । इस तरह बसाने मात्र के लिए, यह तो एक विकास शील

सरकार है जिसको रिएक्शनरी सरकार कहा जाता था वह भी इस प्रकार थोड़ा बहुत चला रही थी। लेकिन अब तो मैं उम्मीद एक क्रान्तिकारी कदम की करता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि महज उनको गांव के अन्दर जमीन देने से काम नहीं चलेगा। इस आजाद देश के अन्दर देहातों के अन्दर अब भी वह नागरिक स्वतंत्रता से वंचित है। ६७ से लेकर आज तक के चुनाव हो चुके हैं। यह आपके या मेरे या आपकी हुकूमत के लिय और क्रान्ति के नाम पर कलंक है। उनको किसी प्रकार की आजादी देहातों के अन्दर नहीं है। क्यों नहीं स्वतंत्र रूप से वोट कराया जाता। ६७ से लेकर आज तक सबने देखा है कि किसी बात पर अपनी जुबान वे निकालते हैं तो उनको दंड होता है। हमारी बहुएं और बेटियां खेतों में फरागत नहीं कर सकती हैं। वे अपने मन को मार कर रह जाती हैं। आप इस प्रकार के नागरिक अपने देश के अन्दर पैदा कर रहे हैं। बजाय इसके कि उनका मनोबल ऊंचा होता आप इस प्रकार के नागरिक अपने देश के अन्दर बना रहे हैं जो हर तरीके से फ्रस्टेटेड हैं मायूस है मनोबल से खाली हैं। उसके शरीर का ढांचा जरूर है लेकिन वह और बातों से खाली हैं। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह आजादी के साथ अपने साधारण अधिकारों को मांग सके।

देहातों के अन्दर कितनी जात बिरादरी है। ये कोई आवश्यक चीजें नहीं हैं सबके दिमांग हैं। उस चीज का इलाज निकालना चाहिए। लेकिन जब चन्द्रमा के अन्दर पहुंच सकते हैं, देश में एटामिक एनर्जी की बात सोच सकते है और बड़ी-बड़ी सरकारों को इधर उधर पलट सकते हैं तो यह कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। हम लोगों की तो बुद्धि इतनी नहीं थी। लेकिन आप तो जो इतने कारीगर लोग हैं उन लोगों के लिये कोई मुश्किल काम यह नहीं है। अगर अधिक मेरी बात कही जाती है तो कह दिया जाता है कि मैं जात बिरादरी नहीं मानता। जात बिरादरी नहीं मानता, ठीक है। मैं समझता हूं कि शुरू से लेकर आज तक जात बिरादरी ही के आधार पर काम होता आ रहा है। शायद कानून में जात बिरादरी नहीं है लेकिन वास्तविक रूप में हर जगह जात बिरादरी है। और पूरे तौर पर है। आजादी से पहले से जात बिरादरी देहातों के अन्दर थी और पूरी तौर पर थी। लोग पूछते थे कि कौन भाई है, किस जात का भाई है। लेकिन आज यह जात बिरादरी आजादी के बाद पढ़-लिखे लोगों के अन्दर पालिटिशियन्स के अन्दर, सरकारी कर्मचारियों के अन्दर, वकीलों के अन्दर और हर जगह के अन्दर जो कि अपने आपको इन्टेलजेन्सिया कहते हैं आ गई है। जो कि अपने आपको इंटेलजेन्सिया कहता है उस क्लास के अन्दर यह जाति-बिरादरी आ गयी है जो पहले रेल में सफर करता था अगर किसी ने उससे पूछ लिया तो वह इसको अपनी शान के खिलाफ समझता था और मुंहतोड़ जवाब देता था कि क्या कोई रिश्ता करना है जो जाति-बिरादरी पूछते हो। लकिन आज तो देहातों के अन्दर उसको नागरिक अधिकार नहीं है। भले ही आपको उसको मकान दे दीजिये लेकिन जिन लोगों के जरिये वह मकान मिलेगा कर्ज के कारण उनका वह गुलाम ही रहेगा। गांधी जी के शब्दों में हमें इस बात का प्रायश्चित करना है कि हमने उनका शोषण करके देश को गुलाम बना दिया। लेकिन आज की शिक्षा-दीक्षा सभी चीजें इस किस्म की है कि आदमी उस चीज को सोच ही नहीं पाता।

मकान के लिए आपनें १० लाख रुपया रखा है। आप बताएं तो सही। ले आउट ही कर दीजिये। १० लाख में एक जिले की स्कीम भी पूरी नहीं होती। अरबों रुपये की यह चीज है। लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से यह काम हो सकता है। अगर आप चाहें तो अच्छे सम्पन्न लोगों से, जो लेबर से काम लेते हैं, उन लोगों से सेस की तरह कुछ ले सकते हैं।

आपने मकान की बात कही है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज राइट आफ ईजमेन्ट का तो उसके लिये इन्तजाम होना चाहिये। अव्वल तो हर वक्त वरना वक्त बेवक्त टट्टी-पेशाब के लिये इन्तजाम होना चाहिये। कोई मरीज है, कोई जच्चा-बच्चा का सवाल है, उन्हें अपने पीछे जाने के लिये इन्तजाम होना चाहिये। किसान डंडा लेकर खड़ा हो जाता है

[चौधरी गिरधारी लाल]

कि तू तो मेरे यहां मजदूरी करने नहीं आया, तो यहां कैसे आयेगा। तो यह कोई खिलवाड़ नहीं है। आप भी समझते हैं कि खिलवाड़ नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरियां है।

जहां तक सरकारी नौकरी और शिक्षा की बात है, उसमें भी दस किस्म की खुड़पेंच लगती है। एरिस्टोटल ने और मनु ने साम, दाम, दन्ड, और भेद बहुत सी बातें बता दी है। उनमें पासी, चमार, मेहतर वगैरह का बिरादरीवाद पैदा कर दिया। मैं कहता हूं कि अगर ढाई करोड़ रुपया साल, जो कच्चे चमड़े का है, उसे आप वहां पर लगा दें तो उससे काफी समस्या हल हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा बात करें तो लोग कहते हैं कि साहब आप उसके हाथ का नहीं खायेंगे। पंडित जवाहर लाल नेहरू हिन्दुस्तान के रहने वाले थे। वगैर अंग्रेजी के वे सोचते नहीं थे, बात नहीं करते थे। सूटेड-बूटेड थे। हमारे गांधी जी का भी यही हाल था शुरू में यथा नेता तथा प्रजा, यह छुआछूत तो आपकी पैदा की हुई है। यह तो ऊपर ही ज्यादा जटिल है और वहां भी इतनी ज्यादा जटिल नहीं है जितनी कि वैस्टेड इंटरेस्ट इसको बना देता है जहां हम इस चीज को समाप्त करने पर विचार करते हैं वहां हमको इस वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात पर भी सोचना होगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि एक दूसरा सवाल हरिजनों के मसले का है। आप उनको आई० ए० एस० और आई० पी० एस० सर्विस में पी० सी० एस० के जरिये से लें। जिसका रेकार्ड सामने आ जाता है उसको लेते हैं। लेकिन जिलों में जो आपके रेकार्ड जाते हैं तो वहां पर कौन सी ऐसी मशीनरी है जिसके जरिये से आप इस काम को करवाते हैं। मैंने आई० जी० पुलिस से एक मर्तबा कहा था। तो उन्होंने कहा कि हमको हरिजन काफी तादाद में मिलते नहीं। मैंने कहा कि यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं हमने इस तरफ इस तरह से काम किया कि वह मिल जायं। १० साल के लिये रिजर्वेशन था लेकिन आज २५ साल हो गये फिर भी हम उसको पूरा नहीं कर पाये हैं। अगर वे उस स्टैन्डर्ड में नहीं मिलते है तो हमको उनके हिसाब से स्टैन्डर्ड को घटाना चाहिये, हमने यह क्यों नहीं किया है? सभी नागरिकों में उनको भी मिला कर यदि हम चाहें कि वह उसी तरह से हमको मिलें तो कैसे मिल सकते हैं? यह सभी जाल बट्टे की बातें हैं।

मुझको दुख है कि लोग इस प्रकार से सोचते नहीं हैं। महज अपने वोट का हमको ख्याल है या फिर यह ख्याल है कि कहीं दूसरे लोग नाराज न हो जायं। सर्विसेज में भी इसी तरह की चीजें कूट कूट-कर भरी हैं यानी इसकी जड़ें तो गहराई तक पहुंच चुकी हैं। भले ही लोग इस वक्त न समझें लेकिन हमेशा कोई बेवकूफ नहीं बना रह सकता है। ये दिमाग पर ठेस पहुंचाने वाली हैं। मरता क्या नहीं करता। राष्ट्र, धर्म और कर्म मनुष्य को उत्थान और विकास की दिशा दिखाते हैं। वे उनको सुख और शान्ति से रहना सिखाते हैं परन्तु यह उसी समय तक है जब तक कि मनुष्य का हित और स्वार्थ पूरा होता है लेकिन इसके विपरीत जब होने लगता है और जब यह बहुत बढ़ जाता है तो फिर ईश्वर की तरफ से भी उसको इसके पूरा करने का अधिकार है। आपके पास क्या तरीका है, क्या ढंग है इसके समाधान करने का कहते हैं जी० ओ० हो गया है। चीफ सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके विषय में जी० ओ० है। जब और अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि इसका उनको पता नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि आप भी तो सरकार में थे लेकिन मेरा तो कहना है कि इसमें हमको आमूल परिवर्तन करना होगा तभी कुछ हो सकता है। हमारी पूरी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी गुलामी के समय की बनी हुई है और उन्हीं परम्पराओं को हमने आज तक अपनाया है। आज हमारे अन्दर कोई दर्द, कोई बेदारी नहीं है जिससे अपने इन नागरिकों की सुरक्षा कर सकें। आज भी यह हो रहा है कि कोई हमारा मित्र है या फिर भाई बिरादरीवाला है उसी को हम ले रहे हैं। इससे अन्तोष बढ़ रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस विषय पर विचार करें और उसका ठीक से पालन करें।

एक दिन मैंने आई० जी० पुलिस से यह भी पूछा कि पहले तो आपके विभाग में ३८, ४० परसेंट मुसलमान थे जो अब इसमें से गायब हो गये। हरिजनों को आप लेते नहीं हैं तो फिर कौन सा तबका है जिसको आप ले रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि हरिजन मिलते नहीं और अगर ले भी लेते हैं तो एफीशियेन्सी खराब हो जाती है।

तो यह तो हमारी इफीशिएन्ट सरकार है जिसके कारण आदमी नहीं मिलते हैं। ६० लाख रुपये सरकार के इशारे पर गायब हो जाते है, इतनी इफीशियेन्टी सरकार है हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमारा राष्ट्र गुलामी से निकला है, इसको हम भुगत रहे हैं, सर्विसेज को खींच रहे हैं, तो क्यों नहीं इन हरिजनों को भी खींचते हैं। तो यह बहुत सी चीजें हैं। मैं उन चीजों को ज्यादा इसलिये कह रहा हूं कि इस प्रकार के इन्जेक्शन हमें बहुत ज्यादा दिये जाते रहे हैं।

मैंने जैसा कि कहा कि इस सरकार से मैं बहुत क्रान्तिकारी कदम की उम्मीद करता था। सी० बी० गुप्ता साहब और शायद कुछ साहबान पहले ऐसे थे जो कि तरक्की नहीं होने देते थे। मैं समझता था कि अब तो तरक्की होगी लेकिन हो क्या रहा है? मैं चाहता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से स्टेबिल रहे और इन कामों को करे और इस को करने भी होंगे।

हरिजनों की सी हालत पिछड़े वर्ग की भी है। आजादी के बाद जाति बिरादरी खूब बड़ी है और यही हालत लगभग हरिजनों जैसी ही पिछड़े वर्ग की है। उनसे जब जरूरत पड़ती है बात की जाती है लेकिन बाद में तिरस्कार किया जाता है। तो इसको भी देखना होगा। उनके भी बहुत से मसले हैं। कितने आदमी उनमें से नौकरी में हैं। जो थोड़े बहुत हैं भी नौकरी में उनके करैक्टर रोल गायब हो जाते हैं और रंग दिये जाते हैं। तो यह बात है। पंडित कमलापति जी त्रिपाठी से खास तौर से नेता विरोधी दल की हैसियत से नहीं, मुझ पर उनके विशेष भाव हैं, इस लिये कहता हूं। इन चीजों को मैंने पहले भी जब कभी फुर्सत मिली तो कहा है लेकिन इस समय कहना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है।

आपने एक बात उर्दू की की है। अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं। वह चीज जो बहुत पहले अर्से से हो चुकी थी, जिसके लिये बजट में रुपया प्रोवाइड किया जाता था लेकिन वह इधर उधर दब जाता था और कार्य रूप में नहीं आता था, आपने उसको उछालकर बहुत अच्छा किया और अब तो आप उस के लिये वचन बद्ध हो चुके हैं, इसलिये उनके लिये कुछ कार्य अवश्य करना है। जो किया गया है वह काफी नहीं है और भी बहुत कुछ करना है। बहुत सी बातें करनी होंगी। जो हमारा हिन्दी का साहित्य है, उर्दू का साहित्य है, उसके अन्दर से सैकुलरिज्म का पुट आना चाहिये। धर्मनिर्पेक्षता की जरूरत है। सोशल रेवोल्यूशन का दर्शन साहित्य में भी होना चाहिये। इन्टीग्रेशन के लिये इसकी विशेष आवश्यकता है। हमारी शिक्षा के अन्दर अवश्य इसका पुट होना चाहिये। इसमें जनरल तथा दूसरी बातें भी हैं जिनका हमें खयाल रखना होगा। तो जो हिन्दी या उर्दू बच्चों को पढ़ाई जाती है उसके अन्दर एक सोशल रेवोल्यूशन लाना होगा। उसमें मुशवरत या फलां-फलां चीजें, जो भड़काने वाली हैं, क्यों रखी जाती हैं। दूसरे लोगों की बातें रखी गयी तो निम्न श्रेणी में डाल दी गयी हैं जिससे लोगों को नाराजगी होती है।

आप हिन्दी उर्दू के साहित्य का प्रचार और प्रसार करने जा रहे हैं इसी मशीनरी के जरिये से। मैं तो उस मशीनरी के साथ बहुत गहराई तक रहा हूं। वह जैसा व्यक्ति देखा वैसी बात कर दी। जरूरत है इस बात की कि आप खुद उसको देखें। आप रिकगनीशन बोर्ड बना देते हैं, सैकड़ों चीजों के लिए बोर्ड बना देते हैं। लेकिन जो साहित्य पैदा होता है, अ, आ से लेकर इन्टरमीडियेट और बी० ए० तक उसके अन्दर सैक्युलरिज्म से सम्बन्धित व्यक्तियों से क्यों नहीं मदद ली जाती? उनसे पूछें और फिर जो जो साहित्य बने उसको दस बीस साल तक रखें और उसका इम्पैक्ट देखें। फिर प्रश्न है उर्दू का। यहां तीन चार

[चौधरी गिरधारी लाल]

भाई बैठे हैं उनकी बात नहीं करता। बाकी कितने लोगों को नौकरी में रखा गया है ? कुर्सी पर जिस जाति का बैठेगा वह अपने लोगों को भर देगा। फिर मुसलमान, हरिजन या बैकवर्ड का क्या भला हुआ ? वह तो तिरष्कृत होते जाते हैं।

इसके साथ ही उनके आर्थिक मसले को भी सोचना पड़ेगा। उनमें टेलेंट है, दस्तकारी का माद्दा है। हरिजनों की बढ़िया क्लास थी, उसके टेलेंट को बरबाद कर दिया। इसी तरह मुसलमानों में अविश्वास करके उसके टेलेंट को क्यों बरबाद कर रहे हैं, क्यों उसको भी दूसरा अछूत बनाना चाहते हैं। विद्यार्थियों की भी इसमें बहुत सी बातों कही गयी हैं। कल मैंने मुख्य मंत्री जी की व्यक्तिगत रूप से बातें सुनी। मैं कहता हूं कि इस स्टेज में और उस स्टेज में फर्क है। उन्होंने बतलाया कि हमारी प्रास्पेक्टिव प्लानिंग डिफैक्टिव है। वह तो डिफेक्टिव होगी ही क्योंकि वह चहारदीवारी के अन्दर बैठ कर बनायी गयी है। वह अगर पंडित नारायणदत्त जी तिवारी, या गांव के कार्यकर्त्ता या शहर के कार्यकर्त्ता की प्लानिंग होती तो शायद इतनी डिफेक्टिव न होती। मेरा कहने का मतलब है कि इतना आदमी बेकार फिर रहा है उनको इस तरह की तालीम देना चाहिये कि हमारे देश का हर नागरिक शिक्षित हो और उसके चरित्र का निर्माण हो। काम तो सभी अच्छे हैं चाहे जूता गांठो, टोकरी उठाओ या झाड़ू दो। गांधी जी इस दिशा में सोचते थे। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री का नशा और वेस्टेड इंटेरेस्ट हमको कहां का कहां ले गये। मैकाले की जो एजूकेशन है उसी को घुमा फिरा कर आप ले आते हैं जिसका नतीजा यह तो हो रहा कि आज बाबुओं की फौज निकल कर आती है जिनमें राजनीति ऊपर से नीचे तक भरी होती है। पर हमारे देश की यह संस्कृति नहीं है। आपको तो सोचना चाहिये कि हमारा क्या भविष्य का प्लान होगा, हमें कितने लोगों की जरूरत होगी। आज २५–२६ लाख टैक्नीकल लोग बेकार घूम रहे हैं। यह क्या है ? इस ओर आपको ध्यान देना होगा। यह बड़ी ही जटिल समस्या है। शिक्षित वर्ग की समस्या की ओर आपको ध्यान देना चाहिये। अशिक्षित वर्ग में भी बेकारी है लेकिन इतनी बेकारी दिखलायी नहीं देती। जितनी शिक्षित वर्ग में है। उसको दूर करना चाहिये।

मेरा मतलब यह है कि आपको शिक्षा के विषय में सोचना होगा। आज बहुत से विद्यार्थी परेशान हैं। जो मेरिटेड विद्यार्थी हैं वे भी इसलिये परेशान हैं कि उनके पास फीस तक नहीं है, पुस्तकों के लिये पैसे नहीं हैं। आप कहेंगे कि हमने उनके लिये वजीफे रख रखे हैं। मगर कितनों को उसका अन्दाजा होता है। उसका कितना प्रचार आपने कर रखा है। बहुत से विद्यार्थियों को उसकी जानकारी तक नहीं होती। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी तो पुराने आदमी हैं। इस ओर जब वे देखते होंगे तो उनको भी हैरत होती होंगी। आज विद्यार्थियों के अन्दर कितने प्रकार के क्राइम्स पैदा हो गये हैं, कैसी-कैसी भावनायें पैदा हो गयी हैं। हमारे मंत्री जी इस बात को जानते होंगे, वे यूनिवर्सिटी के सैल से संबंधित रहे हैं। तो हमें कैसी शिक्षा देनी होगी जिससे उनकी भावनाएं अच्छी हों और बुरी आदतें उनमें पैदा न हों।

इसमें सरकारी कर्मचारियों को कुछ महंगायी भत्ता देने की बात है, ठीक है। मगर अध्यक्ष महोदय, आज एक समस्या बड़ी अजीब है। यह जो फेडरेशन या यूनियन है उसके अन्दर हमारी क्या औकात है ? फेडरेशन के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ उसको स्वतंत्रता होती है, लेकिन वह है नहीं। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका असर हर चीज पर होता है। आपके इस मुल्क में १२ हजार करोड़ का इन्टेडेडनेस था आज बढ़ कर १९ हजार करोड़ का हो गया है। और आपने फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दिया और चार पांच सौ करोड़ रुपये का भार इस देश के नागरिकों पर पड़ा हुआ है। इधर यह जो आपका नोट है रबड़ की तरह खींचते खींचते १/२०० रह गया है, १९५० की प्राइसेज के हिसाब से। इसमें आप टैक्स लगा कर जो रूखा सूखा हिस्सा आता है वह भी आप छीन लेते हैं। एंटी इनफ्लेशनरी तरीके आप ऊपर से लगा रहे हैं। इनडाइरेक्ट टैक्सेशन ऊपर से नीचे तक हैरानी पैदा कर रहे हैं। इससे

तो एक बार रेवोल्यूशन हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। यह तो इधर को भी नहीं हो रहा है और उधर को भी नहीं चल रहा है। आज आप खुद ही सोचिये अपने विषय में। सब मिल कर आपके यहां काम करते हैं। बड़े-बड़े अफसरों को देखिये उनकी बीबियां दिल्ली में सेल्समैन हैं। खैर, ठीक है। मैनपावर के यूटिलाइजेशन से नैशनल वैल्थ बढ़ती है। उधर दूसरी ओर रुपये के ऊपर किस कदर भार पड़ा हुआ है। महंगाई और फिर महंगाई, एक विशेष सर्किल बना हुआ है। इसमें आप कुछ सुधार कर सकते हैं? सरकारी कर्मचारियों के विषय में सिर्फ महंगाई का प्रश्न आपके सामने नहीं है। महंगाई भत्ता कहां तक देंगे? सेंटर हर साल बढ़ाता है। इस साल सब मिला कर ५०० करोड़ का डेफिसिट हो गया है। जहां रिजर्व बैंक में सर्विस चार्जेज गये, नोट बना कर भेज दिया। इस से नहीं होगा। उनके कुछ खास मसले हैं, उनमें इफीशियेंसी लाने के लिये। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास हाउसिंग बोर्ड था। मैं देखता था लोग परेशान हैं। उनको काम से फुरसत नहीं तो बीबी बच्चे आ कर भर जाते थे। सोचता था पंडित कमलापति त्रिपाठी उधर हैं कुछ और रुपया मुझे दिला दें। पैसा कहीं से मिलता नहीं। मैं चाहता हूं कि छोटे-छोटे मकान बनाये जायं, दो हजार झोपड़े ही पड़ जायं यह आपकी भी भावना होगी। आज सरकारी कर्मचारियों के सवाल को हल करने का कोई तरीका निकालिये। इसको हल कीजिये, सिर्फ लखनऊ में नहीं, पूरे सूबे के अन्दर। इससे पब्लिक को रिलीफ मिलेगी। मकानों की कमी की पूर्ति होगी। महज पांच लाख की सीलिंग आप लगा देंगे, जो जमीन बचेगी लोगों को दे देंगे, यह ठीक है। खबसूरत चीज है लेकिन वास्तविक लाभ नहीं होगा जब तक ठोस कदम नहीं उठेगा।

इस मामले में मेरी एक और भावना है। वह पंडित कमलापति त्रिपाठी की सहूलियत के लिये कहना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशेंसी के लिये, जिसमें उनको बड़ी परेशानी और असमंजस है और फिक्र पैदा होती है कि क्या करें जिस वक्त बड़े-बड़े मसले आते हैं। तबादले का आर्डर मैंने कर दिया है, अब आ कर मेरा गला घोंट रहे हैं, वह वहां पर जाकर उनके गले पड़ गये हैं, उनकी मजबूरी होती है। आखिर में वह घुटने टेक देते हैं। तो यह चीज एक प्रकार से कस्टमरी सी हो गई है। चाहे कोई भी सरकार हो उसको इसके ऊपर खासतौर से सोचना होगा। कोई कहता है कि मेरी वाइफ डिलीवरी की कन्डीशन में हैं, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है और एसी बातें कह दते हैं जिससे कि आदमी मजबूर हो जाता है। कोई कहता है कि आज फलानी बात हो गई, कोई कहता है कि मेरी मदर जो है वह बीमारी की कंडीशन में है, कोई कहता है मेरी वाइफ को कोई देखने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका जवाब देने को नहीं होता है। सरकार के लिये कोई जरुरी नहीं है कि वह वैसा करे ही। सरकार चाहे किसी सरकारी नौकर को किसी भी कोने में भेज दें यदि उसे नौकरी करनी होगी तो वह जायगा। सरकार पर इसकी जिम्मेदारी है। इस पर मुझसे ज्यादा जानकारी पंडित जी को होगी किन्तु यह हो नहीं पाता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर इसलिये है कि चूंकि उसन इतना लम्बा चौड़ा काम अपन हाथों में ल लिया है तो चाहे जिस तरह से भी हो आप इस मशीनरी को चलायें। आपको इसके हर मसले पर सोचना होगा। हमको अगर उस काम में एक पैसा खर्च करना हो तो आप दो पैसा का काम उससे लीजिये। पंडित जी जानते होंगे, इमरजेन्सी में आदेश होते हैं कि सितम्बर के महीने में आप गोरखपुर जाओ और पिथौरागढ़ जाओ। उसकी लड़की यहां मेडिकल कालेज में पढ़ रही होती है उसका लड़का यहां पर डिग्री कालेज में पढ़ रहा है, वह बेचारा क्या करे। इसमें जो तिकड़मी होते हैं वे तो अपनी तिकड़मबाजी से लखनऊ में ही रहकर अपनी जिन्दगी व्यतीत कर लेते हैं और कर रहे हैं। जब आदेश हो भी जाते हैं तो हेड आफ दि डिपार्टमेंट के बदल जाने पर वे पुनः यहां आ जाते हैं अपनी तिकड़मी से और अपनी कारीगरी स किन्तु दूसरी तरफ वे भी होते हैं जिनका कि इस संसार में कोई वारिस नहीं है, अछूतों की तरह एक जगह पर पड़े हैं, नजदीक वे किसी के नहीं हैं, उनकी बीबी भी तिकड़मी नहीं है उसकी कोई पहुंच नहीं है और कारीगरी नहीं जानते हैं, उन बेचारों को बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं वह कह रहा हूं कि जो फैक्ट है। इसमें

[चौधरी गिरधारी लाल]

कोई ऐसी बात नहीं है जो फैक्ट न हो । वह बेचारे रह जाते हैं । उनके बच्चों की तालीम बरबाद हो जाती है । इससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है । आपको इस बारे में अवश्य सोचना चाहिये और आपको इस पर विचार करना होगा कि इस प्रकार के सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल का इन्तजाम, उनकी पढ़ाई लिखाई का इन्तजाम जिस प्रकार के रेलवे विभाग में है, आपको करना चाहिये । यह मौरेल हक हो जाता है कि आप उनकी इस बातों पर सोचकर उनके लिये इन्तजाम करें ।

इस प्रकार के बहुत से मसले हैं । जहां तक किसानों की बात का सम्बन्ध है । किसी ने खेतिहर मजदूर का स्लोगन नहीं दिया, किसी ने उसका नाम नहीं लिया, वह देहात में पड़ा है किसान, किसान, किसान । लकिन क्या किसान के लिये सहूलतें आपने दी हैं ? आपका उनके प्रति कितना दर्द है और क्या कुछ आप उनके लिये कर रहें हैं? वहां, जब कि १५ से २५ रुपये क्विंटल तक उसको आज से दो साल पहले दिया गया उसका वैल्यूयेशन आपने आज साढ़े सात रुपये कर दिया है । उस वक्त किसान आसमान पर आ गया और वही किसान आज जमीन पर आगया है । आपने उसके गन्ने की सप्लाई का पेमेंट रोक दिया । उनको पैसा नहीं मिला । १० अप्रैल, १५ अप्रैल को बहुत से लोगों ने अपनी परचियां दूसरे लोगों को बेच दीं । और वह खरीदी किसने, वहां के बाबुओं ने । फिर कुदरत की मार उस पर होती है वह सोचता था कि गन्ने की फसल से तो वह महरूम हो गया अब रबी की फसल अच्छी हो जायगी तो ठीक हो जायगा । लेकिन हमने इन्हीं आंखों से देखा कि पूरी रबी की फसल खड़ी की खड़ी नष्ट हो गयी । आपन २०० करोड़ रुपये का नुकसान आंका है । आपके पास समय कम है । इसके बारे में आपके पास जो रिपोर्टें आयी हैं वह कई जगह से छन-छन कर आयी हैं । अगर आप उसकी जरा गहराई तक जावें तो आपको पता चलेगा कि नुकसान कम से कम ४०० करोड़ रुपये का हुआ है । आप गरीबी दूर करने की बात कहते थे अब आपको इसको भी दूर करना होगा । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी लेकिन उन्होंने कोई जवाब उसका नहीं दिया । नहीं आया, ठीक है । कभी वह निर्बल और स्त्रियों की बात करते थे लेकिन अब समय बदल गया है । यह मेरा हक है, मेरा अधिकार है कि उनका जवाब मुझे मिलता ।

मुझे इस बात का खेद है कि हमारे सूबे के अन्दर जहां तहां बेदखलियां शुरू हो गयी हैं, लगान की वसूली हो रही है । देहरादून में एक आदमी को पटवारी पकड़ कर लिये जा रहा था । मने कहा तो बताया कि ऊपर के ऐसे आदेश हैं । ऊपर के आदेश हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं है कि पूरा सूबा ही पलट गया हो । यू० पी० और इन्डिया के अन्दर कोई चीज ४८ स्टेजेज से गुजर कर पहुंचती है । बाहर के मुल्कों में एसी बात नहीं है । जापान में ८ जगहों से निकलती है । हो सकता है आपने आदेश दिये ह , मुझे उसकी खबर, नहीं है लेकिन यह चीज तमाशा है । और भी स्थानों पर ऐसी बातें हुई हैं । आप भी तो इसी देश के रहने वाले हैं । आप में भी तो समत्व बुद्धि है । आपने आदेश दिया कि तकावी दी जाय, जो किसानों का गल्ला है उसको खरीद कर पैसा दिया जाय । मेरठ और देहरादून का किस्सा है ऐसे चैक मिलते हैं जो बाजार में कैश नहीं होते । आपने ७०–७५ रुपये का रेट फिक्स किया है लेकिन उसको ६० रुपया दिया जाता है और ७५ रुपये की रसीद ली जाती है । किसान का कीमा निकाल कर उससे खिलवाड़ की जा रही है ।

आपने सीलिंग लगाने की बात कही । इसमें हमने आपकी मदद की । आपने मुजफ्फर-नगर में यह प्रस्ताव पास किया था । हमने कहा कि हमारे साथियों का पास किया हुआ एक प्रस्ताव है, ठीक है । उसके दोनों पहलू मेरे सामने हैं । मुझको यह भी पता लगा कि पूर्वी जिलों में लगान न मिलने पर तो मुर्गा बना देते हैं । और छोटे आदमी को ही ऐसा करते

है, बड़ा आदमी तो गोली मार कर साफ बच जाता है। यह हालत है जहां तक वसूली और तकावी वगैरह का सम्बन्ध है।

आपने कृषि की बहुत सी बातें कहीं। मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है। आपका जो ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन है उसके अध्यक्ष से मैंने एक बात कह दी कि तुम्हारी दुकानदारी ठीक नहीं चल रही है। वह किसी ऊंची जाति के आदमी थे। उनको लंगोटी लगा कर जाप करना चाहिये था जो वास्तव में ब्राह्मण की कौम है। तो मैंने जो यह बात कह दी तो उनका मुंह, तुनक गया लेकिन कह नहीं सके मुझसे। दुकानदार तो वह है। मेरे किसान का नौकर है मेरे मजदूर का नौकर है। इसीलिये हमने देश में डेमोक्रेसी कायम की है और इसलिये हम डेमोक्रेटिक परम्पराओं को पुनर्जीवित करेंगे। खैर, बाद में वह सम्हल गये होशियर लोग हैं। ब्यूरोक्रसी ने तो पंडित जी को, गुप्ता जी को, मुझ को इधर से उधर चला दिया है। उन्होंने मुझ से कहा कि बताइये क्या बात है। मैंने कहा कि तुम्हारे पब्लिक सैक्टर में बहुत सी खराबियां हैं। मैं अपना तजुर्बा बताता हूं। पिछले वर्ष मैंने एक ट्रैक्टर लिया। ऊपर से हुक्म हो गया। तो हुक्म चला। मैंने सोचा कि यहां से एक अच्छा ट्रैक्टर मिलेगा। लेकिन पूछिये नहीं, उसमें दसियों किस्म की गड़बड़ी थी। खैर वह ट्रैक्टर मिला, मुश्किल से। मिला। मुझे मेरे किसी हमदर्द ने सलाह दी कि इसे ट्रक से भेजिये। मैंने ट्रक से भेज दिया। वहां जो हमने देखा तो उसमें न तो आयल था और दसियों चीजों की उसमें कमी थी। कोई प्राइवेट कम्पनी इस तरह का काम कर सकती है। वह रनिंग कंडीशन में आपको कार देगी और अगर कोई खराबी है तो दस बार सर्विस देगी। और उसमें कुछ सामान सड़े हुये लोहे का था। मेरे साथ तो दो, एक इंजीनियर भी थे। उन्होंने उसको देखा और बताया कि यह यह कमी है। दिमाग में तो बहुत परेशानी हुई। मैंने टेलीग्राम किया। खैर, उन्होंने देखकर कहा कि हमें बड़ी शर्म लगती है। फिर कहीं कोई साहब आये, कहीं कोई साहब आय तब जाकर कमी दूर हुई। लेकिन इतना झंझट होता है कि आदमी परेशान हो जाता है। अगर साधारण आदमी का वह ट्रैक्टर होता तो उसका जैसा पंडित जी ने कहा था कि भट्टा ही बैठ जाता। फिर ऊपर से कहा गया कि यह गलत तरीके से हैंडिल हुआ। मुश्किल से किसान जोड़कर यह धन्धा करता है और फिर उसकी यह हालत होती है। मैं दूसरे की बात नहीं कहता, अपना अनुभव ही बताता हूं। अब और होशियार लोग उसके अन्दर आ गये हैं। मैंने ६ महीने पहले उनसे एक थेशर के लिये कहा। मैं सोचता रहा कि मुझे तजुर्बा नहीं है और ये लोग वाकिफकार हैं। उन्होंने कहा कि फलानी बात है और वह ठीक है। एक अजीब कहानी है। आखिर में नतीजा यह हुआ कि कभी वह यह कहते थे कि भेज दिया है और कभी कहते थे कि भेजने वाले है। मैं डेली आदमी भेज कर पुछवाता था कभी वह नमूने के तौर पर दूसरा दिखा देते और कभी कुछ कहते और कभी कुछ कहते। कभी कहते कि इसका परफार्मेंस २ और ३ क्विन्टल का होगा। मैंने समझा इनके यहां से इतमीनान की चीज मिलेगी और कहने सुनने की बात भी नहीं होगी। तो मैंने कह दिया कि भेज दो। तो जिनको जरूरत थी उनको वह भेज दिया गया। उसका उन्होंने आउट पुट भी बतला दिया कि २, ३ क्विन्टल का होगा। मैं जल्दी में था तो वह चला गया। वहां पर उसका जो परफार्मेंन्स हुआ वह ६५ किलो का ही मिला। यानी जो कहा था उसका एक तिहाई। ३०० रुपया उसके ट्रान्सपोर्ट वगैरह पर मेरा खर्च हुआ था। आखिर में वह उन्होंने वापस किया। क्योंकि पहले यह तय हो गया था कि अगर यह सही नहीं निकलेगा तो वापस होगा। तो इस तरह से हो रहा है। उसके भरोसे पर बैठे रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरी की पूरी फसल बरबाद हो गई। २४, २५ हजार रुपये का नुकसान हो गया। अगर किसी प्राइवेट कम्पनी की बात होती तो क्लेम वसूल कर लिया जाता मगर यहां तो ले तो कमलापति जी की हुकूमत है और सेन्टर में इन्दिरा जी सर्व शक्तिशाली बठी हैं। इनके खिलाफ कौन मुकदमा मोल ले सकता है।

[चौधरी गिरधारी लाल]

एक बात यह कही गई कि देहातों के अन्दर सर्विस स्टेशन कायम करेंगे। मैंने भी कहा था कि ऐसा होना चाहिय। आपके ब्लाक कहते हैं कि हम आपको फरटिलाइजर और सीड देंगे मगर फसल निकल गई उनका इन्डेंट अभी तक नहीं आया। वे कहते हैं कि वहां भेजा है और यह किया वह किया। आपके यहां से जो पैस्टीसाइड मांगी जाती है तो कहते हैं कि मिलेगी। लोग भरोसे में बैठ गये कि मिलेगी, लेकिन जब समय आया तो कहा कि रीजन भर में नहीं है। यह ऐग्रीकलचरल डाइरेक्टरेटर और ब्लाक का हाल है। यह सब तमाशा है। मैं आपके सामने किसानों की बात कहता हूं लेकिन कृषि विभाग का अजीब हाल है। जो आपके ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० हैं उनको पता तक नहीं है कि ऐग्रीकल्चर क्या है और क्या नहीं है। उसका यूटलाइजेशन हो सकता है अगर कायदे से काम लिया जाय लेकिन यह सोचन की बात है। यहां जो दूकानदारी सी होती है उससे निकल कर आप बाहर आयें। पंत जी के जमाने में नैनीताल में थोड़ा बहुत बैठ कर विचार हो जाता था लेकिन यहां सुबह से शाम तक किसी को फुरसत नहीं और उन्हीं लोगों से उन्हीं बातों में वह बराबर घिरे रहते हैं, पूजा के समय उस के बहाने भले ही कुछ विचार का अवसर मिला जाता हो तो मिलता हो लेकिन किसी को यहां समय मिलता ही नहीं कि वह विचार करे कि आखिर इन समस्याओं का हल क्या है। मुझे स्वयं थोड़ा बहुत अनुभव है कि किसी को राजनीति से फुरसत ही नहीं मिलती।

तो मैंने बताया कि यह हमारे किसानों का और खेतिहर मजदूरों का हाल है आपने इसमें बहुत से उद्योगों की बात रखी है। देहात में जो आप के पारम्परिक उद्योग थे लोहारी का काम करने वाले थे, बढ़ई का काम करने वाल थे, कुम्हार का काम था वह सब उद्योग आप दिनों दिन खत्म कर रहे हैं। आज सब जगह हर चीज का अधुनिकीकरण हो रहा है और हमारे देहातों के जो उद्योग थे भी वह समाप्त हो रहे हैं। इस तरह से देहात की बेकारी घटेगी नहीं, वह तो और बढ़ेगी। किसी को आज देहात में कपड़ा धुलवाना हो तो शहर में आना पड़ता है। आप वहां भी माडर्नाइज किस्म की लांड्री, क्यों नहीं खुलवाते? जो देहात के लुहार हैं उनको आप मार्डन तरीके का वेलडिंग का, ट्राली बनाने का, ट्रेक्टर का काम क्यों नहीं सिखाते ताकि वहां की जरूरत को वह पूरा कर सकें और उन्हें रोजगार भी मिले। देहात में अच्छे नाईयों के सैलून हों ताकि हमारे पंडित जी भी वहां जायं तो शेव तो हो सके। आज वहां पुराने ही किस्म के नाई मिलते हैं। बढ़ई के पेशे के अच्छे आदमी मिलते ही नहीं, पुराने तरीके के लोग मिलते हैं। आप क्यों नहीं उनको माडर्न ढंग से ट्रेनिंग दिलवाते ताकि वह आज की जरूरत को पूरा कर सकें? आप बहुत सी लम्बी चौड़ी बातें करते हैं लेकिन इन पुराने देहात के पेशों को आप माडर्नइज क्यों नहीं करते। वहां टैलेन्ट मौजूद हैं कि सिर्फ जो वहां की जो जिन्दगी है उसका नया रूप देख कर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अनस्किल्ड लेबर न इधर का रहेगा न उधर का। आप एन-सीलरीज भी लगा सकते हैं, उससे बड़े उद्योगों को सहारा मिल जायगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।

हमसे सुझाव भी मांगे गये हैं और कहा गया है कि सदन सुझाव दे। हमारे सुझाव मांगे तो जाते हैं लेकिन उनको मानने में आप की मजबूरी हो जाती है, आप उनको मान नहीं सकते क्योंकि इस तरह की शक्तियां आप के यहां काम कर रही हैं। मेरा पूरा अनुभव है और हर तरह की कोशिश मैं कर चुका हूं और माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को भी यह चीज मालूम है, वह उस वक्त कैबिनेट में नहीं थे, श्री केशवदेव मालवीय और गुप्ता जी थे, उस वक्त यह सवाल था कि सेन्टर हमारे प्रदेश को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। भले ही ऊपर के नेता यू० पी० के हों लेकिन मद्र स और पंजाब के लोग यही कहते थे कि आप के नेताओं के तो हाथ में ही देश है और राज तो यू० पी० करता है। उस वक्त हमारे सूबे की आय प्रति व्यक्ति २५९.६ थी सन् ५०–५१ में सन् ४८ के प्राइस लेविल के हिसाब से। भारत की औसत आय उस वक्त २४७ रुपया थी, यानी हमारी औसत आय भरत के औसत आय से ऊपर थी।

सन् १९४६–४७ से ५० तक सेन्ट्रल पूल का जो रुपया होता था उसमें से यू० पी० को १९ प्रतिशत प्राप्त हुआ। और हिन्दुस्तान के तमाम सूबों के अन्दर यह सूबा पर कैपिटा इनकम तरक्की के हिसाब से चौथ या पांचवां रहा, लेकिन आपको याद होगा कि देशमुख साहब ने १९ परसेंट से घटा कर १८ परसेंट कर दिया। उसके लिये बहुत रोया गया लेकिन उन्हों ने कुछ सुना नहीं। जवाहर लाल जी का मसला था। कमलापति जी या हर मिनिस्टर के सामने बड़ा मुश्किल हो जायेगा क्योंकि आपके सामने और उनके सामने तो सब का सवाल है, पूरे सूबे और पूरे देश का सवाल है। यह कहा गया कि यह सूबा गरीब है फिर भी १९ परसेंट की जगह १८ परसट कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यू० पी० के बैकवर्डनेस का इतिहास यहां से शुरू होता है, इसको आप और हमारे साथी भी अच्छी तरह से समझ लें। फेज्ड प्रोग्राम आफ पोस्टवार री कंस्ट्रक्शन बना हुआ था। इस पर पंडित केशव देव मालवीय और गुप्ता जी ने यह कहा कि इस तरह से तो बहुत पिछड़े जा रहे हैं। मुझे इस मौके पर नारायण दत्त तिवारी जी का वह आखिरी कपलेट आता है जिसमें न मालूम उन्होंने कौन सी वेदान्त की फिलासफी लाकर रख दी है। हम तो इसतरह से हम सब सोचते आये हैं—और उसका हम तो तजुबा भी कर चुके हैं लेकिन उस तजुर्बे का नतीजा आपको बतलाऊं कि जब फेज्ड प्रोग्राम चला तो यू० पी० की आमदनी में हिन्दुस्तान ४–५ सूबे के अन्दर स्थान था। फिर प्लानिंग शुरु होती है देशमुख अवार्ड ने तो के १९ से १८ प्रतिशत कर दिया था और फिर डिवीजनल पूल में जो हमें मिलता, उसके बारे में आप जानते ही है। पहले कमीशन ने १५ परसेंट कर दिया और फिर दूसरे ने १६ परसेंट कर दिया। इस तमाम बातों का जो नतीजा है उसका पता आप सब को है। सेक्रेटेरियट को भी पता है। ये सारे फीगर्स गवर्नर की स्पीच में किसी जगह पर हैं। तो हिन्दुस्तान में पर कपिटी इनकम तो बढ़ गयी, लेकिन हमारे सूबे के अन्दर पर कपिटा इनकम गिरती गयी। सन् ५७ या ५८ में जब कि श्री सम्पूर्णानन्द जी थे, वे एक सिद्धान्त के आदमी थे उन्होंने यह कोशिश की और पार्लियामेंट के तमाम सदस्यों को इकट्ठा किया जाय और उनके सामने यह मसला रखा कि इस तरह से यू० पी० पिछड़ा चला जा रहा ह, उन्होंने जोर डाला कि इसके लिये कुछ होना ही चाहिये। वहां कहा गया कि दिल्ली में तो लोग कहते है कि यू० पी० पिछड़ा सूबा कैसे है जब कि सारे देश को यह नेता देता है। सन्ट्रल हाई कमांड के लोग सब उत्तर प्रदेश के हैं। पता नहीं सन् १९४९–५० में, पता नहीं गुप्ता जी यहां बठे हुये ह या नहीं बैठे हुये हैं,यह सावाल हमारी कबिनेट के सामने भी रखा गया था और उस समय पं० केशव देव जी और गुप्ता जी ने यह सलाह की कि इस तरह से तो ह मेशा यू० पी० गरीब और पिछड़ा हुआ ही रहेगा। कहीं विश्वानचन्द्र राय कुछ खींच कर लिये जा रहे हैं तो कहीं फलां कुछ खींच कर लिये जारहा हैं और हम अपने नेता के खिलाफ यू० पी० का होने की वजह से कोई लड़ाई मोल नहीं ले सकते। पं० गोविन्द वल्लभ पन्त जी, मुख्य मंत्री थे, नैनीताल में थे, उनका भी यही खयाल था और उन्होंने कहा कि अगर हम ही अपने नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे तो वह हमारे सूबे की शान के खिलाफ बात होगी और हमारे प्रधान मंत्री की भी शान कम हो जायेगी। हम यू० पी० के बाशिन्दे हैं, हम यू० पी० की कल्चर से, संस्कृति से ओतप्रोत हैं। हमने सिर झुका दिया, हम खामोश हो गये। आज उसकी कीमत आपको यह सूबा दे रहा है। कितनी कीमत दे रहा है, आप देखिये। आज जो आपकी बैकवर्डनेस है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर पांचवीं प्लान में भी चौथी प्लान तक की पर कैपिटा इन्कम को पूरा करना चाहें तो ७ हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। यह धनराशि आयेगी कहां से यह आपको विचार करना है। ये औफिशियल फीगर्स हैं। यह कर लें तब जाकर हमारा सूबा पर कैपिटा इन्कम के हिसाब से एक प्लान पीछे रह सकता है। वरना यह दिवालिया हो गया है। हमारा जो ऐप्लाइड रिसर्च ऐंड एकौनौमिक इन्स्टीट्यूट है, उसने भी अपनी राय दी है कि तीसरी और चौथी और पांचवी प्लान में ५ हजार ५० करोड़ रुपये खर्च होने चाहिये जिसमें ३३ प्रतिशत एग्रीकल्चर

[चौधरी गिरधारीलाल]

में, २५ प्रतिशत इन्डस्ट्री में और १० प्रतिशत पावर में और ७ प्रतिशत ट्रान्सपोर्ट में और १० परसेन्ट इन्डस्ट्रीज पर खर्च किया जाय तब एक प्लान पीछे आपका सूबा १९७६ में हो सकता है। आप पिछड़े गये हैं। क्यों पिछड़ गये हैं, इस बात को जरा सोचिये। यहां की गुरबत का हाल न पूछिये। हिन्दुस्तान के गरीब से गरीब ५८ जिले छांटे गये और उनके अन्दर २२ जिले यू० पी० के अन्दर हैं जिनकी १७३ रुपये साल से भी कम आमदनी थी। यह एक स्वतन्त्र देश है और यहां पर कल्याणकारी राज्य है जिसके २२ जिलों की यह हालत है और जहां की आबादी ४० फीसदी है। हमारे नेता जो दिल्ली में हैं, उनके सामने आज सैकड़ों समस्यायें हैं, फाइनान्स मिनिस्टर हैं, प्लानिंग कमीशन है, फाइनेन्स कमीशन है और डिफरेन्ट मिनिस्ट्री हैं और उसके बाद सेक्रेटरीज और सुपरिन्टेन्डेन्ट्स हैं, सभी तो हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, ये चीजें कहां तक आपके सामने कहूं। थोड़ा-थोड़ा इशारा उस तरफ किया। आज यह हमारे सूबे की हालत है।

कल भी डा० जोशी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, और बिहार के अन्दर १४२८.८८ करोड़ रुपया व्यय हुआ जो कि कुल रुपये का ७५ फीसदी है। जहां तक हमारे सूबे का सम्बन्ध है इसमें पहली प्लान में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। दूसरी योजना में भी कुछ कार्य नहीं हुआ है। तीसरी योजना में ३ करोड़ २४ लाख रुपया स्टेट की योजना पर सैन्टर से लगा, वह भी धींगा मुस्ती कर के।

एक तो आपकी यह यमुना प्रोजेक्ट था, कालागढ़ प्रोजेक्ट थी। इसको हमने कहा कि यह कमिटेड एक्सपैन्डीचर हो जायगा इसको टाल दो। और इसी प्रकार की और चीजें थीं। इसी तरीके से किया गया तो ३ करोड़ २४ लाख रुपये खर्च हुये। तीसरी योजना में ७१ करोड़ ७४ लाख रुपये कुछ प्रोजेक्टस में जिसमें नैनी, हरद्वार हैं इन चीजों की शुरुआत हुई। अध्यक्ष महोदय, यह करीब ७.२ परसैन्ट पूरा इन्वेस्टमैन्ट का होता था। तो फिर हमारी यू० पी० की पर कैपिटा इन्कम कम क्यों न हो? आप तो कहीं हिन्दुओं को भड़काकर मुसलमानों को दबाते रहे और मुसलमानों को भड़काकर हरिजनों को दबाते रहे। इस तरह से बीस साल कट गये। आगे नहीं कटेंगे। मुझे अफसोस है पंडित जी कि ऐसी चीजें हुई। पंडित जी ने तो दिल्ली में जा कर रवाजे खटखटाये। उनके पास अच्छा दिमाग है। उनकी वाक्चातुरी हम लोगों के ऊपर खूब चलती है परन्तु दिल्ली में जहां माहिर लोग भी मंडराते हैं वहां पर वे फेल हो जाते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वहां से रुपया मिले, यू० पी० का कुछ स्थान हो। उसकी इज्जत रहे। उनकी पार्टी की इमेज ऊंची उठे। तो अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजें हैं।

अब जरा देख लीजिये इस बात से कि यू० पी० की पहली योजना पर पर कैपिटा १४ रुपये, दूसरी पर १८ रुपये, तीसरी पर ६८ रुपये व्यय हुआ और जबकि भारत के सूबों का औसत व्यया ४०, ५०, और ९२ रु० है। इसमें औसत सहायता केन्द्र ने यू० पी० को तो १४ रुपये दिये, पूरे हिन्दुस्तान की जो एवरेज है वह २५ रुपये है। दूसरी योजना में २७ रुपये है और तीसरी योजना में ५७ रुपये है। जब कि हमारे यहां १४, १८ और ४७ रुपये दिये गये हैं। तो जब ये सब चीजें हैं इनको देखते हुये अध्यक्ष महोदय आप हमें बतलाइये कि इस सूबे के अन्दर आप और मैं और आपके जितने सहायक और हमदर्द हैं, उनमें से किसी का मतभेद नहीं है कि जहां तक सूबे की गरीबी को दूर करने का सम्बन्ध है, उसको सब चाहते हैं कि इस सूबे की गरीबी और बेकारी दूर हो। यहां खुशहाली आये और उसी की वजह से पैदा हुई यहां से छुआछूत जो दूर हो। अगर खुशहाली होती है तो सब की परेशानी दूर हो जाती है। और आपके स्लोगन इस तरह के थे कि मैं भी प्रभावित था। मैं समझता था कि चलो गलत काम द्वारा ही अगर एक काम अच्छा हो जाता तो सब वह क्षम्य है और इस नाते से मुझे खुशी ही थी। मैं जानता था कि वह चीज नहीं होगी। क्योंकि यह तो उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी है जो पहले से जिस तरह से ब्यूरोक्रेटिक

टाइप और रूटीन टाइप का बजट आ रहा था वही पेश किया गया है। उसके लिये बहुत बातों की जरूरत होती है। उसके लिये आपको पूरी मशीनरी को ठीक करना होगा। आपने कल एक प्लानिंग कमीशन का इशारा किया, प फार्मेन्स बजट का भी इशारा किया ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट का भी जिक्र किया एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्स कमीशन की भी बात आयी। बीच में जब मैंने देखा कि एक आइटम में आपने १४ लाख पास कर दिया और एस्टीमेट बढ़ गया २० लाख का। मैंने कहा कि इसको एग्जामिन करो, फिर से हाउस में जायेगा पास होने के लिये। मैंने कहा कि इसको रोकिये। लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ। तो यह आपकी मशीनरी का जो तरीका है, इस पर आपको अलग से बैठ कर विचार करना ही होगा। आपको सभी जगह का और सभी मामलों का अनुभव है। आप इस पर अलग से बैठ कर विचार करें परफारमेन्स बजट की सफलता के लिए।

क्या हमारी यह सरकार एक योग्य सरकार है? जिस लक्ष्य को लेकर हमने अपने मुल्क को आजाद कराया और जिस लक्ष्य को लेकर देश के किसान-मजदूर और छोटे-बड़े सब लोगों से टैक्स लेकर हम खर्च करवा रहे हैं, क्या उस लक्ष्य की पूर्ति हुई है? क्या उसमें १० प्रतिशत भी पूर्ति हुई है? और अगर नहीं हुई है, तो इस बात को आप सोचें कि इस मशीनरी में क्या डिफेक्ट है? आपका फेडरल स्ट्रक्चर आफ कांस्टीट्यूशन है। इसमें कुछ अधिकार आपको है। नहीं हैं तो आप ले सकते हैं। आज यह प्रश्न चीफ मिनिस्टर और केन्द्र के सामने खड़ा हो गया है। अगर आप सूबे को उठाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया और दूसरा समय नहीं होगा। पहले हम सभी तो चूक गये हैं।

पुरानी मशीन तो ईस्ट इंडिया कम्पनी की परम्पराओं की है। किसी को लें, किसी को दे, यह उनकी एक ब्यूरोक्रटिक परम्परा है। उनकी परम्परा में यहां का आदमी चला और उसने कुछ इनामों, रिश्वतों, सिफारिशों और तीन-तिकड़मों पर काम किया। देश के आजाद होने पर ट्रांसफर आफ पावर जो हुआ उसमें वसीयत में उनकी वही तमाम परम्पराएं, वही हाईआरकी वही पद्धति और प्रणाली, वही सरकारी ढंग हमको मिल गया। आज सरकारी कर्मचारी का क्या काम है? चार साल तालीम पायी, पांचवें साल प्रोबेशन में समय बिताया। जिस वक्त वह आपके मुहकमे में आता है तो थोड़े दिन तो भले ही वह ठीक चले, लेकिन बाद में सोचता है कि मैं अपने आप को मैन्टेन कैसे करूं। अगर कोई उससे बड़ा अफसर जा रहा है तो खट से उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है कि इसी बहाने उसकी नजर के सामने आ जाऊं।. . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप थक गये होंगे।

चौधरी गिरधारी लाल—

थकने का कोई सवाल नहीं है। आप जहां तक चलिये वह तक चलें। तो मैं कह रहा था कि आपके सरकारी कर्मचारी उस पुरानी परम्पराओं को लेकर यहां पर आये हुये हैं। ट्रांसफर आफ पावर के अन्दर वही पुरानी परम्परायें, पुराने ढंग और तरीके हैं और उसी के मातहत यह पूरी गवर्नमेंट चल रही है। हमारे अन्दर एक काम्प्लेक्स है। गांधी जी ने सीधा सादा धोती कुर्ता हमको दिया था परन्तु अब यह कर्मचारी सूटेड बूटेड हैं और हम समझते हैं कि शायद ये बड़े टैलेन्टेड लोग है। ये हमसे कहते हैं कि सरकार, ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा जाती रहेगी और हम यह करें और वह करें। पूरा एक जंजाल सा बन गया है। आज हम और आप नई दुनियां में हैं और इसी के मुताबिक हमको अब चलना होगा। अध्यक्ष महोदय, जब कोई यात्री तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसको बहुत से पंडे घेर लेते हैं। पंडा उनको बताता है कि यह तो बड़े देवता हैं और फलां फलां जगह पर ये छोटे देवता हैं इनकी भी पूजा करो। आज हमारी सरकार का भी यही ढंग है। उस तरफ भी देखने और सोचने की बात है। इसका तरीका निकालने की बात है और इसको अभी निकालना होगा नहीं तो समय हाथ से निकल जायेगा।

[चौधरी गिरधारीलाल]

आज आपने कोई आर्डर पास किया तो वह आपके बाबू के पास रुक गया। पार्टी जब तक बाबू के पास नहीं पहुंच जाती तब तक वह आर्डर नहीं निकल सकता है, वहीं रुका रहेगा। पंडित जी ने कहा कि हमारा तो आर्डर था कि जल्दी से इसको किया जाय, लेकिन वह पड़ा रहता है। बाबू इन्तजार करता है कि वह पार्टी आये तब हम इसको आगे खिसकायें। अगर उसको कोई पंडा मिल गया तब तो उसने पता बता दिया नहीं तो फंसा पड़ा है। वहां से निकला तो फिर सेक्रेटरी साहब के पास फाइल आ गई। मुख्य मंत्री जी के आदेश थे कि जल्दी हो परन्तु डिफरेंट चेनल्स पर वह फाइल पड़ी रहती है। किसी छोटे कर्मचारी के प्रोमोशन, डिमोशन या डिसिपलिनरी ऐक्शन की फाइल है या फिर किसी बाहरी आदमी के दुकान, जमीन का केस है। परन्तु उस फाइल की यात्रा तो तभी पूरी होगी जब पंडा पूजा जाय। ऊपर से लेकर पटवारी तक चलना पड़ता है। बहुत लम्बी यात्रा है। इसका कोई इलाज निकालें। जो आर्डर्स हैं उनका पालन नहीं होता है। आखीर क्यों? सख्ती के साथ इसको देखना होगा कि जो आर्डर हो उसका सख्ती के साथ पालन किया जाय। अपने विभाग में भी मैंने एक मर्तबा इसका पता लगाया था। बात यह है कि कुछ हरिजन बालकों को ओवरसियर की जगह पर लिये जाने की बात थी परन्तु उस आर्डर को रोक लिया गया। उनको डर था कि यदि वह आ गया तो ठीक नहीं होगा। हरिजन जिसके लिये मैंने नौकरी में रखने को लिखा था वह समझता था कि मंत्री तो गवर्नमेन्ट है उसका काम हो ही जावेगा। लेकिन वह कहीं का न रहा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से उसके कागज रुके पड़े थे। मुझसे बतलाया गया कि मेरे समय के ही नहीं मेरे आने के पूर्व के मंत्री के भी आदेश रुके पड़े थे। तो यह एक विश्वास सर्किल पैदा हो गया है। पुरानी भी इसी किस्म की चीजें मिलीं और मैंने उनको निकलवाया। तो मैं यह बतला रहा था कि कागज की रफ्तार यह है और इतने ज्यादा स्टेशन्स हैं। ४८ स्थान हैं पटवारी से लेकर ऊपर तक जाने में। अध्यक्ष महोदय, हमें बतलाया गया है कि हमारे देश के अन्दर जो सरकार चलती है और आदेश होते हैं, वह टाप के आदमी के आदेश होते हैं। कल ही पंडित जी कह रहे थे कि सूबा पिछड़ा हुआ अवश्य है, लेकिन और चीजों में आगे हैं। नेतृत्व में आगे हैं, और बहुत सी चीजों में आगे हैं। नेतृत्व बड़े, विद्वान हों, जर्नलिस्ट हों, ठीक है लेकिन वस्तुस्थिति तो मंजूर करना ही पड़ेगी और यदि नहीं करेंगे कि तो जो हमारा हाल है उससे भी बद्तर आगे होगा।

दिल्ली वाले तो हमेशा हमसे कहते रहे हैं कि आपका तो राज्य है, जिस तरह से चाहें कर लें, आपको क्या कठिनाई है, आपका प्राइम मिनिस्टर है। तो अध्यक्ष महोदय, इन चीजों में सुधार की जरूरत होगी। मैं पूछता हूं कि आपकी यह मशीनरी जो है क्या इसके लिये कोई नागरिक कह सकता है कि यह मेरी सरकार है। इसकी क्या वजह है कि कोई आदमी नहीं कह सकता कि यह सरकार उसकी है डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को होना ही चाहिये कि वह ऐसा कहे और समझे कि उसकी सरकार है और वह सरकार का एक अंग है। ऐसा आज नहीं है इसके विषय में सोचना पड़ेगा। यह बात सही है कि यह सरकार भी गुलामी के जमाने में जैसी सरकार थी वैसी ही है। केवल खादी पहन लेने से कोई अन्तर नहीं आता है। सरकारी अधिकारियों में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भावना में सेवा वृत्ति नहीं है। उनकी शान घटती है उनका मान घटता है अगर काम जल्दी हो जाय। मैं जानता हूं कि मिनिस्टरों के आर्डर्स को को वे किस तरह से समरीली रिजेक्ट कर देते हैं। मंत्रियों में सभी भले मंत्री हैं। सभी में भावनायें हैं, लेकिन नीचे जो तरीके बने हुये हैं उनका नतीजा है कि कागज पड़े रहते हैं। जिस काम को नहीं करना चाहते वह पड़ा रहता है। उनमें दस किस्म की बातें उठा दी जाती हैं। मिनिस्टर कंसर्न से नहीं होता तो चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचेंगे। वहां भी नहीं होगा तो कहेंगे कैबिनेट लैविल की चीज है। इसमें रूल्स आफ बिजनेस हायर है यह कहते हैं। और जिस काम को करना चाहेंगे उसके लिये अगर आसमान से तारे तोड़ने होंगे तो वह भी तोड़ लायेंगे।

पंत जी के जमाने की बात है। आज तो वह हिन्दुस्तान के एक ऊंचे पद पर सबसे बड़े कर्मचारी हैं। उन्हें बुला कर मैं यही कहता था कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिये दस कायदे कानून निकाल लेते हैं और जिसको नहीं करना चाहते उसके लिये भी दस कायदे कानून निकाल कर बता देते हैं। यह तो ब्रिटिश सरकार ने एक ढंग निकाला था कि चोर को शाह और शाह को चोर बना दो। इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप शासन के पूरे ढांचे पर, शासन की पूरी सज्जा पर विचारिये। आज समय है इस पर विचारने का। केन्द्र भी आज इस बात के ऊपर कुछ बाहर के प्रेसर्स की वजह से विचार कर रहा है। कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने भी विचार किया है। आप भी विचार करें। किसी पोलटिकल खयाल से नहीं। आप और हम कितने दिन के लिये यहां बैठे हैं? हमारी संस्कृति में जो नित्य और अनित्य वाली बात है उसको सोचें। जो परम्परायें और जो ढांचा आप इस सूबे को देंगे वह आपको और आपके बच्चों को और तमाम लोगों को सुख और शांति गरीबी और बेकारी से मुक्त करके एक स्वतंत्र वातावरण के अन्दर आत्मसम्मान के जीवन की ओर ले जायेगा। किस प्रकार की सज्जा, किस प्रकार का एपेरेटस और इंस्ट्रूमेंट हमारा होना चाहिये। इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार होना चाहिये।

आज देहात का आदमी नहीं कह सकता कि यह मेरी सरकार है। यहां के भी बहुत से आदमी नहीं कह सकते। आज तो यह है कि फलां आ गया तो फलां जाति की सरकार और फलां आ गया तो फलां जाति की सरकार है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? आज कोई नागरिक नहीं कह सकता कि यह सरकार मेरी है। यह चीज डेमोक्रेसी के अन्दर एक बेसिक और बुनियादी चीज जो गायब है। इसलिये सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि पर्सनल इंवाल्वमेंट होना जरूरी है। सेन्स आफ पार्टीसिपेशन होना जरूरी है। गुलामी से चले आ रहे हैं। बहुत से अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन गुलामी की बू उनमें भी है। गांधी जी के बाद इस देश ने एक दूसरा रूप धारण किया, लेकिन गांधी जी २० साल रहे और गुलामी ३०० साल रही। हमें इस पर विचारना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पिछले साल भी कहा था, इस हुकूमत के ४-५ कार्य, ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं। जैसे जान माल की सुरक्षा का कार्य है, ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है ला ऐंड जस्टिस का सवाल है, इसी तरह और भी कार्य हैं। इन सब के ऊपर आपको ठण्डे दिल से सोचना होगा और एक परिवर्तन लाना होगा। आपको सोचना होगा कि इसके लिये आप को कैसे आदमियों की जरूरत है। आज कमिटेड सर्विसेज से काम नहीं चलेगा, आपको थारोली सोच कर, मन्थन करना होगा और मन्थन करके कोई उपाय ढूंढ़ना होगा, इस सब समस्या के हल के लिये। इस समस्या के हल के लिये आपको उचित प्रकार की शिक्षा और ट्रेनिंग जनता को देनी होगी। पंडित कमलापति जी त्रिपाठी इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रतीक हैं, उनको इस पर सोचना होगा। मैंने एक जिक्र पहले ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के अध्यक्ष के ब्यूरोक्रेटिक मेथड्स का किया था। दूकानदार कहने पर बुरा लगता है तो उनको सरकारी नौकरी त्याग कर विश्वनाथ जी के मन्दिर में बैठना चाहिये और जो दान-दक्षिणा मिले उसी पर गुजारा करना चाहिये।

मैं कहता हूं कि आपको इस पर सोचना होगा और खासतौर से पब्लिक सेक्टर बारे में सोचना होगा। केन्द्रीय सरकार ने कुछ ध्यान बिजनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन तथा इंडस्ट्रियल मनेजमेंट आदि की ओर दिया है। मगर इससे ही आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर पब्लिक सेक्टर को सफल बनाना है तो कुछ मुख्य-मुख्य बातों की ओर आपको ध्यान देना होगा, उसको उसमें हर स्टेज पर इन्सन्टिव देने की जरूरत होगी और उस वक्त सिफारिशों की और जातिबिरादरी वाद की जरूरत नहीं होगी। इन चीजों को अलग रख कर, हमें परफारमेंस और प्रोडक्शन की ओर ध्यान देना होगा। हर स्टेज पर यूनिट परफारमेंस को देखना होगा, तभी पब्लिक सेक्टर कामयाब होगा।

[चौधरी गिरधारी लाल]

उपाध्यक्ष महोदय, आज होता क्या है ? जो आदमी छुआछूत मानता है उसी को सबसे बड़ा आफिसर बना दिया जाता है । वह आज अफसर बन जाता है । यही बात सोशल सर्विस में एजूकेशन, पब्लिक हेल्थ सब आती है । पंडित जी आप मे नेतृत्व का गुण है, सोचने की शक्ति है । आप उसको कुंठित न कीजिये । सोचिये अलग से । पंडित नारायणदत्त जी तिवारी और डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी भी सोचें और कोई तरीका निकाल कर लाएं । देवता अमृत मंथन करके लाते थे । आप कुछ कीजिये हम सब लोग आप का समर्थन करेंगे । हमें गरीबी को दूर करना है । हमें समाज की झूठी शृंखलाओं को तोड़ना है । एक तो इस बात की जरूरत है कि अलग-अलग सेक्टर हों । बिठाइये ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन लोगों को ऐडजस्ट करने के नाते नहीं, इस खयाल से कि हमें सूबे को उठाना है । थोड़े से दिन अगर जिन्दगी के हैं, अब तक भले लोगों ने कहा ही कहा है लेकिन मैं यहां पर काम करके जाऊंगा । आप का इतिहास में नाम होगा । उठाइये कदम आप इस बात में । इस सूबे का १ करोड़ १३ लाख स्क्वायर मील का रकबा है । चार या पांच करोड़ एकड़ कल्टिवेबिल लेण्ड अलग है । इसमें लगभग ९ करोड़ आबादी है । आज उनकी यह हालत हो चुकी है । मैंने कुछ समय पहले नेता विरोधी दल के नाते कुछ स्थानों पर जाकर देखा । जो मेरे सामने समस्याएं आयीं उनको देख कर तो इंसानियत हैरतजदा हो जायगी । क्या देश ने आजादी इसीलिये हासिल की थी कि बहू बेटियों की, जान माल की हिफाजत न हो, लोग गाजर मूलियों की तरह काट दिये जायं, बच्चों को उठा कर ले जायं । आज भरोसे का नाम हमारे सूबे से खत्म हो गया है । वजह इसकी क्या है ? बुन्देलखंड के एक इलाके में किसी नागरिक पर क्या बीत रही है, और कौन सरकारी कर्मचारी वहां पर कैसा काम कर रहा है ? क्या यहां पर बैठ कर आप का इस पर ग्रिप है ? कोई ग्रिप आप का नहीं है । जब तक ४८ स्थानों से होकर आपका आदेश और निर्देश जायगा तब तक स्थिति बहुत आगे नहीं निकल सकती है । आपको जरूरत इस बात की है, मैंने पहले भी इस बात का इशारा बाबू सम्पूर्णानन्द जी के सामने किया था । यह सूबा और मुल्क हर तरह से बहुत पीछे पड़ चुका है । यहां की ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रोबलम्स बहुत जटिल हो चुकी है । यहां पर हर प्रकार के नये-नये मसले पैदा हो चुके हैं जिसमें गवर्नमेंट के इमीडियेट ऐक्शन की जरूरत है । सरकारी कर्मचारी को यह अन्दाज होना चाहिये कि गवर्नमेंट की दृष्टि मेरे ऊपर है । लेकिन आज वह सोचता है कि गवर्नमेंट बहुत दूर बैठी है, उसका क्या कर सकती है । तो इस समय जरूरत इस बात की है और आपको नये सिरे से इस लाइन पर इसलिये भी सोचना होगा ताकि सूबे का इन्टीग्रेशन कायम रहे ।

इस सूबे के अन्दर खुसर-फुसर बहुत होता है । सन् १९४७–४८ में पहले लोग बहुत होशियार होते थे वे किसी चीज को आगे से पकड़ते थे और आज की तरह पीछे जुड़े से नहीं पकड़ते थे । आज हमारे सूबे में स्थान-स्थान पर कहीं बुन्देलखंड का सवाल है, कहीं हिमांचल का सवाल है, कहीं सेन्ट्रल और सूबे के रिश्ते का सवाल है, कहीं पूर्व का और कहीं पश्चिम के सवालों को लेकर लोग खुसर-फुसर करते रहते हैं । हमको यहां पर बैठ कर इन सभी मामलों को हल करना चाहिये । जितने भी आपके डिवीजन इस सूबे के हैं उसके जितने कमिश्नर हैं उनकी क्या शिकायतें हैं ? आज आपके जो सचिव हैं वे जो मुख्य मंत्री से कह देते मैं वही बात हो जाती हैं । अगर आप इस सूबे के अन्दर यह चाहते हैं कि यहां का हर नागरिक जिस तरह से यह समझता है कि मैं भगवान का अंश हूं, उसकी देन हूं, उसके राज्य में हूं, उसी तरीके से वह सोचने लगे कि वह पंडित कमलापति के राज्य में रह कर भगवान का नाम लेंगे, अपनी संस्कृति की बात करेंगे और स्वतंत्र रहेंगे और दिन में जाकर अपना-अपना काम करेंगे तब कल्याण हो सकता है इस सूबे का । आपको इस बुनियादी मसले को सोचना होगा । आप इस विषय पर सोचिये । अब तो सेन्टर के विधान के एकमात्र नेता आपके पास हैं । अब आप जो चाहें कर सकते हैं । आपको पूरा अधिकार है ।

यह तो मैंने नटशेल में आपको बात बतलाई और मैं समझता हूं कि इससे आपके बहुत से मसले हल होंगे । ऐडमिनिस्ट्रेशन में आपको ज्यादा खर्चा नहीं होगा । जो आपके साधन

और सिद्धान्त हैं उनसे आप काम करिये। आप अगर उस कार्य पर एक पैसा खर्च करते हैं तो आप उनसे दो पैसे की खिदमत लें। आप दसियों लाख रुपये टी० ए०, डी० ए० और मुकदमे में लगा देते हैं। वह आपको नहीं मिलता है। वह इस देश का पैसा है। आज जनता कराह रही है और लबे दम पर है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचिये। इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, सोशल सर्विस है, ला एन्ड आर्डर है उन पर अलग-अलग तरीके से चलने की जरूरत है। आपके पास साधनों की कमी है तो मैं आपको कुछ विचार के लिये दे देता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत सी इस प्रकार की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उस मशीनरी से मैं भी निकला हूं, मैंने भी उस सम्बन्ध में विचार किये हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर्स हैं, खास तौर पर जैसे प्रिसिजन इन्ट्रूमेंट फैक्टरी है, बड़ी प्रोफिट गिविंग फैक्टरी है। दूसरी आपका जो रिहन्द है, भले ही वह न हो किन्तु वह हो सकती है। तीसरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हाइडिल का महकमा है। ये सब जितने भी महकमें हैं इन सभी का लक्ष्य हमारी पूंजी है, इनके द्वारा साधन जुटायें। पब्लिक सेक्टर हमारी सहूलियत के लिये है, हमारे आराम के लिये है, न कि हमारे एक्सप्लायटेशन के लिये। मैं सुझाव दूंगा कि इसमें कोई नुकसान आपका नहीं होगा अगर आप ४९ प्रतिशत शेअर पब्लिक के कर दें और ५१ प्रतिशत कन्ट्रोलिंग शेअर सरकार के रखें। इस तरह से बहुत सा रुपया निकल कर आपके पास आ जायगा। आपने इन्फ्लेशन को इतना ज्यादा बढ़ा रखा है कि एक रुपये का आधा सेर, पौन सेर गेहूं मिल रहा है। जिस वक्त आप इस लाइन पर सोचेंगे उस वक्त हमारे मुख्य मंत्री जी इस बात को समझेंगे कि सारे सूबे के नागरिकों पर उनका ग्रिप है। इस तरह से अगर आप उनको कोई जिम्मेदारी देंगे तो आज कल जो बहुत सा टैक्स का इवेजन होता है वह भी काफी कम हो जायगा। अगर केवल आप इस टैक्स के इवेजन को ही रोक सकें तो उसकी आमदनी टैक्सों की आमदनी से जो आप नये लगाते हैं कहीं ज्यादा होगी। आपको तो यह जल्दी से करना चाहिये क्योंकि आपको तो ७१ के आखिर तक परकेपिटा इनकम सारे भारत के मुकाबले पर तो ले ही आना चाहिये। पंडित कमलापति जी आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप काशी के निवासी हैं, पुराने आपके किस्से हैं। आपकी बहुत पुरानी परम्परायें हैं। बीच की चीजें भले ही कुछ हों, मैं कहता हूं कि आपका नाम चमक जायगा अगर आप इस लाइन पर आ जायं।

श्रीमन्, यह तो मैंने ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स और सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के बारे में कहा जहां तक केन्द्र की बात है, आपके लिये यह बहुत जरूरी चीज है। इसके कारण ही यह सारा सूबा हिन्दुस्तान के सूबों में सबसे हीन बना हुआ है। पिछले वर्ष में जब मैं दिल्ली में था, मैंने एक बयान पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन उसके झगड़ों के कारण है। हमने कहा कि झगड़े हैं तो इसको खत्म करो और सूबे को उठाओ। फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरा बयान पढ़ा, वित्त मंत्री जी जरा उसको नोट करें, उसमें लिखा यह था कि यह सूबा तरक्की कैसे करे जब यह अपने रिजर्व को ही खर्च नहीं कर पाता है, फिर हमारे पास मांगने के लिये क्यों आता है। यह बयान प्राइम मिनिस्टर का था। श्रीमन्, मैं एकोनामिस्ट या अर्थशास्त्री तो नहीं हूं लेकिन कामनसेन्स से सोचा करता हूं कि इस इन्फ्लेशन के युग में केन्द्र पर आश्रित स्टेट्स को अगर अपना भला चाहती है तो उन्हें विकास पर व्यय वैसे ही करना चाहिये जैसा कि एक नागरिक करता है। इन्फ्लेशनरी युग में वह ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट के ऊपर बढ़ता जाता है। सस्ते के समय में जोड़ा हुआ सामान बढ़ जाता है और फिर उसके असेट्स ऊंचे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हमारे सूबे की बैकवर्डनेस की हिस्ट्री है यहां पर। यह अच्छी तरह से समझ लीजिये। शायद उस वक्त पंडित जी कैबिनट में नहीं थे लेकिन असेम्बली में थे। सन् ५० की शायद बात है। अगले एलेक्शन से पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक हिदायत आ गयी कि फाइनैन्शल स्ट्रिजेन्सी है और पोस्टवार रिकांस्ट्रक्शन के जितने प्रोग्राम हैं उन सबको खत्म कर दिया जाय और हम आपको कोई सहायता नहीं देंगे। यू० पी० ने उसके आगे सिर झुका लिया। और हमारी सर्विसेज को तो फाइनेन्शल डिस्पिलिन रखना

[चौधरी गिरधारीलाल]

इसलिये जरूरी था क्योंकि अगर सेन्टर से उनका रोल खराब हो गया तो उनकी तनज्जुली हो सकती है, दसियों दिक्कतें हो सकती हैं। उन्होंने बार-बार पंत जी से कहा कि यह बात है। जमुना स्कीम, जिसका १९४८ में पंडित जवाहरलाल ने शिलान्यास किया था वह स्थगित कर दी गयी। कालागढ़ स्कीम खत्म कर दी गयी। यह चीजें उस जमाने में चल सकती थीं। वह सस्ता जमाना था। उस वक्त इन्फ्लक्शन की बात इतनी नहीं थी। हमारे पंत जी की दुनिया भर की समस्यायें भी घेरे रहती थीं। उन्होंने इस बात को कैबिनट में रखा और नतीजा यह हुआ कि जितना फण्ड प्रोग्राम पोस्ट-वार रिकांस्ट्रक्शन का, सड़कों का, पुलों का, आबपाशी का, जमुना स्कीम, कालागढ़ स्कीम का था वह सब खत्म हो गया और जितनी सेंन्ट्रल एड थी वह भी खत्म हो गयी। यानी वहां से शुरुआत होती है इस स्टेट की बकवर्डनेस की। अन्य स्टेट्स ने अपना फण्ड प्रोग्राम बदस्तूर कायम रखा। उन्होंने भी तरीका निकाला। विधान चन्द्र राय ने केन्द्र से दबाव डाल कर निकाला हो, और अन्य लोगों ने कुछ समझा हो या उनकी पार्टी के फेस करने की हिम्मत न हुई हो, लेकिन उनका प्रोग्राम चलता रहा। यहां भी बहुत फजीहत हुई, पार्टी में हुई, असेम्बली में भी हुई, लेकिन पंडित कमलापति जी जैसे लोगों ने समझा बुझा कर रफा कर दिया वरना यहां तो इस्तीफे तक हो गये थे। अन्य स्टेट्स ने साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया ओवरड्राफ्ट किया और यह रुपया या तो राइट-आफहुआ या गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया को वापिस करने के लिये। और इस तरह से यू० पी० अपनी भलमनसाहत से प्रभावित होकर खामोश हो गया। जो भी इसको दिया गया उसने उसको ही मान लिया। यही से शुरुआत होती है।

उस वक्त यहां की परकैपिटा आमदनी २५९.८ रु० थी जब कि हिन्दुस्तान की परकैपिटा आमदनी २४७ रु० थी। आज आपको क्या बताऊं कि क्या हालत है? आज यहां की परकैपिटा आमदनी बहुत गिर गई है। पांचवी प्लान में जाकर समाप्त होते होते हिन्दुस्तान की चौथी प्लान एवरेज की आमदनी के मुकाबले पर आयेगी। इस लिये हमको इस बात पर विचार करना है कि स्टेट और सेन्टर का सम्बन्ध क्या हो। आप वास्तव में फैडरेशन की बात कहते हैं लेकिन केन्द्र की शक्ति आजादी के बाद से बढ़ी है और सूबों की शक्ति कम हो गई है और विशेष रूप से फाइनेंस के मामलों में। फिर अगर पोलिटिकली मिला कर देखें तो यू० पी० के चीफ मिनिस्टर की पोजीशन अजीबोगरीब है। एक तरफ सेन्टर के ऐडमिनिस्ट्रेशन के सामने, प्लानिंग कमीशन के सामने झुकना और प्लानिंग कमीशन और सेन्टर के कायदे कानून से सूबे को निपटना, दूसरी तरफ वह अपनी पार्टी से ऊपर भी नहीं ह। जब तक आशीर्वाद है यहां पर हैं नहीं तो दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया जायगा। यह अच्छी बात है मैं इसको मानता हूं। कि उनको पूरा अधिकार होना चाहिये और अपनी पार्टी के प्लान में और अपने सूबे की हुकूमत को चलाने में। इसके खिलाफ थोड़ा सा काम डा० सम्पूर्णानन्द ने किया था। पंडित जी को याद होगा कि दिल्ली में उन्होंने कह दिया था कि यू० पी० के ऐडमिनिस्ट्रेशन में वह दखल नहीं दे सकते हैं। मगर अब तो बात ही दूसरी है। दिल्ली से पंडित जी को कहा जाय तो उसी को वह मेन्टेन करेंगे और यू० पी० के एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशियेन्ट बनायेंगे। उनको दिल्ली के अनुसार ही यहां पर सब काम ठीक करना होगा और जिस रोज इसको न करें उसी दिन पंडित जी घर पर बैठेंगे। इसलिये यह अजीब पोजीशन है। यह प्लानिंग कमीशन जरूर देश का है मगर कौन से कानून के मातहत आप उसके अन्डर आ गये? एक इमरजेन्सी का पीरियड था। जवाहरलाल जी ने ३७, ३८ में प्लानिंग की बात सोची थी। उन्होंने वह विचार देश को दिया, वह कांग्रेस के सभापति सन् ४९–५० में पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन फेज कार्यक्रम को फाइनेंशल स्ट्रिजेंसी के कारण त्यागना और कुछ समय बाद प्लानिंग कमीशन का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली में वे प्लान बने लेकिन स्टेट के अन्दर पोलिटिकल वायरपुलिंग होती थी। योजनाएं पोलिटिकल वायरपुलिंग के द्वारा स्टेट्स में खिंचती गयीं। यू० पी० के वहां सब लोग उसके खिलाफ होते थे और खिलाफ हैं। मुझे दिल्ली का व्यक्तिगत चुनावों का अनुभव है,

सन् ६३ से ६७ तक हमेशा एन० डी० सी० और प्लानिंग कमीशन में मैं गया और मैंने यू० पी० के साथ हो रही ज्यादती से संसद् के हर सदस्य को अवगत कराया कि प्रदेश की यह गलत है और उसी को सुधारना और उसके लिये प्रयत्न करना आप का कर्त्तव्य है, लेकिन यू० पी० के हित में कुछ होता ही नहीं था। जैसे भैंस एक जानवर होता है उसको कितना ही कोचिये वह टस से मस नहीं होता और उसकी गर्दन ऊपर ही रहती है, इसी तरह हां-हां तो सब करते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था। बहुत बड़ा सूबा है, तमाम उसकी समस्यायें हैं पिछड़े हुये लोग हैं, सब कुछ कहा जाता था लेकिन कुछ नहीं होता था। अगर बहुत हुआ तो प्राइम मिनिस्टर की कांस्टीट्एंसी में कुछ थोड़ा कर धर दिया गया। उसमें तो हमारे डाक्टर सीताराम जी भी एक्सपर्ट होंगे, इतना वह जाकर किसी वक्त करा लायेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि प्लानिंग कमीशन सारी शक्ति को अपने सीमित किये बैठा है। चाहे जिला परिषदों का मामला हो, चाहे फेमिली प्लानिंग का हो, स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो कोई शक्ति आप के पास नहीं है, सब वही करेगा। सब रुपया उसी की मारफत आप को मिलेगा।

कुल एलोकेशन आफ दि स्टेट का २५ प्रतिशत वित्त कमीशन के पास से आता है। वह ५ साल में एक बार बैठता है, कुछ काम करता है और चला जाता है, दूसरा तीसरा और चौथा कमीशन बैठता है, नया कमीशन आता है और वह फिर नये सिरे से पाठ पढ़ता है, वह हर सूबे में घूमता है, थोड़ा बहुत जस्टिस भी करता है लेकिन प्लानिंग कमीशन तो बिलकुल जस्टिस नहीं करता, वहां चीफ मिनिस्टर्स का प्रेशर पालिटिक्स, सेन्टर के प्रेशर और वहां के लोगों के अपने प्रिसुडिसेज चलते हैं और इन चीजों के बिना वहां फैसले लिये जाते हैं। यही कारण है कि सूबे में २५९ रुपया जो प्रति व्यक्ति थी वह आय बहुत नीचे गिर गई है, जबकि देश की प्रति व्यक्ति आय ५४० रुपया हो गई है। हमें इस चीज को भी देखना होगा और आजकल यह सवाल चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट्स और सेन्टर के सामने है।

जहांतक प्लानिंग कमीशन की बात है उससे व्यवहार की बात आप सोच लें कि कैसे हम उसे प्रेस करें। २५ प्रतिशत डिवीजिबिल है इसको भी आप सोच लें। वह क्वासी-जुडीशियल बाडी है। उसके भी बात से फैसले राजनीतिक दबाव के अन्दर और तीन तिकड़मों के अन्दर नहीं होते है। उसका ढंग और तरीका अलग है उससे भी आप देखें कि उसमें हमारा शेयर १० प्रतिशत था, आज वह १६ प्रतिशत के करीब है जो हमें कुल मिलता है। यह सब चीजें हमें देखनी होंगी। मैं कितने ही ऐसे सेन्टर के संबंध में आइटम्स बता सकता हूं। यह जो आपका वर्तमान फेडरेल ऐक्ट है उसका २६९ आर्टिकिल है, उसमें एक लिस्ट ७ आइटम्स की दी हुई है और उन में जो भी वसूली होती है वह वसूली, उसके खर्च को काट कर स्टेट को दे दी जाती है। लेकिन यहां तो पंडित कमलापति जी परेशान हैं कि कहां से रुपया लावें, क्या करें, क्या न करें। उन्होंने स्टेट ड्यूटी और सेल्स टैक्स के अलावा, कोई टैक्स यहां नहीं लगाया है क्योंकि उनके सूबे को ही यह आमदनी देना था। ये सूबे के मालिक हैं। मैं तो समझता हूं कि फेडरेल स्ट्रक्चर आफ गवर्नमेंट यू० पी० की होनी चाहिये। जहां तक एलाटमेंट की बात है, १९३५ के ऐक्ट में जो एलोकेशन था वह आज से कहीं अधिक था। एक तो बहुत से आदमियों के लिहाज के कारण, कांग्रेस की रहनुमाई में देश आजाद हुआ था उसके लिहाज से, इधर से कुछ उधर से कह सुन कर हम सब काम करा लेते थे। लेकिन बाद में बहुत कुछ तब्दीली आयी। खास कर कंकरेंट लिस्ट के अन्दर जो बहुत से मसले स्टेट के पास थे वे आज वर्तमान संविधान में सेंटर के पास हैं। फिर और कई चीजें इसप्रकार की हैं।

जरा देखने की चीज है कि हमारे यू० पी० के अन्दर शुगर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मेरे खयाल से कुल उत्पादन का आधे से कम उत्पादन यू० पी० के अन्दर नहीं होता। उसके ऊपर सेल्स टैक्स, और टैक्सटाइल्स के ऊपर, तम्बाकू के ऊपर टैक्स, इन तीन टैक्सों को उठा कर उन्होंने सेंट्रल एक्साइज के अन्दर कर दिया है और कहते है कि एडहाक बेसिस पर फाइनेंस कमीशन से फैसला करा लीजिये। सन् ६१ में दूसरे फाइनेंस कमीशन में इन्कम-टैक्स ७५ परसेंट बढ़ा था और कारपोरेशन टैक्स २७० प्रतिशत बढ़ा। कारपोरेशन टैक्स की बात

[चौधरी गिरधारी लाल]

ले लीजिये। यह कारपोरेशन टैक्स पहले स्टेट का होता था लेकिन पता नहीं कौन सा पुराना असर है जिसकी वजह से सेन्टर ने इसको भी ले लिया और हम इस पर खामोश हैं। इस तरह से रेलवे पैसेंजर टैक्स है। उससे एक अच्छी आमदनी है और एक एलास्टिक सोर्स है। उससे आबादी बढ़ रही है। ६ करोड़ से बढ़कर ९ करोड़ और आमदरफ्त भी बढ़ गयी है। जाहिर है कि इससे सरकार के टैक्स की जो तादाद है वह आगे बहुत बढ़ जायेगी, लेकिन एडहाक बेसिस पर वह आमदनी भी आहिस्ता-आहिस्ता खतम हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और तमाशा देखिये। आपको भी पता है कि इमर्जेन्सी के मौके पर इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगाया गया था। जब इमर्जेन्सी खतम हो जाती है तो सरचार्ज खतम हो जाता है और अगर है तो वह डिविजुल पुल में आता है और उस पर स्टेट का अधिकार होता है। लेकिन परमानेंट फीचर बनाकर सरचार्ज इनकम टैक्स हर ला कर बांध दिया गया है। ये सब चीजें हैं लेकिन इसका फायदा यू० पी० को नहीं है। इसका फायदा बाहर वाले स्टेटों को है, जिससे मुझे ज्यादा तकलीफ और दर्द है। हमारे सूबे की आमदनी २५८ से गिर कर २३३ पर आ चुकी है। बेकारी और गरीबी का हाल हमारे सूबे में यह है कि यहां पर २८ लाख आदमी बेकार हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट है कि जो रूरल एरिया है, उसके अन्दर ७२ प्रतिशत से ज्यादा आदमी पावर्टी लाइन के अन्दर हैं, जो दिन गुजार रहे हैं और पेट भर खाना नहीं मिलता उधर हम ऊंची-ऊंची बातें करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा इसके लिये रुपये की आवश्यकता है, इसमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव परपज की समस्या है और इसके लिये आर्गेनाइजेशन की समस्या है। आप लोग यहां पर बैठ कर देवरिया, बुन्देलखंड या पहाड़ी इलाके की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इस प्रदेश की इतनी आबादी है, यह सूबा हिन्दुस्तान में इतना बड़ा है कि इसके मुकाबले में और कोई सूबा नहीं है। इंगलैंड से और जापान से दुगना है। आप यहां पर फैडरल स्ट्रक्चर में यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट या ऐसी ही, कुछ चीजें यहां पर बनाइये ताकि वे अपने आप रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकें। वे इवेजनको भी रोकेंगे, आप तो डाइनेमिक हैं, आप क्यों घबराते हैं? घबराने वाले तो गुप्ता जी वगैरह थे जो सोचा करते थे कि ऐसा हो जायेगा, वैसा हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं २-३ बातें और कहना चाहता हूं। बंगाल की समस्या किस प्रकार से हमारे देश में पैदा हुयी और अगर हुयी है, तो क्यों नहीं हम उसको रेकगनिशन देते हैं। मैं मानता हूं कि आज हमें अपने साधनों को देखना है, शक्ति को देखना है और इन्टरनेशनल क्लेम को भी देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सांड की तरह जुट जायं और दुनिया इन दोनों देशों को खत्म हो जाने दें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बंगला देश के लिये आपने उनको क्या सहायता दी? १० लाख रुपया आपने दे दिया। बड़ा भारी आपको दर्द है। लगभग ६०० करोड़ रुपये का हमारा बजट है और इसमें अगर ५० लाख रुपया भी दे दिया जाय तो वह भी बहुत कम है। वहां पर ३-४ करोड़ रुपये का प्रति दिन का खर्च है। आज हमें इस समस्या का हल निकालना होगा, वरना इसके नतायज अच्छे न होंगे। इस सूबे में फेमिली प्लानिंग पर करोड़ों रुपये का खर्च हो रहा है, वह सब बेकार हो जायगा और उल्टी प्लानिंग आपके गले में आ जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सेक्टर बोर्ड फोबिया नहीं है। इसका खास उद्देश्य और लक्ष्य होता है। लोगों को उभारना, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि गुब्बारा है, हवा भर दो और वह आसमान में उड़ जायगा। आज हमारा समाज दुखी है। जो नया आदमी आता है, वह कुछ उम्मीद लगाकर आता है। जहां तक नेशनलाइजेशन का सम्बन्ध है शुगर इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यू० पी० की जितनी बड़ी डिस्सर्विस और हानि कुछ लोगों ने की है शायद ही इतनी किसी ने की हो। मैं राष्ट्रीयकरण के खिलाफ नहीं हूं लेकिन बार-बार उसका नारा, बार-बार उसके ऊपर प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास होते हैं। तो

अन्दर से रेजोलूशन होता है । प्राइम मिनिस्टर फूड मिनिस्टर,डिफैंस मिनिस्टर और यू०पी० के सब पास करते हैं और खाली बीत जाते हैं तब बताइये कि आदमी क्या करें । उस वक्त वह सोचेगा कि जितना माल है, निकालो और खत्म करो । पैसा भी निकालो, सामान भी निकालो । यह बात मेरा ख्याल है सन् ६८ की है जब कि यह स्लोगन दिया गया था । शायद ६९ की बात हो । उस वक्त का यह स्लोगन है । उस वक्त और उसके बाद कमेटी और वह कमेटी बैठायी गयी । अध्यक्ष महोदय, क्या लोगों को समय नहीं मिला इसकी बिल्कुल सफाई करने का ? आज वह फैक्टरी खत्म हो चुकी है, उसका काम्पेंसेशन आपको पूरा देना होगा और आप दे रहे हैं अगर आप लेना चाहते हैं परन्तु आपने ली नहीं है अभी तक । अध्यक्ष महोदय, नैशनेलाइजेशन एक स्लोगन की चीज नहीं है एक पालिटिक्स की चीज नहीं है । यह हिन्दुस्तान जैसे डैवेलेपिंग कंट्री के अन्दर जो भूखों से मर रहे हों, जिसके अन्दर हर प्रकार की तकलीफ दुख और मुसीबतें अपना पूरा रूप दिखला रही हों, वहां पर हम इन चीजों के साथ एक राजनैतिक खेल खेलें, इसके लिये हमें इतिहास इन चीजों को नहीं माफ कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि पब्लिक सैक्टर के कुछ खास उद्देश्य हैं या तो वह रेवेन्यू सेविंग हो । हमारे पास रेवेन्यू की कमी हो रही है, रेवेन्यू दें । या स्ट्रेटेजिक प्वाइंट आफ व्यू से हमारे लिये विशेष उपयुक्तता रखते हों या उसकी मोनोपोली हमारे समाज के हित में हो और साथ ही और कुछ विशेषतायें इसी प्रकार के सामाजिक हित की हों तो इसका यह पहलू हो सकता था । लेकिन महज इसलिये कि कुछ लोग खुश हो जायं, तो हानि उठाने के लिये नैशनेलाइजेशन नहीं होता । मैं अगर नैशनेलाइजेशन करता हूं तो मुझे अपने घर से क्या देना है यह पहले सोचना पड़ेगा । नैशनलाइजेशन करने से भार तो इन्डायरेक्टली हर सिटीजन के ऊपर आकर पड़ता है आज कितना घाटा हो रहा है, महंगाई इन्फलेशन, डैफिसिट फाइनेंसिंग आदि से इन सब का भार इसी देश के ऊपर है तो यह जो नेशनेलाइजेशन आपने ठीक समझा है ठीक है, बहुत अच्छा है लेकिन कीजिये तो सही । आप जिस दिन आये थे तब से राष्ट्रीयकरण बैंकों का हुआ है । मैंने माना, चाहे वह जिन परिस्थितियों में हुआ हो लेकिन वह एकदम कर दिया गया । किसी को इस बात का मौका नहीं मिला कि उसके असैट्स गायब कर दें, उसकी लाएबिलिटीज बढ़ा दें, उसके अन्दर यह कर दें, या वह कर दें । लेकिन उन मिलों को जिन्होंने अपने तमाम सामान को निकाल कर बाहर कर दिया और उसके ऊपर जंग लगा हुआ सामान, चाहे वह व्वायलर हो, चाहे कोई चीज हो और जिसके ऊपर दुनिया भर का कर्जा, किसानों का रुपया, पर्चेज टैक्स का रुपया उनको अध्यक्ष महोदय,आप उन सेठों को रिलीफ देने के लिये इस अधिकार की बात करते हैं, नेशनेलाइजेशन की बात नहीं करते हैं । यह तो टेक-ओवर की बात मि० चरणसिंह ने भी की थी । आपने हमारे गेंदा सिंह जी को इसीलिये दिल्ली भेज दिया । उनके रहते यहां पोजीशन एम्बरेसिंग होती तो अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि आप उसका पुनरुद्धार करेंगे, यह भी ठीक है कि आप उसको नेशनेलाइज करेंगे । लेकिन एक इकानामिक यूनिट है, इसमें इनपुट आपका है उससे अगर रिटर्न कम है तो यह आपकी जेब से नहीं बल्कि टैक्सपेयर की जेब से जाता है । और हिन्दुस्तान का धर्म कहता है कि ऐसा काम जानबूझकर करना हमारे लिये लानत की बात है । तो राष्ट्रीयकरण एक होक्स है । क्यों नहीं सूबे की हर फैक्टरी का राष्ट्रीयकरण कर देते ! बम्बई के अन्दर यही प्रस्ताव उस वक्त पास हुआ था । कोई नातजुर्बेकार लोग वहां नहीं थे, बहुत अनुभवशील लोग थे और बहुत सोच-समझ कर तय हुआ था । लेकिन जब उसको करने की बात आयी तो जैसे पहलवान लंगोट लगाकर कहता है कि धनुष बजाय उठाने के फांद जाऊं, उसी तरह से कभी दिल्ली जाते हैं, कभी यहां आते हैं, कभी कुछ करते हैं । शुगर फैक्टरी वाले अलग अपनी कारीगरी कर रहे हैं । मैं फिर कहता हूं कि अगर इंडस्ट्रियल यूनिटस को यूरोक्रेटाइजेशन से फ्री नहीं किया तो आपकी स्टेट की अमन और शांति खतरे में रहेगी । अगर आप नेशननेलाइजेशन करते हैं तो ब्यूरोक्रसी से इसको निकालिये । इसके सारे संगठन का रशनेलाइजेशन कीजिये ।

[चौधरी गिरधारी लाल]

जो हमारे सूबे का गरीब आदमी है या नौकरी पेशे का गरीब आदमी है उसका मारेल गया है । आज ठीक आठ सौ या हजार पाने वाले पर भी जो तमाम भार है, डेफीसिट फाइनेंसिंग का भार है, १९ हजार करोड़ का केंद्र के कर्जे और हजारों करोड़ रुपये की मुद्रास्फीति के कारण भार है । और तमाम टैक्सेज का भार है उसकी भी शक्ति नहीं है कि वह बरदाश्त कर सकें ।

आप पब्लिक सैक्टर पर फिर एक बार विचार कीजिये । इसके पूरे आर्गेनाइजेशन को रिआर्गेनाइज कर के नैशनेलाइज कीजिये । आपको फायनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार से अपने संबंधों को सफाई और मजबूती से कायम करना होगा । जब तक यह चीज कायम नहीं होगी, यू० पी० की हैसियत बन नहीं सकती । हमारे चीफ मिनिस्टर साहब स्वयं अपनी हैसियत को कायम नहीं रख सकते । एक समय ऐसा होता है जब लार्जर इंटरेस्ट के अन्दर आदमी अपने मन को दबा सकता है, लेकिन उसको अपनी बुद्धि को कायम रखना चाहिये और अपने वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति करनी चाहिये । तो सूबे को बाहर निकाल कर लाने का यह है चैलेंज आज उनके सामने है । जो तमाम टैक्सेज हैं उनको भी वसूल करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन का और आपका काफी समय लिया । यदि कोई व्यक्तिगत बात हो गयी हो तो उसके लिये मुझे क्षमा करेंगे, हालांकि मैंने कोशिश तो यही की कि ऐसी कोई बात न हो । एक बात में जरूर साफ तौर पर कहना चाहता हूं । सूबा इस वक्त एक बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है यह तो हमारा बहुत ही शांतिप्रिय सूबा है और बहुत दूर तक की चीजों को सहन कर जाता है, आज इस सरकार में लोगों को अपनी जान माल का भरोसा नहीं रहा है । और सरकारी आदमियों पर से विश्वास जाता रहा है । ऐसी हालत में आपका जो करोड़ों रुपयों का घाटा है इसके लिये आपने कुछ सेंटर से लोन जरूर मांगा है लेकिन पूरे घाटे को किस शक्ल में पूरा करना चाहते हैं ? जनता के ऊपर, गरीब काश्तकार के ऊपर और यहां के कर्मचारियों के ऊपर आप इस घाटे की पूर्ति करने की कोशिश न करें । इतना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । मैंने आप सभी का बहुत अधिक समय लिया धन्यवाद ।

जलपान गृह में सदस्यों को चाय तथा खाना मिलने में असुविधा एवं बरामदों में भीड़ होने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आने जाने के लिये बाहर बरामदे में बहुत अधिक भीड़ रहती है और हम लोगों को बहुत अधिक परेशानी होती है । आप विधान सभा के इस फाटक को खुलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह फाटक आपकी सुविधा के लिये ही बन्द किया गया है और उसको खुलवा कर आप पुनः असुविधा की मांग कर रहे हैं । इस चीज को देख लिया जायगा ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो जलपान गृह है उसमें बहुत अधिक भीड़ हो जाती है । यहां पर विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है । एक आध प्याली चाय के लिये वहां जाने पर घंटों वह नहीं मिल पाती है । मैं एक प्याली चाय के लिये वहां पर गया । बाहर की ही मेज पर बैठा कि चाय जल्दी मिल जाय परन्तु मुझको एक घंटा लग गया । अभी हाल ही में मंत्री जी की तरफ से और सचिव महोदय की तरफ से यह कहा गया कि १ और ढाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बजे के बीच में कोई भी नान आफिशियल मेम्बर वहां पर उस जलपान गृह में नहीं जायेगा । यह भी कहा गया था कि वहां पर २,४ कौंसिल हाउस गार्ड उस समय के बीच में तैनात कर दिये जायेंगे । ऐसा होने से वहां पर झगड़ा हो जाने का अंदेशा है । फिल हाल दो महीने तक जब तक कि यह विधान सभा का सत्र चल रहा है उस समय तक इसकी व्यवस्था करवा देने की कृपा करें । मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि लाबी का आधा हिस्सा इस कार्य के लिये कर दें तो इससे बहुत अधिक सुविधा हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विचार किया जायेगा । इस पर क्या-क्या विचार किया जाय इस चीज को आप लोग कृपया बतायें कि क्या क्या कष्ट हैं उन पर आप ध्यान दिलायें । मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं सदन की जानकारी के लिये कि आवास मंत्रणा समिति ने एक नहीं अनेक बार इस प्रश्न पर विचार किया है और उस पर ध्यान आकृष्ट करने का यत्न किया है । आप लोगों को जो कष्ट है जैसे आवास संबंधी, वाचनालय के संबंध में या अन्य इसी तरह के तथा उसका प्रबन्ध किस के हाथ में हों ये सभी मामले विचाराधीन हैं ।

अब इस पर उस समिति में ब्योरे से बात होगी । एक और निवेदन मैं करूंगा । अब जो समितियां होंगी उनका प्रतिवेदन भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । ऐसा हो सकता है कि हमने कोई फैसला लिया परन्तु उस पर समुचित जांच न हुई हो । तो सभी प्रतिवेदन आपके समक्ष रक्खे जायेंगे । अभी तक प्रकाशन की कठिनाई होती है । हमारा कोई प्रेस नहीं है । अभी साइकिलोस्टायल किया जाता है इसलिये मुद्रित प्रतियां नहीं मिल सकती हैं । वह क्षमता पर निभर करता है, तो इन सारी बातों पर आप बात कर सकेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली जल नहीं रही है, इसलिये काम करने में दिक्कत हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सारी कठिनाइयां हैं । एयर कंडीशनिंग का भी मसला है । यहां की आवाज त्रुटिपूर्ण है, अगर लाउडस्पीकर अच्छे भी लगा दिये जायं तो भी आवाज ठीक नहीं होगी ।

श्री मोहनलाल कपूर--

इस समय तो मैं रोशनी के लिये कह रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष--

रोशनी भी उसी में आती है । जैसा कि मैंने अभी कहा, नेताओं को बुलाकर कोई रास्ता निकालेंगे । अभी इतनी रोशनी से काम चल सकता है । मुझे मार्शल ने अभी बतलाया है कि बिजलीघर काम नहीं कर रहा है । कोई खराबी हो तो हम क्या करें ? मैं चाहता हूं कि विधान सभा के प्रत्येक सदस्य की तेजस्विता ऐसी हो कि जब वह अपनी वाणी से किसी ओर सरकार का ध्यान दिलावे तो सरकारी मशीनरी तन कर खड़ी हो जाय, जैसे कि बदन में सुई चुभाने से सारा बदन कंपित हो जाता है । यह आदर्श सिद्धांत है ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

आपने अभी कठिनाई की बात कही । मैं श्री रियासत हुसैन से अपने विचारों को सम्बद्ध करते हुये यह कहना चाहता हूं कि भूखे भजन नहीं हो सकता है । आप मुझ श्री मैनेजर सिंह और श्री निर्भय नारायण सिंह को आपके सेक्रेटरी, लेजिस्लेचर के प्रयास के बाद भी खाना नहीं मिल सका और भूखा रहना पड़ा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने इस प्रश्न को महत्ता को समाप्त कर दिया । अभी तक तो मैं समझता था कि श्री रियासत हुसेन सारे सदन की ओर से बोल रहे थे । अब सवाल आता है कि सदन के दूसरे मेम्बरों की क्या राय है ।

श्री रघुनाथ सिंह--

खाना नहीं मिल सका, इसलिये मैंने यह कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सरकारी प्रवक्ता हैं । वह स्वयं इसका इन्तजाम ले लें और इसको करें ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

यह सरकार ऐसा नहीं कर सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि विरोध की तरफ से कोई बात हो तो मिलीजुली बात कहे लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है, इसलिये सरकार को अविलम्ब इसका प्रबन्ध करना चाहिये ।

१९७१-७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

(श्री मुंशीलाल चमार के बुलाये जाने पर)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे अदबपूर्वक कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता ने जो भाषण दिया है उसका उत्तर सरकार की ओर से किसी मंत्री के द्वारा जिसके ऊपर हमारा और प्रदेश की जनता का विश्वास हो जाना चाहिये । ऐसे लोग जो आये दिन इधर उधर मंत्रि पद के लिए चले जाते हैं वे विरोधी दल के नेता की बातों का सही उत्तर देंगे और वही सरकार की नीति होगी यह हमारे लिए मानना बड़ा कठिन है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं । मैंने मुंशी लाल चमार को समय दिया है ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

इस सदन का समय ५ बजे तक है और कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक घंटे पूर्व लिया जाना था । अब ४ बजकर ५ मिनट हो गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको पांच मिनट दिये थे । आप क्या चाहते हैं उनका भाषण कल भी हो ?

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि विरोधी दल के नेता के भाषण का उत्तर मुख्य मंत्री जी दें । हम इन्हें सुनने को तैयार नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह सही है कि आपको न सुनने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनको बोलने का पूरा अधिकार है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

उन्हें बोलने का अधिकार है, यह मैं मानता हूं । लेकिन मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि विरोधी दल के नेता प्रदेश की जनता की भलाई के लिये जो बातें कही हैं और साढे ३ घंटे वह बोले हैं उनका जवाब मुख्य मंत्री जी दें जो कि शासन की नीति को समझते हैं । ऐसे लोगों के द्वारा जो आये दिन मंत्री पद के लिये इधर उधर जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

आपके विरोध को मैं अस्वीकार करता हूं । मैं आपको समय नहीं देता । आप कृपा कर अपना आसन ग्रहण करें । इस तरह से अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं फिर चेतावनी देता हूं कि अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा ।

(शोर तथा मेजों की थपथपाहट)

श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)--

मैं आपके माध्यम से.... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

(अत्यन्त शोर के बीच) मैं सदन को अब १० मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजकर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें । लोकतंत्र का पहला सिद्धांत यह है कि हर एक को बोलने का मौलिक अधिकार है। (व्यवधान) मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह से नहीं चलेगा। आप कृपा करके शांत रहें । अगर आप की जैसी सदन की राय होगी तो मैं विचार करूंगा, अगर कुछ लोग चाहेंगे कि सदन की कार्यवाही न चले तो नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि यह बहस छिड़े कि लोकतंत्र के समर्थक तत्व कौन है और कौन नहीं है। आज थोड़ा वक्त था, पांच सात मिनट, मैंने सोचा श्री मुंशीलाल चमार को दिया जाय। उसके बाद कल आप को सुबह से लेकर इस पर बहस का मौका मिलेगा। चार दिन बहस चलेगी। मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा । हाउस आफ कामंस में एक मर्तबा स्पीकर ने एक सदस्य को बोलने के लिये कह दिया । उसके बाद उस मेम्बर को बोलने नहीं दिया दूसरे को अनुमति दी । यह अविश्वास के प्रस्ताव का कारण बना । यह कोई हंसी खेल का मामला नहीं है । यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, या तो वह सदस्य बोलें या मैं यहां से हटूं । दूसरा कोई रास्ता नहीं है । मैंने कह दिया है, उनको बोलने का हक हो गया है । आपको सुनना होगा चाहे उससे सहमत हों या असहमत हों । कुछ लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो बाहर जा सकते हैं । बाहर जाने की लोकतांत्रिक पद्धति है जो आप अपनाते हैं । जब अध्यक्ष के विरुद्ध बाहर चले जाते हैं तो अगर किसी सदस्य को सुनना नहीं चाहते हैं तो बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं । लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा । सदन की गरिमा और गौरव को बढाने का हमारा दायित्व है । माननीय मुन्शीलाल चमार ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं मजबूर हूं । उनको मैं बुला चुका हूं । उनको एक दो मिनट सुन लीजिये ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा बहुत गम्भीरतापूर्वक आपसे निवेदन यह है कि सदन की गरिमा को बढ़ाना हर सदस्य का कर्त्तव्य है । श्रीमन्, उसके रक्षक हैं, सब की ओर से । श्रीमन् ने कहा कि सुनना पड़ेगा, श्रीमन् ने यह भी कहा कि जो न सुनना चाहें वे चले जायें । क्या यह उचित है··· (व्यवधान) इस तरह से दबाव की भाषा में कहते हैं (व्यवधान) इस तरह के दबाव में कोई काम... (व्यवधान) सदन की गरिमा के अनुकूल है ? (व्यवधान) सदन की गरिमा के प्रतिकूल है । हम लोगों का केवल इतना निवेदन है, आप जिसको चाहें इजाजत दें, मगर श्री गणेश किसी दलबदलू से न करवायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे नहीं मालूम कौन दलबदलू है । आप अगर यह कहेंगे और कानून बना देंगे कि विधान सभा में दल बदलुओं को बोलने नहीं देंगे तो यह सवाल मेरे सामने नहीं है । सवाल तो मेरे सामने यह है कि मैंने उनको बोलने के लिये बुलाया है, वे बोलेंगे... (घोर व्यवधान) हर सदस्य को बोलने का मौलिक अधिकार है । यदि कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हों और उनको बोलने का समय दिया गया हो तो कोई माननीय सदस्य उनको नहीं रोक सकते हैं । आप सभी माननीय सदस्यों को उनकी बात को सुनना चाहिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो रूलिंग दी है वह अपने स्थान पर सही है । सरकारी दल को यह अधिकार है कि वे किसी को भी खड़ा कर सकेंगे किन्तु जब नेता विरोधी दल ने अपना भाषण दिया तो एक शिष्टाचार के नाते.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कहता हूं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा । आप कृपया बैठ जायं । मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं । एकबार जब मैंने निर्णय ले लिया तो आप फिर उसी को दुहराना चाहते हैं । मैंने श्री मुंशीलाल चमार को बोलने के लिये कहा है । उनको मौलिक अधिकार है बोलने का । आप ऐसा रास्ता अख्तियार न करें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे पहले बोलने की इजाजत दी है और अब आप कहते हैं कि मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप किसी के बोलने में रुकावट डालना चाहते हैं तो मैं भी आपके बोलने में रुकावट डाल सकता हूं (व्यवधान) मैंने निर्णय इस पर ले लिया है.....

(घोर व्यवधान)

(मेंजे थपथपाई गईं)

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि जब आपने पहले श्री दुबे जी को बोलने की इजाजत दे दी और अब आप कहते हैं कि मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं । तो. . . . (व्यवधान)

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष महोदय, इस शोरगुल में प्रोसीडिंग्स कैसे चल पायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इससे कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान जारी रहा)

*श्री मुंशीलाल चमार—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जब अपना भाषण दिया तो उससे ऐसा लगता है "परोपकार कुशल बहुतेरे" आज नेता विरोधी दल ने अपनी लम्बी-चौड़ी स्पीच में जो कुछ कहा है उसके संबंध में मुझे २-४ बातें कहनी हैं । (व्यवधान के बीच) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो सवाल उठाया जा रहा है, उसका उत्तर देना चाहता हूं । मैं संविद सरकार में १३ दिन तक स्टेट मिनिस्टर रहा हूं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भाई आज सवाल उठा रहे हैं वे टाटा-बिरला-डालमियां के गुरगे हैं । यह जनसंघी टाटा-बिरेला-डालमियां के गुरगे हैं । हमारे जिले के संविद सरकार में ३ मंत्री थे । मेरा टी० ए० जब कि ४८१.०७ रुपया था, मेरे दूसरे दो साथियों का क्रमशः ५ हजार और दस हजार था । क्या इस प्रकार से ये लोग समाजवाद लायेंगे ?

अब मैं उस बात पर आता हूं जो माननीय नेता विरोधी दल ने कही । जिस समय छितौनी बांध बनाया गया था, उस समय माननीय नेता विरोधी दल ही सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, जिस पर आज की सरकार को लाखों रुपया खर्च करना पड़ रहा है । (व्यवधान) आज अगर उनके मकानों को देखा जाय तो तमाम पी० डब्ल्यू० डी० की ईटें ही लगी होंगी, मैंने जबकि अपने दरवाजे पर पुलिस भी नहीं लगवायी थी । उन लोगों ने अपने आराम के लिये बड़े-बड़े बंगले लिये और इस तरह से अपना कल्याण सदा करते रहे । मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि वे १४ वर्ष सरकार में रहें और मंत्री रहे, अगर उन्होंने हरिजनों के लिये १८ फीसदी वाली बात ही अपने विभाग में भी की होती तो हरिजनों में आज इतनी बेकारी न होती ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपा करके समाप्त करें ।

नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय कल्पनाथ सिंह जी की मेरे पास आयी है वह है चीनी मिलों पर किसानों के बकाया का भुगतान अतिवृष्टि और बाढ़ के समय में भी नहीं हुआ है। इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हो सकता है। अतः इसको इसमें स्वीकार नहीं किया जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

यह हालत किसी एक फैक्टरी की होती तब तो दूसरी बात है, वह तो सारे प्रदेश में ऐसी ही हालत है। मेहरबानी करके इसके विषय में ढाई घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा मांग लीजिये मैं दे दूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपका आदेश ही काफी है, मैं ऐसा लिख दूंगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

दूसरा माननीय चेतराम गंगवार और माननीय भानु प्रताप सिंह का है बरेली जिले के एच० आर० शुगर फैक्टरी द्वारा जुलाई मास १९६९-७० सीजन में बिना भाव गन्ने के मूल्य का भुगतान। आप एक मिल के बारे में चाहते हैं और वह सारे सूबे का चाहते। तो यह उसी में आ जाता है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मेरा भिन्न है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष--

भिन्न है, लेकिन अस्वीकृत है।

माननीय नित्यानन्द स्वामी का है प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने संबंधी आन्दोलन तथा हड़ताल। यह भी स्वीकार नहीं किया गया है। इस पर आप प्रश्न कर लीजिये, अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

एक माननीय मोहनलाल कपूर तथा माननीय वासुदेव सिंह वैद्य ने दिया है उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान विधेयक, १९७१ को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संबंध में। इसमें आप उसी में बहस कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं आता है तो अल्पसूचित में स्वीकार कर लूंगा।

एक है माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा माननीय कृष्णानन्द राय का सवा ६ एकड़ भूमि के माफ किये गये लगान को कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा वसूल किये जाने के संबंध में इस पर कई भाषण हुये हैं। यह विषय दफा ५१ में लिया जायगा।

माननीय कल्पनाथ सिंह, माननीय बंशीधर पांडेय, माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा माननीय राम बिलास पांडेय ने कानपुर इलगिन मिल नं० २ एवं टैक्स टाइल मिल के मजदूरों के बोनस और तालाबन्दी के संबंध में दिया है। इस पर भी अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस पर केवल वक्तव्य करवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

जो चर्चा का विषय आप कहेंगे उस पर विचार बाद में कर लेंगे।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)--

मेरा भी एक इसी से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष--

हां, माननीय मनोहरलाल का है कानपुर टैक्सटाइल तथा इलगिन मिल में तालाबन्दी की घोषणा के संबंध में । इस पर अगर आप अल्पसूचित प्रश्न करेंगे तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा । लेकिन अगर आप चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं तो स्पीकर साहब को लिख दीजिये । हमारे समक्ष आयेगा तो हम देख लेंगे और माननीय अध्यक्ष के समक्ष आयेगा तो वह देख लेंगे ।

माननीय शिव कैलाश ने दिया है बुढ़वल (बाराबंकी) चीनी मिल पर किसानों का बकाया धन तथा भूख हड़ताल के संबंध में । यह भी हम उसी में जोड़ देंगे । कोई आपत्ति तो नहीं है । (कोई उत्तर नहीं) शिव कैलाश जी का नाम भी उसमें जोड़ दिया जायगा ।

माननीय रामधारी शास्त्री ने जिला नैनीताल की मंडियों में सरकार द्वारा गेहूं की खरीद बन्द कर देने से गेहूं का मूल्य घट जाने के संबंध में दिया है । इस पर प्रश्न कर लीजियेगा । यह अस्वीकृत है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

इस पर वक्तव्य क्यों न दिलवा दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष--

हमारे सामने यह फैसला है अध्यक्ष का लेकिन उनको फिर चर्चा के विषय के लिये दे दीजिये ।

श्री रामधारी शास्त्री -

ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--

एक श्री कृष्णकांत, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री हिम्मत सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री पन्नालाल गुप्ता आदि का है । इसमें वह कहते हैं कि थाना लेलौली जिला फतेहपुर के थानाध्यक्ष द्वारा २३-९-१९७१ को नया पुरवा आदि गांवों में लोगों का पीटा जाना है । यह २१ के लिये नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ ।

श्री कृष्णकांत अवस्थी का एक है जिसमें सीतापुर जिले में शारदा नदी में १३ जून, १९७१ को नाव का डूब जाना है । यह स्वीकार नहीं किया गया है ।

इसी तरह एक चौ० रामपाल सिंह यादव, श्री रामधारी शास्त्री, श्री शिव कैलाश जी का है । वह कहते हैं कि अन्जूमन अनहार के शिष्ट मंडल को सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई है । यह भी स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

उनको जो मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस पर प्रश्न कर लें ।

एक श्री चन्द्रभान शर्मा का है जो पंचायत मंत्रियों के साथ जेल में दुर्व्यवहार के संबंध में है ।

इसी तरह से एक श्री रामपति, श्री सुखपाल पांडेय का है जिसमें वह कहते हैं कि २३-६-७१ को जीप से एक दुर्घटना हो गई जिसमें ८ वर्ष की लड़की दब गई और वह अस्पताल में

[श्री उपाध्यक्ष]

जाकर मर गई । उसमें मजिस्ट्रेट घटना स्थल पर पहुंचे। मजिस्ट्रेट से लोगों की कुछ कहा सुनी हो गई । इसके बाद पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे । तो वह जो दुर्घटना है उसको स्वीकार किया गया है । यह नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार हुआ है । इसकी तारीख बाद में बतला दी जायगी ।

श्री चेतराम गंगवार--

श्रीमन्,यहजो नियम ५८ है इसके (१) नियम को आप देखें। उसमें यह लिखा हुआ है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी । आपने आज सुबह अल्प सूचित ता ंकित प्रश्न नम्बर ३ पर रियासत हुसेन साहब का स्वीकार किया है और उस पर आज चर्चा हुई है । वह आपने ६। एकड़ के बारे में चर्चा कराई है । तो उस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय पर आप समीक्षा का अधिकार चाहते हैं । मैं यह आज्ञा आपको नहीं दे सकता ।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही सत्र में उस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं । आप कल्पना के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं । जब वह प्रश्न सामने आये तब आप प्रश्न उठायें ।

स्वायत्त शासन कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

(वक्तव्य के लिये स्वायत्त शासन मंत्री को पुकारने पर)

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

मुझे यह कहना है श्रीमन्, कि हमें वक्तव्य की प्रतियां नहीं मिली हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो मुझे भी नहीं मिली हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

वह हमें मिलना चाहिये, हमेशा मिला करता था.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने भी आप को मजबूरी बता दी, वह मेरे पास भी नहीं हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय--

सारे नियमों की अवहेलना इस तरह से आप न होने दें और अपनी हेल्पलेसनेस न व्यक्त करें । आप उन से कहें तो ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन के पास होता तो वह भेज देते, उचित तो यही था कि वह भेजते ।

श्री कृष्णानन्द राय--

वह नहीं भेजते तो क्या होगा, कुछ तो होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो करना चाहें वह करें, उन के पास वह इस समय तैयार नहीं हैं । वे आप के पास बाद में भेज देंगे ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

उपाध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकायों के कर्मचारीगण अपनी सेवा की दशाओं के सुधार के लिए राज्य सरकार से समय-समय पर मांगें करते रहे हैं । स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मुख्य मांगों में से वेतन आयोग की स्थापना और उस में उन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना, आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने तक ५० रुपये मासिक अन्तरिम सहायता दिया जाना, राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन क्रम तथा महंगाई-भत्ता, पेंशन, चिकित्सा आदि की सुविधायें दिया जाना आदि हैं । इन मुख्य मांग पर शासन द्वारा सक्रिय विचार किया गया है।

राजकीय तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों आदि के वेतन भत्ता आदि के मामलों पर विचार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा श्री सैयद अलीजहीर की अध्यक्षता में एक वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है जिस में विधायक, उच्च अधिकारी, विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदि सदस्य रखे गये हैं । यह आयोग स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के समस्त विषयों के वर्तमान ढांचे पर विचार करके और अन्य बातों के साथ साथ स्थानीय निकायों की आर्थिक दशा तथा मूल्यों के वर्तमान स्तर को देखते हुए अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये एक न्यूनतम निर्वाह वेतन आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेगा ।

जहां तक इस आयोग में स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के प्रतिनितित्व का प्रश्न है इस मांग का कोई विशेष औचित्य नह प्रतीत होता है क्योंकि इस आयोग में राज्य कर्मचारियों का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा आयोग द्वारा कर्मचारियों या उन की संस्थाओं को सुनने का पूरा अवसर दिया जायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को शासकीय आदेश संख्या १५५८-टी/९-क-८९ जो, ६७ दिनांक २८ मई, १९७१ द्वारा १ अप्रैल, १९७१ से ८ रुपये प्रतिमाह अन्तरिम सहायता दिये जाने की स्वीकृति दी है । इस अन्तरिम सहायता को स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाना है । ऐसी परिस्थिति में जब ५० रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने की जो मांग की गई है उस पर कोई कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं होगा । आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर ही शासन द्वारा इस प्रश्न पर विचार करना संभव होगा । यहां यह उलेखनीय है कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में अपना अंशदान भी देती और इसके लिए प्रति वर्ष २ करोड़ रुपये का प्राविधान राज्य के बजट में रखा जाता है।

स्थानीय निकाय के कर्मचारी संघ की मांगें जो वेतन इत्यादि से संबंधित हैं, उन पर कदाचित वेतन आयोग स्वयं विचार करेगा । अन्य मांगों पर शासन द्वार विचार किया जा रहा है । ऐसी परिस्थिति में जो आन्दोलन कर्मचारी संघ द्वारा किया जा रहा है, वह अशोभनीय है । संघ को वेतन आयोग के समक्ष वेतन इत्यादि से संबंधित मांगों को रखना चाहिये

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

और आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिये और आन्दोलन इत्यादि स्थगित कर देना चाहिये जिससे काम सुचारु रूप से चलता रहे और शांति और सुरक्षा भंग न हो ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब आप ने एक वेतन आयोग नियुक्त कर दिया है और सरकारी कर्मचारियों की तरह उन के मामले पर भी विचार होगा और सिद्धांत : मान लिया है कि जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि संशोधित होंगे उसी तरह से इन कर्मचारियों के भी किये जायेंगे । तो यह ८ रुपये की जो अन्तरिम सहायता दी गई थी उस का भार कारपोरेशन पर और महापालिका पर क्यों छोड़ दिया है, सरकार क्यों वह नहीं दे रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, वेतन आयोग का गठन हो जाने के बाद ये समस्त विषय उसके विचाराधीन रहेंगे और जैसा उसका निर्णय होगा उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहनलाल कपूर---

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे अनेक बोर्ड्स हैं जो अपने पास से यह अन्तरिम भत्ता नहीं दे रहे हैं । वह इसलिये नही दे रहे हैं कि उनके ऊपर यह खर्चा डाल दिया गया है जब कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को अपने पास से भत्ता दिया है । तो स्वायत्त शासन कर्मचारियों को भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की तरह से भत्ता क्यों नहीं दे रही है जो कि मेरी समझ से उसको देना चाहिये ? इस पर हमारे मंत्री जी प्रकाश डालें ।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जो स्थानीय निकायें इस प्रकार के भत्ते को नहीं दे रही हैं, यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई सूचना मुझे देंगे तो मैं उनको लिखूंगा कि वे इस भत्ते को दें जिसके बारे में यहां से शासनादेश निकाला जा चुका है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि यदि पे कमीशन यह सिफारिश कर कि इन लोकल बाडीज कर्मचारियों को स्टेट कर्मचारियों के बराबर ही पैरिटी दी जाय तो वे वहां पर उस सिफारिश को लागू करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

अभी तक ऐसी परम्परा रही है कि जो इस प्रकार के आयोग बने हैं उनकी संस्तुतियों पर शासन ने सहानुभति के साथ विचार किया और उसी के आधार पर निर्णय लिया है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने एक बड़ी गलत बात कही है । मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि उन्होंने जो सदन को बतलाया कि कारपोरेशन और म्युनिसिपल बोर्ड नहीं दे रहे हैं जो कि उनको देना चाहिये इस सम्बन्ध में २८ मई का शासन का जो आदेश है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि ८ रुपये अन्तरिम भत्ते के दायित्व को उत्तर प्रदेश सरकार ग्रहण करेगी या नहीं करेगी इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश बाद में दिये जायेंगे । अभी सरकार उसके लिये जिम्मेदार नहीं है । एक तरफ तो सारे प्रदेश के कारपोरेशन और म्युनिसिपल बोर्ड के तमाम दायित्व को सरकार ले रही है और आज

जब कि स्वायत्त शासन कर्मचारी ८ रुपये भत्ते के लिये अनशन कर रहे हैं तो उसके लिय आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिये आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे ८ रुपया रिलीज करने की घोषणा आज ही कर दें ताकि इस मसले का समाधान हो जाय और जो विस्फोटक स्थिति है वह समाप्त हो जाय।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

शासन का आदेश है कि स्थानीय निकायें ८ रुपये का अन्तरिम भत्ता दें और जिन स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है यदि वे शासकीय अंशदान के लिये मांग करेंगी तो शासन उनको देगा। जहां तक मेरी जानकारी है कि कई स्थानीय निकायें पहले ही से अन्तरिम भत्ता दे रही हैं।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि ८ रुपये की अन्तरिम सहायता जो सरकारी कर्मचारियों को दी जायेगी उसका खर्चा प्रदेशीय सरकार वहन करेगी? क्योंकि बहुत-सी स्थानीय निकायें ऐसी हैं जो अध्यापकों को ८ रुपये का अन्तरिम भत्ता नहीं दे रही हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

८ रुपया भत्ता देने का आदेश सभी स्थानीय निकायों पर लागू होता है। जहां तक सरकार को इस खर्च के वहन करने का प्रश्न है वेतन आयोग की जैसी संस्तुति होगी उसके आधार पर कार्य किया जायेगा।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ८ रुपये अन्तरिम भत्ता देने के खर्चे को वहन करने की घोषणा करेगी क्योंकि अधिकांश बोर्ड यह भत्ता नहीं देते हैं? क्योंकि आपने उनकी इच्छा पर छोड़ दिया है कि जो बोर्ड चाहे दें?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जो स्थानीय निकायें या बोर्ड्स नहीं देते हैं, अगर वे शासन से सहायता के लिये कहेंगे अथवा शासकीय अंशदान अनुदान के लिये प्रार्थना करेंगे तो शासन उस पर सहानुभूति के साथ विचार करेगा।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि सरकार द्वारा इन लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा, यदि उनको आश्वासन दिया गया तो क्या माननीय मंत्री जी उनको अन्तरिम सहायता देने की ओर भी ध्यान देंगे?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जो प्रतिनिधि मुझ से मिले थे, उन्होंने विशेषरूप से वेतन आयोग के गठन और उसम चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की मांगों को भी शामिल कराने के लिये कहा था। वेतन आयोग के गठन के बाद उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में शामिल कर दिया गया है और इन सब बातों पर वेतन आयोग विचार करेगा, जो वे चाहते हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

आपने अपने बचाव के लिये वेतन आयोग का गठन कर दिया है लेकिन जो कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं हो सकता है कोई दुर्घटना न हो जाय, उनको आश्वासन दे दें कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार हो रहा है, उससे वे ज्यादा संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उनका विशेष रूप से यह आग्रह था कि आयोग का गठन हो, उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में उनकी मांगों का भी प्राविधान है। हमारी उनके साथ पूरी सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि वे इस प्रकार के अनशन न करें। मैं माननीय सदस्य से भी चाहूंगा कि वे उनको समझायें। हमारी शुभ कामनायें उनके साथ हैं। हम यथा संभव प्रयास करेंगे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जो माननीय वैश्य जी का प्रश्न था उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। हमारे माननीय मंत्री जी उनकी मांगों से सहानुभूति भी रखते हैं और सौहार्द वातावरण भी बनाना चाहते हैं। हमारे माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न किया था कि जसे उन्होंने अध्यापकों और कर्मचारियों के लिये घोषणा कर दी है, वसे ही इन कर्मचारियों के लिये भी घोषणा कर दें ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

हमने आदेश दिये हैं कि स्वायत्त शासन संस्थायें इस प्रकार की अन्तरिम सहायता दें और बहुत सी संस्थायें दे रही हैं लेकिन अगर नहीं दे रही हैं तो जानकारी होने पर हम उनको लिखेंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

स्थानीय निकाय ८ रुपये की अन्तरिम सहायता नहीं दे रहे हैं। तो जो संस्थायें नहीं दे रही हैं, उनके लिये अन्तरिम सहायता की धनराशि स्वयं वहन करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कहते हैं कि उन्हें दिलाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो प्रश्न पूंछा जाय, उसको आप सुनें और जो उत्तर आये, उसको भी आप सुनें और अगर साफ उत्तर नहीं आता है तो आप मंत्री जी को मजबूर करें कि ऐसी घोषणा करें कि ऐसी घोषणा करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो स्पष्ट पूछता हूं कि यह घोषणा करने में सरकार को क्या कठिनाई है ? आप कर सकते हैं या नहीं ? आप भी पता नहीं कैसे मान जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर दिलायें।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, वेतन आयोग का गठन हो जाने के बाद मेरी समझ में उसके निर्णय लेने से पूर्व कोई घोषणा करना उचित नहीं है। हम आयोग के सामने इस प्रश्न को रक्खेंगे और उसका जैसा परामर्श होगा कार्यवाही करेंगे।

श्री निर्भयनारायण सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अभी तक जो बात हो रही थी वह म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित थी। श्रीमन्, स्थानीय निकाय जो सिक्स्थ क्लास की लोकल बाडीज हैं यानी टाउन एरियाज या नोटीफाइड एरियाज जिनमें कि होल-टाइम स्वीपर २५ रुपये वेतन पर कार्य करता है उनकी हालत बहुत खराब है। इस स्थिति को देखते हुये क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि ऐसे स्थानीय निकायों को सिद्धान्त रूप से अन्तरिम सहायता देंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, वेतन आयोग के सामने ये सारे ही प्रश्न हैं। अगर हम ही सब देख लें तो वेतन आयोग का क्या कार्य रहेगा ? थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। वेतन आयोग की जो प्रथम या द्वितीय बैठक होगी उसी में हम यह प्रश्न रक्खेंगे।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वेतन आयोग गठित हो चुका है। माननीय मंत्री जी यह भी चाहते हैं कि आन्दोलन वापिस हो। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वेतन आयोग से उन्होंने अन्तरिम सहायता के बारे में कोई सिफारिश मांगी है। यदि हां, तो क्या उसके लिये कोई अवधि नियत की है ? तो वह अवधि कितने दिनों की है यह बताने की कृपा करें।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, वेतन आयोग के टर्म्स आफ रेन्फरेन्स यदि माननीय सदस्य देख लेंगे तो सब स्पष्ट हो जायेगा कि इन सारी चीजों का उल्लेख उस में है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब सरकार अपनी केबिनेट में तय कर चुकी है कि इनको भी तनख्वाह मिलेगी बढ़ी हुई तो सरकार को क्या कठिनाई है और क्या ये कर्मचारी सरकार के सौतेले कर्मचारी हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ नहीं पाया। वे जरा-सा स्पष्ट कर दें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मेरा यह कहना है कि जब पिछली सरकार तय कर चुकी है तो इस सरकार को क्या कठिनाई है ? क्या इन कर्मचारियों को सरकार और कर्मचारियों के मुकाबिले में सौतेला समझती है यह क्या बात है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, मुझे तो ज्ञात नहीं है पिछली सरकार ने क्या आदेश किया था और राज कर्मचारी और स्थानीय निकाय कर्मचारी भी उसके अन्दर शामिल थे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

पंचायत मंत्रियों के मामले में मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि हम बात करेंगे तो क्या आप भी इन लोगों को आश्वासन देकर इस मसले को तय करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह ठीक है, पूरी सहानुभूति के साथ विचार करेंगे और जो कुछ भी हो सकेगा अवश्य करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१५ जुलाई, १९७१ ।

अध्यक्ष पुस्तकालय सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर)

जिला परिषद्, पौड़ी गढ़वाल के भंग होने की अवधि से पूर्व पाई गई अनियमिततायें तथा उन पर की गई कार्यवाही—

अनियमिततायें	की गई कार्यवाही
१—जिला परिषद् का भवन, टूरिस्ट होटल कोट द्वारा नीलाम पर उठाया गया। नीलाम की रकम का एक तिहाई भाग (३२८५रु० टूरिस्ट होटल से श्री हिम्मत सिंह रावत, तत्कालीन कार्य अधिकारी जिला परिषद्, पौड़ी गढ़वाल ने १६ मार्च, १९७० को प्राप्त किया और उसे २२ अगस्त, १९७० को जिला निधि में जमा किया गया।	श्री हिम्मत सिंह रावत, तत्कालीन कार्याधिकारी, जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिस पर विचार किया जा रहा है।
२—जिला परिषदीय स्कूलों के भवनों के उपयोगार्थ टीन क्रय की गई परन्तु उनका उपयोग केवल ६ जिला परिषदीय स्कूलों में किया गया और शेष २९ नगरपालिका तथा व्यक्तिगत संस्थाओं के स्कूलों के भवनों के उपयोग में लाया गया कुछ स्कूलों से इनके मूल्य नहीं वसूल हो पाये हैं।	टीन के वितरण करने का आदेश भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद्, श्री चन्द्र सिंह रावत द्वारा दिये गये थे और कुछ भूतपूर्व कार्याधिकारी, श्री हिम्मत सिंह रावत द्वारा। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया जिसके अनुसार यह वितरण भूतपूर्व अध्यक्ष के आदेशानुसार किये गये थे। अध्यक्ष जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल द्वारा इस संबंध में जांच की जा रही है और अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।
३—वर्ष १९६८–६९ के आडिट नोट के अनुसार जिला बोर्ड परिषद् के शिक्षा विभाग में लाइब्रेरी एवं अध्यापकों के यात्रा भत्ता बिलों को धनराशि में ६९८.७५ पै० का गबन प्रतीत होता है।	इस धनराशि को जिला निधि में जमा करा लिया गया है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
४—गढ़वाल सीमा बोर्ड के १० साइन बोर्ड के बनाने हेतु भूतपूर्व कार्याधिकारी श्रीहिम्मत सिंह रावत द्वारा भुगतान किया गया परन्तु स्टाक रजिस्टर में केवल पांच साइन बोर्ड का ही इन्द्राज है। यह आपत्ति सन् १९७०–७१ में सम्परीक्षण द्वारा उठाई गई। शेष का मूल्य जमा नहीं किया गया।	भूतपूर्व कार्याधिकारी श्री हिम्मत सिंह रावत, जो इस समय जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर में कार्याधिकारी हैं, को इन पांच बोर्डों के मूल्य की वापसी के लिये लिखा गया है। उनका उत्तर अभी नहीं प्राप्त हुआ है।

बलदेव सिंह आर्य,
सामुदायिक विकास मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर)

परिशिष्ट 'क'

रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों से वर्ष १९७१–७२ हेतु संबंधित योजनायें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गईं ।

जिले का नाम	लघु सिंचाई योजना रु० लाख में	बन योजनायें	सड़क निर्माण	विवरण
इलाहाबाद	२३.००	२.२०	(२० लाख स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है)	पत्र सं० १३५१/३८–ख, दिनांक १८–२–७१ द्वारा भारत सरकार को भेजी गई।
बांदा	१२७,४९०	३–०६२	६९–४४८	पत्र सं० ३०३५/३८–ख, दिनांक ५–५–७१ द्वारा भारत सरकार को भेजी गई।
हमीरपुर	१७५.३	२५–२०	..	पत्र सं० २३१७/३८–ख, दिनांक १५–४–७१ द्वारा भारत सरकार भेजी गई।
जालौन	२४३.०७	८–६०	१४८,४५	पत्र सं० २०८६/३८–ख, दिनांक २७–४–७१ द्वारा भारत सरकार को भेजी गई।
वाराणसी	११२.७२	३–२०	८२.९७	,,

रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों हेतु भारत सरकार की वित्तीय स्वीकृति वर्ष १९७१–७२ हेतु प्राप्त हो चुकी है:—

वाराणसी— (रु० लाख में)

लघु सिंचाई कार्य	३०–००
बन कार्य	३–२०
सड़क निर्माण	२०–००
	५३–००

इलाहाबाद—	
सड़क निर्माण	२०—००
	७३—००
मिर्जापुर—	
लघु सिंचाई	६१—३६
सड़क निर्माण	५०—००
	१११—३६

मुक्त पुस्तकालय मुक्त

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३३ पर)

माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश की मांगों के संबंध में स्थिति

मांग	स्थिति
१—मंहगाई भत्ते में माध्यमिक शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के साथ समानता दी जाय।	१—शासन ने यह निर्णय ले लिया है कि सहायता प्राप्त उच्चतर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों की दर से वर्तमान मंहगाई भत्ता दे दिया जाय।
२—जे० टी० सी० वेतन-क्रम के अध्यापकों को सी० टी० वेतन-क्रम दिया जाय।	२—इस पर विचार किया जा रहा है।
३—माध्यमिक शिक्षकों का वेतन राज्य कोषागार से वितरित किया जाय।	३—ऐसा करना संभव नहीं है। तथापि हाई स्कूलों व इन्टर कालेजों के शिक्षकों को समय से वेतन दिलाने के उद्देश्य से एक अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया गया है।
४—पुनरीक्षित वेतनमानों में विज्ञान अध्यापकों का वेतन निर्धारित किया जाय।	४—इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
५—राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के न्यूनतम स्तरों में जो असमानता है उसे दूर किया जाय।	५—ऐसा करना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३८ पर)

प्रतिलिपि रिपोर्ट सी० आई० प्रथम, आजमगढ़

श्रीमन्,

निवेदन है कि नत्थी दरख्वास्त श्री कैलाश सिंह, सा०सादी पट्टी, थाना मुबारकपुर का मुलाहजा फरमाया गया, इसकी जांच की गई।

प्रार्थी, श्री कैलाश सिंह की रिपोर्ट के आधार पर थाना मुबारकपुर में मुकदमा अ०सं० १५५ धारा १४७/१४८/३२३ भा० द० वि० कायम है। तथा श्री एस० यन० सिनहा, थानाध्यक्ष तफतीश कर रहे हैं। वादी अपनी दरख्वास्त की रिपोर्ट की ताईद करता है तथा जुमला मुलजिमान को शरीफ जुर्म होता बताया है। वादी को, ४ साधारण चोटें आई हैं।

गवाह यफ० आई० आर० श्री धर्म देव सिंह ने सरसों उखाड़ने के कारण झगड़ा बढ़ना बताया और सच्चनशंकर, रामपत मुलजिमान द्वारा लाठी से कैलाशसिंह को मारा जाना बताया। अन्य मु जिम चन्द्रपत, जगपत वगैरह को म जूद रहना बताये मगर झगड़े में शरीक रहना नहीं बताये। मजीद बताये कि गांव समाज के बंजर के चन्द्रपत से मुकदमा चल रहा है। ये स्वयं ग्राम प्रधान है व मुकदमें की पैरवी करते हैं।

यफ०आई०आर० के गवाह, रघुनाथ सिंह ने भी सच्चन, शंकर, रामपत को शरीक जुर्म बताया। जिन्होंने वादी को लाठी से मारा। शेष मुलजिम भी थे मगर सरसों उखाड़ने के कहा सुनी कर रहे थे।

चौकीदार देवकीअहीर ने बताया कि घटना के दिन बाहर गया था, वापस आने पर सुना कि झगड़ा हुआ है। सरसों उखाड़ने के उलाहने देने के कारण झगड़ा हुआ। शंकर सच्चन, रामपत ने वादी को मारा।

रामदत तिवारी सा० तेनुवा ने बताया कि सरसों उखाड़ने के कारण कैलाशसिंह ने जगपत के घर की औरत को गाली दिया था। उसका उलाहाना देने जगपत गया। मुझे भी ले गया। हम लोग खेत देखे, गांव गये व कैलाश सिंह नुकसान देखने को कहे। फिर मौके पर आये वहां रामरूप से कैलाश से झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे को मारा। गांव की तरफ से बन्दूक दागी गई। भगदड़ मच गई।

रामरूप अहीर, सा०तेनुवा ने भी बयान में रामदत्त की ताइद किया तथा बन्दूक दगने के बाद कैलाशद्वारा लाठी मारे जाने पर उसी लाठी को छीनकर खुद कैलाश को मारना बताता है।

कोमल बरई व धनेसर भर, सा० सादी पट्टी ने बताया कि सुना है कि सरसों उखाड़ने के कारण गाली देने पर यह झगड़ा हुआ उलाहना देने आये थे। तीन आदमी कैलाश को मारे। जगपत नहीं मारा। चन्द्रपत बाद में आया।

और भी अनेकों लोगों से बात की गई तो मालूम हुआ कि ३-४ आदमियों ने कैलाश सिंह को मारा जिनमें सच्चन, शंकर, रामपत मुख्य हैं। राम रूप का बयान गलत है तथा बनाया गया है। इसी तरह रामदत्त तिवारी का बयान भी मिलावट कर के बिगाड़ा गया है।

जगपत मौके पर था उसकी मौन स्वीकृति घटना में हो सकती है। मगर सक्रिय रूप में इसने कुछ नहीं किया है।

जुमला जांच से जुर्म धारा ३२ भा० द० वि० स्थापित है। थानाध्यक्ष को इसी आधार पर कार्यवाही करने की हिदायत की गई। फरोकैन में भविष्य के लिये इंसदादी कार्यवाही करने की भी हिदायत की गई है।

रिपोर्ट सेवार्पित है।

(ह०) बैजनाथ राय,
क्षेत्र निरीक्षक (प्रथम)।
१-४-७०।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४५ पर)

१-४-७० से ३१-३-७१ की अवधि में थाना मछलीशहर, जिला जौनपुर के अन्तर्गत घटित डकैती, राहजनी और नकबजनी की घटनाओं का विवरण:—

अपराध	घटनाओं की संख्या	जांच की गई	चालान किये गए मुकदमों की संख्या	मामले जो लापता रहे अन्तिम रिपोर्ट लगी	जांच जारी है	विशेष
डकैती	६	६	१	१	४	चालान किया गया मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।
राहजनी	..	..	..	..	..	..
नकबजनी	२७	२७	..	२६	१	..

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५० पर)

गोरखपुर बेलघाट विकास खंड के ग्राम प्रधानों को प्राइमरी पाठशाला भवन के लिये दिये गये अनुदान की तालिका

क्रम-संख्या	नाम ग्राम सभा जिसे अनुदान दिया गया		प्रदत्त धनराशि
१	प्रधान	बहादुरपुर	२,२५०.००
२	,,	प्रतापीपुर	२,५००.००
३	,,	मुरारपुर	२,०००.००
४	,,	इमिलीडीह	५००.००
५	,,	सीपाईघाट	२,४००.००
६	,,	उरुवा बाजार	१,०००.००
७	,,	कुरावल	१,०००.००
८	,,	हरिहरपुर	२,५००.००
९	,,	बसही	१,०००.००
१०	,,	नकीझा	२,३००.००
११	,,	मरुवा	२,५००.००
१२	,,	पांडेपुर	२,५००.००
१३	,,	लासून खुर्द	२,५००.००
१४	,,	एकडंगा	१,५००.००
१५	,,	नराइचपार	२,३००.००
१६	,,	कूजा	२,५००.००
१७	,,	कोटवा	२,५००.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर)

थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊ में माह अप्रैल, १९७१ में हुई डकैती, चोरी, राहजनी तथा कत्ल की घटनाओं की सूची

अपराध	मुकदमे की संख्या जिनकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज हुई	कालम २ में दी गई संख्या में सम्मिलित नामजद रिपोर्टों की संख्या	मुकदमे की संख्या		मुकदमे की संख्या			विशेष
			जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जिनमें चालान किया गया	जिनमें अंतिम रिपोर्ट लगी	जिनमें जांच जारी है	
डकैती ..	१	..	१	..	१ (न्यायालय में विचाराधीन)	..	..	..
चोरी ..	१३	२	८	५	..	८	२	जिन दो मुकदमों में जांच जारी है उन्हीं में अभियुक्त नामजद हुए हैं।
राहजनी ..	५	५	५	..	१ (न्यायालय में विचाराधीन)	३	१	जिन तीन मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगी उनमें से एक में रिपोर्ट बढ़ा चढ़ा कर की गई तथा शेष दो में रिपोर्ट निराधार पाई गई।
कत्ल ..	..	..	..	..	..	..	..	इन दो रिपोर्ट से संबंधित मुकदमें खारिज कराये गए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

संविद सरकार के कार्यों से संबंधित प्रकाशन

नाम	मुद्रित प्रतियां की संख्या	जिलों में भेजने की तिथि
१—नयी सरकार के प्रयत्न फोल्डर—		
हिन्दी	१,९४,७५०	१—८—६७
उर्दू	५०,०००	..
२—नयी सरकार के कार्यों पर एक नजर—पुस्तिका		
हिन्दी	४८,२००	२२—९—६७
उर्दू	५,०००	
३—संविद सरकार क प्रशासन में उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर—पुस्तिका—		
हिन्दी	१,०८,४५०	१६—१—६८
४—संविद सरकार ने क्या कुछ नहीं किया ?		
पुस्तिका—हिन्दी	२,००,०००	२२—१—६८
५—जनसाधारण की खुशहाली के लिए वर्तमान संविद सरकार के प्रमुख कार्य—		
फोल्डर हिन्दी	२२,०३,०००	२१—२—७१ से २७-२—७१ तक (जिलेवार विवरण संलग्न)
६—अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा मुतहदा महाज हुकूमत के खास खास काम—फोल्डर		
उर्दू	२,५०,०००	

जनसाधारण की खुशहाली के लिये वर्तमान संविद सरकार के प्रमुख कार्य को जिलों मे भेज जाने की तिथियां

१—मेरठ	२५—२—७१
२—बस्ती	२४—२—७१
३—गोरखपुर	२५—२—७१
४—इलाहाबाद	२५—२—७१
५—आजमगढ़	२३—२—७१
६—कानपुर	२४—२—७१
७—देवरिया	२४—२—७१
८—वाराणसी	२४—२—७१
९—गोंडा	२६—२—७१
१०—मुरादाबाद	२४—२—७१
११—आगरा	२५—२—७१
१२—अलीगढ़	२६—२—७१
१३—बुलन्दशहर	२२—२—७१

१४—जौनपुर	२५–२–७१
१५—फैजाबाद	२५–२–७१
१६—सहारनपुर	२१–२–७१
१७—सीतापुर	२४–२–७१
१८—हरदोई	२४–२–७१
१९—बहराइच	२५–२–७१
२०—बरेली	२७–२–७१
२१—मुजफ्फरनगर	२३–२–७१
२२—बाराबंकी	२५–२–७१
२३—सुल्तानपुर	२५–२–७१
२४—बदायूं	२२–२–७१
२५—लखनऊ	२६–२–७१
२६—बलिया	२४–२–७१
२७—गाजीपुर	२७–२–७१
२८—रायबरेली	२२–२–७१
२९—एटा	२४–२–७१
३०—फर्रुखाबाद	२४–२–७१
३१—खीरी	२५–२–७१
३२—प्रतापगढ़	२५–२–७१
३३—मिर्जापुर	२३–२–७१
३४—उन्नाव	२४–२–७१
३५—बिजनौर	२५–२–७१
३६—इटावा	२४–२–७१
३७—मैनपुरी	२४–२–७१
३८—शाहजहांपुर	२४–२–७१
३९—झांसी	२२–२–७१
४०—मथुरा	२२–२–७१
४१—फतहपुर	२६–२–७१
४२—बांदा	२२–२–७१
४३—हमीरपुर	२१–२–७१
४४—रामपुर	२४–२–७१
४५—जालौन	२५–२–७१
४६—अल्मोड़ा	२५–२–७१
४७—पीलीभीत	२२–२–७१
४८—नैनीताल	२६–२–७१
४९—गढ़वाल	२६–२–७१
५०—देहरादून	२२–२–७१
५१—टेहरी गढ़वाल	२४–२–७१
५२—पिथौरागढ़	२६–२–७१
५३—चमोली	२६–२–७१
५४—उत्तरकाशी	२५–२–७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "झ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर)

मुरादाबाद में १ नवम्बर, १९७० से ३१ मार्च, १९७१ तक की अवधि में हुई कत्ल, डकैती और राहजनी की घटनाओं के संबंध में सूचना

अपराध	जिनकी रिपोर्ट	मामलों की एक्सपंज हुए	जिनमें अंति संख्या रिपोर्ट लगी	जो चालान किये गये	जिनमें जांच अभी जारी है
कत्ल ..	२०	..	२	६	१२
डकैती ..	९	१	२	२	४
राहजनी ..	४४	२४	१२	३	५

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२१ एल० ए०—१९७१—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा